## STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष सरकार):** महोदय, मैं 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति की नियुक्ति' के संबंध में 29 मार्च, 2023 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 3205 के दिए गए उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

---

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, a copy of the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, has now been laid on the Table of Rajya Sabha. I have admitted the notice received from the Minister of Law and Justice for consideration and passing of the Bill in Rajya Sabha today, by waiving off the requirement of two days notice period under Rule 123 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. Accordingly, a Supplementary List of Business has been issued for today for taking up this Bill for consideration and passing. A copy of the Bill has been circulated to Members electronically through Members' portal yesterday night itself so as to enable them to peruse the Bill. In view of the short time period available to Members, I have decided that those Members who desire to give notices of Amendments to the said Bill may do so now till 2 p.m. so as to enable the Secretariat to process and circulate the list of Amendments. Notices received after 2 p.m. will, however, not be processed. As recommended by the Business Advisory Committee in its meeting held yesterday, lunch hour will be dismissed during the discussion on the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023. Now, Shri Arjun Ram Meghwal to move a Motion for Consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023.

---

## GOVERNMENT BILL

### The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023

**विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति**

**मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** चेयरमैन सर, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

सर, आपकी अनुमति हो तो मैं इस संबंध में कुछ बोलना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Yes, please.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** थैंक यू। सर, यह कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और बहुत महत्वपूर्ण बिल है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। यह दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है, अमृत काल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस अवसर पर इस बिल के बारे में बोलने से पहले बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को हमें राजनीतिक समानता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी, इसको कौन दूर करेगा, यह आने वाली सरकारों का कर्तव्य होगा। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जब से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है और उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है। सर, जैसे जन-धन अकाउंट है, इस अकाउंट की धारक महिला बनी, जैसे पीएम आवास है, उसमें मालिकाना हक महिला को मिला, जैसे शौचालय है - उसको हमने इज्ज़त घर का नाम दिया है। सर, संविधान की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है कि हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ-साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे, तो यह जो शौचालय वाला विषय है, यह कोई छोटा विषय नहीं है। यह संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है - प्रतिष्ठा और अवसर, इसलिए यह महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला विषय है। जैसे उज्ज्वला योजना है, किसी के घर में गैस थी, किसी के घर में गैस नहीं थी, यह असमानता थी, उसको दूर किया गया। नल से जल पर कहूं तो किसी के घर में नल से जल है और कोई महिला दूर से पानी ला रही है। मैं राजस्थान से आता हूं, आपको भी पता है कि मेरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। मैंने महिलाओं को दूर से पानी लाते हुए देखा है और मैं भी दूर से पानी लाता था, जब घर में नल नहीं था। हमने देखा है कि महिलाओं की क्या स्थिति है। यह असमानता अगर फील्ड में किसी ने देखी है, तो हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देखी है और उन्होंने इस असमानता को दूर किया है, नल से जल उपलब्ध करवाया है। एक "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" है, इस मुद्रा योजना में लगभग 68 प्रतिशत महिलाएं बेनिफिशयरी हैं। एक "स्टैंड-अप इंडिया योजना" है। सर, बैंक तो पहले भी थे, मगर प्रधान मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए - कोई भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच में आपको दस लाख से एक करोड़ के दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे। सर, यह "स्टैंड-अप योजना" है।

महोदय, हमारे जो बच्चे हैं, वे अंडरवेट नहीं हों, कमजोर नहीं हों, जिस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा हो, उसको न्यूट्रीशियस फूड मिले, इसके लिए उस महिला के खाते में 5,000 रुपए जाएंगे। महोदय, इसके लिए 'प्रधान मंत्री मातृ वंदना स्कीम' आई। इसके अलावा 'सुकन्या समृद्धि

स्कीम' आई, 'मिशन पोषण' आया, 'मिशन शक्ति' आया, 'प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' आया, आर्म्ड फोर्सेज़ में महिलाओं का परमानेंट कमीशन आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक उत्थान का विषय आया, जेम पोर्टल पर लगभग डेढ़ लाख विमेन वेंडर पंजीकृत हैं। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलम्पिक में खेल में 49 प्रतिशत महिला एथलीट्स की भागीदारी रही। ये सब काम ऐसे हैं, जो यह बताते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन आया, तो महिलाओं ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की और 2019 के जनरल इलेक्शन में जन-प्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। जहां पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2 परसेंट रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 परसेंट रहा। ऐसा करिश्मा हमारे नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। आज जो मैं संविधान (संशोधन) बिल लेकर आया हूं, उसके माध्यम से हम Article 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे। यह इसमें जोड़ा गया है। अगर इसके लिए सदन अनुमति देगा, तो यह जुड़ेगा। Article 332 में एक section insert होगा, Article 334 में एक section insert होगा। क्रमशः 33A, Article 33(2A), Article 33(4A) संविधान में new Articles होंगे, जिनके माध्यम से लोक सभा और देश की सभी विधान सभाओं में एक तिहाई सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह बहुत बड़ा कदम है।

सर, यह रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें एससी/एसटी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डिलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डिलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वह 2026 तक फ्रीज़ है। जैसे ही यह बिल पास होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा। वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। इसलिए कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, यह डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। यह कमीशन सभी स्टेकहोल्डर्स से भी कंसल्टेशन करेगा। इस व्यवस्था में न्यायोचित आरक्षण और पारदर्शितापूर्ण प्रणाली के लिए डिलिमिटेशन का विषय आता है।

सभापति महोदय, इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब -- सर, यह एसओआर में है -- आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृत काल की विकसित भारत की यात्रा प्रारम्भ कर रहा है, तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधान मंत्री जी के ध्येय वाक्य, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का यह बिल है। प्रधान मंत्री जी ने एक और बात कही है कि हम विमेन डेवलपमेंट से विमेन-लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारे जी20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। इन सब श्रृंखलाओं के माध्यम से यह श्रृंखला, आज मैं जो बिल लेकर आया हूँ, यह उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है।

मैं एक कविता के माध्यम से अभी अपनी बात को, -- इस पर आगे चर्चा होने वाली है -- उसको समाप्त करना चाहूँगा:

*"सपने सब साकार करेंगे,*
*नारी को अधिकार मिलेंगे,*
*मातृ शक्ति नेतृत्व करेगी,*
*जन-गण-मन की शान बढ़ेगी।"*

बहुत-बहुत धन्यवाद।

*The question was proposed.*

MR. CHAIRMAN: I will now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati Ranjeet Ranjan; you have ten minutes.

**श्रीमती रंजीत रंजन** (छत्तीसगढ़): धन्यवाद, सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूँगी कि आप मुझे पाँच मिनट अपनी तरफ से देंगे और मैं सत्ता पक्ष से भी कहूँगी कि आज महिलाओं का दिन है, इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे पाँच मिनट अपनी तरफ से दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पी.टी. उषा**) *पीठासीन हुईं।* ]

सबसे पहले मैं महिला रिज़र्वेशन बिल का स्वागत करती हूँ। मैं भी महिला हूँ और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है, वह सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज़ कराना चाहती हूँ। आपने महिला आरक्षण के इस बिल का नाम दिया है - नारी शक्ति वंदन विधेयक। यह नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन आपने इसका नाम दे दिया - नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह कोई दैविक वरदान नहीं है, यह कोई प्रधान मंत्री साहब का या आपका महिलाओं को दिया हुआ दया का पात्र नहीं है। यह हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक, दया और पूजा से जोड़ कर मुझे लगता है कि जो आंदोलन का इतिहास था, उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। यह मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ। आपकी सरकार में महिलाओं की वंदना कितनी होती है, यह हम सबको मालूम है। हम महिलाओं की वंदना, सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में हों, जितनी भी पुरुष मानसिकता है - इतिहास गवाह है कि जब-जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब-जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब-जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब-तब आप एक महिला को देवी बना कर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं, लेकिन अंदर एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है। आपकी वंदना हमने जंतर-मंतर पर बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी; आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान जब मणिपुर में हमारी महिलाएँ निर्वस्त्र हो रही थीं, हमने तब देखा; आपकी वंदना, आपकी पूजा और सम्मान तब देखा, जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अधिकार चाहिए, दया का पात्र महिला न कभी थी, न होगी। यह हमारी करुणा है, हमारी ममता है कि हम अपने आपको आपके सामने दया का पात्र बनने देते हैं, क्योंकि हममें इतनी करुणा है।

हम आज इस नए सदन में बैठे हुए हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लैविश है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी कि जो पुराना सदन है, वह घड़े का पानी है और यह जो नया सदन है, यह रेफ्रिजरेटर का पानी है। घड़े के पानी की जो महक होती है, वह पूरी जिंदगी, सालों-साल तक हम भूल नहीं पाते हैं - बस इतना फर्क है। यह आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर यह फर्क इस पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग में क्यों है! मैं जरूर बोलूँगी, क्योंकि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। कल मैं टीवी के सामने बैठ कर मेघवाल साहब को लोक सभा में सुन रही थी। आप बड़ी-बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, तो हमारी महिला राष्ट्रपति, आदरणीया द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना!

13 साल से हमारे आरक्षण, हमारे अधिकार, हमारे सम्मान से हम वंचित हैं। मुझे आपके इस बिल में * नजर आता है। 13 साल पहले राज्य सभा में हम लोगों ने इसे पारित किया था और आज आप इसको लेकर आए हैं, ...(**व्यवधान**)... आज आप इसको लेकर आए हैं, ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, सुनिए न! ...(**व्यवधान**)... आज आप इसको लेकर आए हैं साढ़े नौ साल के बाद! 2014 में आप सत्ता में आए। यह आपके मैनिफेस्टो में था कि महिला आरक्षण देना है। आपको इसमें साढ़े नौ साल क्यों लग गए? आपसे मेरा पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको प्रचार करना था, आपको जो लाइमलाइट लेने की आदत हमेशा से रही है, इसमें भी आपने महिलाओं को यूज़ किया है। तीसरा सवाल, आपने जो जाति जनगणना और परिसीमन का पेंच लगाया है, वह क्यों लगाया है, मैं आपसे पूछती हूँ? आप कल इसका जवाब दे रहे थे कि अगर हम यह नहीं कहते, तो आप पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। अरे! आप तो वे लोग हैं, जिन्होंने नोटबंदी लगाने से पहले किसी से चर्चा भी नहीं की और 155 लोग लाइनों में मर गए, तो अभी ऐसी कौन सी बाधा है? आप वे लोग हैं, जिन्होंने किसान का काला कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वह आपकी बाधा नहीं बनी! वे एक साल तक लगातार सड़कों पर बैठे रहे। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि फिर महिलाओं के रिज़र्वेशन के अधिकार में यह परिसीमन की या जनगणना की और सीट के रोटेशन की आपने जो बाधा लगाई है, क्या यह 2024 का चुनावी एजेंडा है, जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ झुनझुना दिखाना है?

मैं आपको आपकी नीयत और अपनी कांग्रेस की नीयत के बारे में एक उदाहरण देना चाहती हूं। आप महिमामंडन कर रहे हैं कि आप महिला रिज़र्वेशन बिल लेकर आए हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि 9 मार्च, 2010 में यूपीए-2 के समय में राज्य सभा में यह बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के एक साल के बाद। उस समय हमारी मंशा आगे आने वाली लोक सभा में इसका प्रचार करना नहीं थी, क्योंकि उसके चार साल के बाद, 2011, 2012 और 2013 के बाद 2014 में चुनाव थे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटरव्यू के कुछ शब्दों को आज याद करना चाहती हूं कि महिलाओं के मामले में जो हिन्दुस्तानी पुरुष है, वह डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ

* Expunged as ordered by the Chair.

तो वह ऊँचे सिंहासन पर महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है, तो वह अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया, वह भी ट्राइबल राष्ट्रपति जी के साथ।

मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूं कि आप जातीय जनगणना परिसीमन रोटेशन को दरकिनार करके महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप पुरुषों के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को अलग से हिस्सा देंगे। आखिर क्यों नहीं आप आज के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा देना चाहते? मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमारा जो महिलाओं को मजबूत करने का बिल था, जो यूपीए-2 के समय में राज्य सभा में पास हुआ था, हम चाहते हैं कि आपने जो इस विधेयक का नाम - 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' दिया है, इसको आप 'समानता का अधिकार' नाम देते - हमें वंदना और पूजा नहीं करवानी है।

इसके साथ ही मैं आपसे एक बात यह भी जरूर कहूंगी कि हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो, लेकिन एससी/एसटी की महिलाओं के साथ-साथ ओबीसी की महिलाओं को भी अधिकार मिले, क्योंकि हमारी और आपकी जैसी महिलाएं, जो संघर्ष करके आई हैं, वे तो कल भी आ जाएंगी।

महोदय, हमें भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस राजनीति के फील्ड में, राजनीति के मैदान में एक अकेली महिला अगर समाज के लिए अच्छा भी करती है - हालांकि इस राजनीति के दलदल में उसका अकेले कूदना, संघर्ष करना आज भी बहुत जटिल है - अगर महिला मजबूत है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहती है ....(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पी.टी. उषा):** आपका समय समाप्त हो रहा है।

**श्रीमती रंजीत रंजन:** अगर महिला अपनी राय रखना चाहती है, तो जो पुरुष मानसिकता है, यह उसको गवारा नहीं है। हम चाहते हैं, मैं अपने पक्ष की महिलाओं से भी कहूंगी, जब मणिपुर की घटना घटी या जब कोई रेप की घटना घटती है या जब हमारी पहलवान बच्चियां धरने पर बैठती हैं....(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पी.टी. उषा):** आपका समय समाप्त हो रहा है।

**श्रीमती रंजीत रंजन:** आपने उन महिलाओं को कैसी समानता का अधिकार दिया है? आपने अपनी महिला मंत्रियों को ऐसा समानता का अधिकार दिया है कि उनको कह दिया जाता है कि आपका एक भी शब्द महिलाओं के शोषण के खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। हमें आपकी ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का एक अंश पढ़ कर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है,

*"उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊँगी,*
*औरों से अलग हूं दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊँगी,*

*चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊँगी,*
*नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊँगी।*

*जो सदियों से देखा तुमने, लिपटी साड़ी में कोमल तन को,*
*घर-घर में रहती थी, पर जान न सके थे उसके मन को,*
*झुकी हुई सी नज़रें थीं, वाणी मध्यम मधुर-सी थी,*
*फिर भी तानों की आवाज़ प्रबल थी, हिम्मत न थी उफ़ करने की,*
*अब बदल गई है ये पहचान, नारी की न साड़ी परिभाषा,*
*वाणी अभी भी मध्यम मधुर-सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा।*
*चाहे जो भी मैं बन जाऊँ, गर्व से नारी ही कहलाऊँगी।"*

मुझे गर्व है कि आज सभापति जी की चेयर पर हमारी ओलंपियन पी.टी. उषा जी बैठी हैं। मेरे बचपन का सपना था, जब भी मैं पूजा करने जाती थी, तो गॉड से विश करती थी कि मुझे पी.टी. उषा जी की तरह गोल्ड मैडल लेना है। मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था। मैं अंत में एक ही बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए चाहे राज्य सभा हो या लोक सभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा।...(**समय की घंटी**)... आज महिलाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं यह चाहती हूं कि यह आपके झोले या पिटारे में नहीं चला जाए, आपने महिलाओं को 2029 का यह जो झुंझुना पकड़ाया है, अगर सही मायने में आप महिलाओं को हक देना चाहते हैं, तो इसका कुछ तोड़ निकालिए और परिसीमन एवं जनगणना से पहले, महिलाओं का हक उनके सामने रखिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा** (हिमाचल प्रदेश)**:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मैं 'संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023' के समर्थन में अपना वक्तव्य रखने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि इस नये संसद भवन की शुरुआत गणेश उत्सव के दिन से प्रारम्भ हुई और कल लोक सभा में यह 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' निर्विघ्न पास हुआ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज यहां राज्य सभा में भी यह 'संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023' किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से पास होगा और इसमें सबकी सहमति मिलेगी।

मैं हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लाकर, महिला रिज़र्वेशन का जो विषय बहुत लम्बे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। जहां मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं, वहीं नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पॉवरमेंट के लिए, पिछले नौ साल में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत की नारी की दशा को सुधारने और उसकी दशा एवं दिशा समाज में मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। उनके उन्हीं कदमों में

से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी की ताकत बढ़ेगी।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।)*

शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना-अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' की शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधान मंत्री जी की और समाज में महिलाओं को देखने के हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है और दिशा देती है।

सभापति जी, मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएँ बन गयी हैं। वह धारणा यह बनी है कि हम महिलाओं के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया, तो जैसे हम कुछ oblige कर रहे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यह हमारा और आपका नहीं है, हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में प्रतिस्थापित किया, वह यह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्ज्वल रहा है। इसलिए वे 'पिछड़ी' हैं, वे 'असहाय' हैं, वे 'अबला नारी' हैं - यह शब्दावली हमारी नहीं रही है। हमने नारी को 'शक्ति' के रूप में देखा, 'देवी' के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाला देखा। इसीलिए प्रधान मंत्री जी जब कहते हैं - 'women empowerment', तो वे हमेशा 'women-led development' की बात करते हैं। उन्होंने जी20 में भी दुनिया को बताया that it is not only women empowerment but women-led development. भारत की इस सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने जी20 के माध्यम से भी किया है।

मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, तो भारतीय संस्कृति में अगर हम नारी का स्थान देखें, तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा है। उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही है। आध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। अगर हम हड़प्पा काल की भी बात करें, तो जो कांस्य की मूर्ति 'dancing girl' है, वह यह बताती है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वच्छंदता थी और कितना independence था - यह भी वह दर्शाती है। यह दीगर बात है कि जब हम गुलामी के काल से गुजरे, medieval period से गुजरे, तो उस समय पर्दा सिस्टम से लेकर, महिलाओं का कुछ जो उत्थान का स्थान था, उसमें कमी आयी, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे हमेशा 'ऊर्जा' का स्थान दिया गया, 'देवी' का स्थान दिया गया, 'शक्ति' के रूप में देखा गया। हमारे यहाँ शब्दावली भी वैसी है - 'गौरी-शंकर', 'गिरिजा-शंकर', 'भवानी-शंकर', 'सीता-राम', 'राधे-श्याम।' अब हमें दुनिया समझाए - ladies first - यह हमारे साथ एक तरीके से मजाक नहीं है, तो और क्या है? इसलिए हमारी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है।

वैदिक काल में भी हमारे यहाँ विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। वैदिक काल में भी अगर देखें, तो जब आदि शंकराचार्य जी के साथ मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो आप जानते हैं कि उसमें न्यायाधीश कौन था? उसमें न्यायाधीश मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती थी, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया

गया और कहा गया कि राजा अगर न्यायप्रेमी है, तो रानी भी न्यायप्रेमी होनी चाहिए - इतनी दूर की सोच रखी गयी थी, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से चौथी सेंचुरी में प्रभावती गुप्त, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में प्रथम राज्य किया, वह बताता है कि महिलाओं का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। रानी जीजाबाई, जो मराठा रानी के रूप में जानी गईं, उनका जो गाइडेंस था, उनका जो डायरेक्शन था, उसने छत्रपति शिवाजी को हिन्दवी स्वराज बनाने के लिए प्रेरित किया, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्याबाई होल्कर जी को हम सब लोग जानते हैं, आध्यात्म की दुनिया में उनका नाम है। उसके साथ-साथ जिस तरीके से उन्होंने मन्दिरों का नवनिर्माण करवाया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 की हमारी क्रांति और उसमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व हम नहीं भूल सकते हैं। यहाँ हमारे संविधान सदन में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, संविधान सदन में सुशोभित होकर वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। पुर्तगीज़ के खिलाफ कर्णाटक की महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी, तो वह भी अपने आप में एक गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है।

मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, तो 21वीं शताब्दी जो है, वह महिलाओं की शताब्दी है। फिर चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, मिलिट्री एजुकेशन हो, सैन्य सुरक्षा हो या अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारे भारत की महिलाएँ अपने आपको लीडिंग रोल में लेकर आयी हैं। उन्होंने अपने आपको प्रतिस्थापित किया है और वे स्वयं को सम्मानित स्थान पर लेकर आई हैं। It is not only their presence but their position. वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, वह यह बताता है कि भारतीय नारियों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया है।

आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21 परसेंट हमारी महिलाएँ ऐसी हैं, जो लीडिंग रोल में हैं। अगर आज हम इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल-परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट्स देखें, तो फिर चाहे वह मार्स मिशन हो, चंद्रयान हो या आदित्य एल-1 हो, इन सबमें महिला साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कहें, इस आज़ाद भारत में 16 महिलाएँ मुख्य मंत्री बन चुकी हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

बहुत से ऐसे देश हैं, जहाँ महिलाओं ने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लम्बा संघर्ष किया, सिर्फ franchise पाने के लिए बहुत लम्बा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया, लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि first General Election में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया, यह हमारी सोच दर्शाता है। इसमें सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडु जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें franchise मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था - 'We don't want to be nominated but we want to be elected.' इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। हमारा यह भी सौभाग्य है कि बहुत से देशों से पहले हमारे देश को महिला प्रधान मंत्री भी बहुत पहले मिल गयीं थीं। इसलिए इनके प्रति हमारा नज़रिया 'अबला', 'बेचारी नारी' - ऐसा कभी नहीं रहा, हमेशा हम लोगों ने एक विशेष स्थान

देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी कांस्टीट्युएँट असेम्बली में भी 15 महिलाएँ थीं, जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। आज यहाँ पर हमारी 102 महिला एमपीज़ हैं। अपने सशक्तिकरण के कारण they are elected, वे इलेक्ट होकर आयी हैं। यह भी हमें बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से अपना योगदान दिया है। चाहे वह पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, सबमें नारियों ने अपना योगदान दिया है। इसलिए जब हम 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को लाकर उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो यह हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह उनका सम्मान है, यह उनका सशक्तिकरण है, यह उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि हम कुछ धारणाएँ बदल दें। मैं यह अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिसर्च के आधार पर कह रहा हूँ। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की sensitivity ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की sensitivity वाले विषयों पर decision making capacity ज्यादा तेज, ज्यादा फास्ट है। मुझे याद है कि मैं 1993 में पहली बार विधायक बन कर बीजेपी ग्रुप का नेता बना था, उस समय पंचायतों में विमेन का रिज़र्वेशन हुआ था और जब हम समाज में घूमते थे, तो पुरुष प्रधान समाज तरह-तरह की बातें करता था, जैसे ये कुछ नहीं कर सकेंगी, पता नहीं सरकार ने क्या सोच लिया है, ऐसे थोड़े ही काम चलता है, ये क्या जानें - हमें इस तरह की बातें सुनने को मिली थीं। मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ। लेकिन महिलाओं को पंचायत में बराबर का स्थान मिला।

मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अब रिसर्च यह बताती है कि women are more accessible than men as a public representative. अब रिसर्च यह बताती है कि महिलाओं ने collectively नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब रिसर्च यह बताती है कि the corruption level are less where there are women representatives. हमें यह बात भी समझनी चाहिए। मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है और उसमें यह कहा गया है कि water scarcity में काम करने में और water scarcity को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62 परसेंट ज्यादा काम हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि महिलाएँ घर चलाती हैं, इसलिए बजट का जितना ज्ञान उनको होता है और जितनी sensitivity उनको होती है, वह हम सबको मालूम है। इसे हम सबने अपने घरों में भी देखा है, इसलिए हमें उनकी capacity, decision making, financial sense को appreciate करना चाहिए और इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने National Perspective Plan के तहत काम शुरू किया, उसमें आज लगभग 14 लाख से ज्यादा महिलाओं का पंचायती लेवल पर, on different levels, representation है। यह एक continuous process और ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया गया है।...(**व्यवधान**)...

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक): यह कैसे हुआ?

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** यह सब लोगों के योगदान से हुआ।...(**व्यवधान**)... इस तरह से इसकी एक लंबी जर्नी है।...(**व्यवधान**)... उसमें से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया गया।

**श्री सभापतिः** माननीय नड्डा जी, मैं एक बात बताता हूँ। जब हम चारों तरफ देखते हैं - जब नई-नई पंचायत व्यवस्था आई थी, तब मैं गाँव में जाता था और पूछता था कि आप कौन हैं, जो मीटिंग में आते थे? वे कहते थे कि मैं सरपंचपति, मैं प्रधानपति, मैं जिला प्रमुखपति हूँ - यह कल्चर चालू हुआ था। वह कल्चर अब खत्म हो गया है and that you can see all around.

**श्री जगत प्रकाश नड्डाः** सर, मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दिया जाए। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएँ होती हैं और कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमें महिलाओं को रिज़र्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिज़र्वेशन मिले, किस सीट पर न मिले - इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती है। यह फैसला quasi-judicial body करती है। उसको nominate करना पड़ता है।...(**व्यवधान**)... अब अगर मैं सरकार में हूँ और वायनाड को रिज़र्व कर दूं तो?...(**व्यवधान**)... अगर मैं अमेठी को रिज़र्व कर दूं तो? ...(**व्यवधान**)... अगर मैं रायबरेली को रिज़र्व कर दूं तो? ...(**व्यवधान**)... अगर मैं कलबुर्गी को रिज़र्व कर दूं तो? ...(**व्यवधान**)... इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं।...(**व्यवधान**)... पहला यह है कि census हो, जनसंख्या हमारे सामने आए और फिर उसके साथ-साथ quasi-judicial body के माध्यम से public hearing हो, सीट्स निकाली जाएँ, नंबर निकाला जाए। यह सब निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। ...(**व्यवधान**)... मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सीट बढ़ा दीजिए। अगर सीटें बढ़ेंगी, तो उसका 33 प्रतिशत भी तो बढ़ कर आएगा! इतना तो simple mathematics समझना चाहिए! बढ़ी हुई सीटों का भी 33 परसेंट होगा। आपको उसमें भी स्थान मिलेगा, इसलिए यह नियम-कानून से होगा। हम यह मानते हैं कि अगर आप आज बिल पास करते हैं, तो 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से हमारी महिलाएँ एमपी बन कर आ जाएँगी - यह बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज इसको पास नहीं करते हैं, तो 2029 में भी नहीं आना तय है - इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

**विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) :** सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: I will come to you.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: If this is the way, if this is the only way and if this is the shortest way, then, this is the way, जिस रास्ते से हमें जाने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं आपके सामने यह बात कहना चाहूँगा कि हमारे **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition wants to intervene for a minute. खरगे जी, कृपया आप बोलें।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** सर, इसका अमेंडमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह अभी करना चाहिए, लेकिन आप इसको 2031 में करने की बात कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि यह बिल ऐसे ही चले।...(**व्यवधान**)... आप ही ने कहा कि 2029 के बाद यह सब होगा।...(**व्यवधान**)...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** मैंने '2029 को' कहा। ...(**व्यवधान**)...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** सर, जब पंचायत में रिज़र्वेशन है, जिला पंचायत में रिज़र्वेशन है, तो यहाँ विमेंस रिज़र्वेशन क्यों नहीं होता है? ...(**व्यवधान**)... आप इसको आज कीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैं कबीर का एक दोहा सुनाता हूँ :

*"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।*
*पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।।"*

इसलिए आप इसको आज से कीजिए, we are ready. कोई illegal नहीं होता, judiciary नहीं होता, कुछ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा :** सभापति जी, मैं यहाँ ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. ...*(Interruptions)*... Please sit down. We are the Upper House. We are the House of Elders. If there is a reflection that there is a legal working mechanism, a constitutional process, then, rather than playing the other way around, we have to look into the real legality of it, and he is focusing on the legality of it. Please go ahead, Shri Nadda.

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** सभापति जी, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटेंशन अपने आपको स्कोर करने का नहीं है, कोई political advantage लेने का नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का है। अगर हमें political advantage लेना होता, तो हम यह कह देते कि हम इसको अभी से कर लेंगे। जो काम अभी नहीं हो सकता - मैंने कहा कि this is the only way, this is the shortest and this is the correct way. We have to understand that. ...*(Interruptions)*... आप लोग यह जो 'नो-नो' कर रहे हैं, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया गया, क्योंकि आपको शासन करना नहीं आया। ...(**व्यवधान**)...

12.00 P.M.

अगर शासन करना आता, तो आपको यह भी मालूम होता कि नियम-कानून भी कोई चीज़ है। ...(**व्यवधान**)... I am not going to yield. ...*(Interruptions)*... I am not going to yield. ...*(Interruptions)*... No, Sir. ...*(Interruptions)*...मैं यह बोल रहा था। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Khargeji, please. No. He is not yielding. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*... I gave you time when he had yielded. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. Please continue. ...*(Interruptions)*... No. Nothing will go on record, except what Shri Nadda says. ...*(Interruptions)*... No. He is not yielding ...*(Interruptions)*...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** वेणुगोपाल जी, आप बैठ जाइए।

SHRI K.C. VENUGOPAL: *

MR. CHAIRMAN: No. He is not yielding. ...*(Interruptions)*... Khargeji, please. ...*(Interruptions)*...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** मैं फिर कहता हूँ कि सरकारें नियम-कानून से चलती हैं और नियम-कानून की कुछ लिमिटेशंस होती हैं।

मोदी जी काम करते हैं, वे पक्का काम करते हैं, कच्चा काम नहीं करते हैं, इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज लोक सभा में हमारी 42 एमपी हैं, राज्य सभा में 14 एमपी हैं, हमारी दस महिलाएं सेंट्रल मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही, हम पहली पार्टी और अकेली पार्टी हैं, जो संवैधानिक तौर पर, महिलाओं को हर समिति में 33 प्रतिशत आरक्षण देती है, every Committee, right from the national committee to the booth committee. In every committee, there is 33 per cent representation for women. हम सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, मैडम सुषमा स्वराज जी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, हमारी निर्मला सीतारमण जी और फर्स्ट विमेन मेम्बर इन दि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी बनीं, यानी हम लोगों ने, प्रधान मंत्री जी ने किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है - यह बात हमारे सामने आती है। ...(**व्यवधान**)... यह तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि... ...(**व्यवधान**)... कुछ लोग आत्मस्तुति में इतने ज्यादा रहते हैं कि अपने बारे में छोड़कर कुछ और सुनना ही नहीं चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... ये क्या बोलेंगे, मैंने तो खुद बोला है कि this country has seen the first lady Prime Minister before many countries had. यह हमने कहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे 'स्वच्छ भारत अभियान' हो या 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' हो, मैं आपको इनके बारे में भी स्पष्ट रूप से

* Not recorded.

बताना चाहता हूँ कि जब प्रधान मंत्री जी ने पहली बार प्रधान मंत्री बनकर लाल किले की प्राचीर से, from the Ramparts of Red Fort, यह कहा कि हम स्वच्छता अभियान... ...(**व्यवधान**)...

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** (हरियाणा): सर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... ...(**व्यवधान**)...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** दीपेन्द्र जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No disturbance. Please, sit down. ...*(Interruptions)*... This is not the way to conduct in the House. ...*(Interruptions)*... You are a senior Member. ...*(Interruptions)*... Don't go in that direction. ...*(Interruptions)*... Have some positivity. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Sorry. Don't force my hands. ...*(Interruptions)*...

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** सर, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'स्वच्छता अभियान', जिनके बारे में जब लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने कहा, from the Ramparts of Red Fort, तब उस समय राजनैतिक लोगों ने कहा था कि यह बड़ा गैर-राजनैतिक है कि प्रधान मंत्री जी लाल किले से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने हँसी उड़ाई थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम लड़कों की चिंता तो करते हैं, लेकिन लड़कियों की चिंता नहीं करते हैं। हमें उनके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। इस पर भी बहुत कटाक्ष हुए थे, लेकिन आज मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सेक्स रेश्यो एट बर्थ लेवल में 19 प्वाइंट्स आगे बढ़कर आ गए हैं। इसी तरीके से, gross enrollment in higher education has increased by 18 per cent. For the first time, sex ratio of the total population is: Out of 1000 males, we have 1020 females. फीमेल का सेक्स रेश्यो बढ़ गया है। इससे आज हम सबके ध्यान में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आता है कि हमें इसका क्या फायदा मिला है। इसके साथ ही, 11-11.50 करोड़ इज्ज़त घर बनाए गए। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 50 साल से ज्यादा राज किया है। जब हम लोग भी नेशनल हाईवेज़ पर जाया करते थे, तब हम अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए महिलाओं के झुंडों को हाईवेज़ से गुजरते हुए देखते थे। हम देखते थे कि वे सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थीं, क्योंकि उन्हें अपना दैनिक नित्य कर्म इससे पहले करना होता था। क्या स्थिति थी और संख्या क्या थी - 12 करोड़! कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था कि यह कैसी समस्या है। और समझते भी कैसे! जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, वे गरीब का दर्द क्या जानेंगे। यदि इसे कोई समझते हैं, तो प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ही समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या होता है और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती है। आज 12 करोड़ बहनों को इज्ज़त घर दिए गए हैं। जब हम 12 करोड़ बहनें बोलते हैं, तो इसमें 12 करोड़ बच्चे भी साथ में जुड़ जाते हैं, 12 करोड़ फैमिलीज़ भी साथ में जुड़ जाती हैं। उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होता था, उसके क्या-क्या बैड इफेक्ट्स होते थे - यह हम सबको मालूम है। उन्हें इज्जत देने का काम प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। इसे यूनाइटेड नेशंस ने भी recognize किया और इसके लिए प्रधान मंत्री जी को सम्मानित किया है, यह भी हमें ध्यान में

रखना चाहिए। इसी तरीके से, अगर हम 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की बात करें, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में 69 परसेंट ऑनरशिप, ज्वाइंटली या इंडिविजुअल महिलाओं के पास है, महिलाओं को मिली है।

सर, मैं एलपीजी गैस कनेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं हिमाचल के एक गाँव से आता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गाँवों को कितना देखा होगा, लेकिन हमारी बहनें सुबह चार बजे उठती थीं, जंगलों में जाती थीं, पेड़ों पर चढ़ती थीं, लकड़ी काटती थीं, लकड़ी का बोझा लेकर आती थीं और सवेरे उस लकड़ी को जलाती थीं। कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और उसमें से कितना धुआं निकलता है, इसका अंदाजा लगना चाहिए। इस धुएं से आँखों से पानी आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। हमारी बहनें इस तरीके का जीवन जीती थीं। सर, जब मैं एलपीजी गैस कनेक्शन की बात करता हूँ, तो बताना चाहूँगा कि उसकी संख्या भी नौ करोड़ से ज्यादा है, यानी ऐसी 9.58 करोड़ बहनें हैं, जिन्हें एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से आज वे पाँच मिनट के अंदर पति देव को भी चाय पिलाती हैं और घर को भी संभालती हैं। इससे उनका सशक्तिकरण हुआ है और यह परिस्थिति आकर खड़ी हुई है।

अगर मैं 'जल जीवन मिशन' के बारे में बात करूँ, तो मुझे याद है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहनें पहाड़ों से दो-दो किलोमीटर नीचे उतरकर पानी लेने के लिए जाती थीं। एक घैला पानी लाने में दो-दो घंटे लगाती थीं। नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई करके घर पहुंचना, यह परिस्थिति हमने देखी है। आज 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से दस करोड़ घरों को और 68 परसेंट पानी के कनेक्शन की कवरेज दी जा रही है।

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' में 70 परसेंट लोन्स सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई थी, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो आका लंबे समय तक राज करते रहे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि There is no triple talaq in Bangladesh, Pakistan, Iran, Iraq, Syria, Indonesia, etc. ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड देश रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में ट्रिपल तलाक चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी यह क्यों चल रहा था - क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे। अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। यह प्रधान मंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया, तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिया। ...(**व्यवधान**)...

इसी तरीके से, धरती से भेजे गए चन्द्रयान को चन्द्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाले स्थान को भी प्रधान मंत्री मोदी जी ने 'शिव शक्ति' के नाम से पहचान दी। वहाँ भी महिलाओं की शक्ति को जोड़ने और उसकी बात को कहा गया है। मैं यहाँ यह भी बोलना चाहूँगा कि इन सारे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, इसी में आज एक नई कड़ी जुड़ रही है और वह नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास करना है। मैं सभी से तो अपील करूँगा ही, लेकिन इससे पहले आपके सामने कुछ और विषय भी रखना चाहता हूँ।

मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि एक चर्चा यह चल रही है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी की चिन्ता नहीं की गई, ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, राजनीति में इस तरह के वक्तव्य चलते हैं। यह वक्तव्य चलते-चलते यहाँ तक पहुँच गया कि 70 सेक्रेटरीज़ में शायद 3 ही ओबीसी हैं। अब मैं इस बारे में सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। नेहरू जी के टाइम की

काका कालेलकर की रिपोर्ट कहाँ पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहाँ पड़ा हुआ था? उसका क्या हुआ, उसको क्या कर पाए? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज़ ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ीं। अब आप देखिए कि सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है, वह 1992 है। जो सेक्रेटरीज़ हैं, वे 1992 बैच के पहले के लोग हैं। ...(**व्यवधान**)... अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरीज़ ओबीसी के थे, वे ओबीसी के सेक्रेटरीज़ कहाँ थे, वे किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं बार-बार बोलता हूँ, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से काम नहीं चलता है। ...(**व्यवधान**)... यह tutored statement से काम नहीं चलता है और वह ट्यूटर भी कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है, आप एनजीओ को लेकर आ जाते हैं, जिनको न अता, न पता, न सता! जिन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं, वे आपको समझाते हैं और आप बोलते हैं, "I was shocked and shattered.' 'Shattered and shocked!" अरे भाई, shock तो लगना ही था, जब पूरा पढ़ना ही नहीं, तो shock ही लगेगा और क्या होगा? यह परिस्थिति आकर खड़ी होती है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा...(**व्यवधान**)... इस देश को ...(**व्यवधान**)...सर, पॉकेट में हाथ रखकर बोला नहीं जाता है, यह पार्लियामेंटरी एटिकेट नहीं है।...(**व्यवधान**)...सर, ये आज़ाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधान मंत्री भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने दिया, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... ये ओबीसी की बात करते हैं! ...(**व्यवधान**)... मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस, कांग्रेस। ...(**व्यवधान**)...भइया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस।...(**व्यवधान**)... दूसरा, आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं। ...(**व्यवधान**)...सर, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।...(**व्यवधान**)... देवगौड़ा जी हमारे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ।...(**व्यवधान**)... कांग्रेस। ...(**व्यवधान**)... I am not talking about Janata Dal. ***...(Interruptions)...*** I am talking about Congress; the first OBC Prime Minister has been given by NDA, who is Narendra Modi*ji*. Never has Congress given... ***...(Interruptions)...*** बीजेपी के 303 एमपीज़ में से 85, यानी 29 परसेंट हमारे एमपीज़ ओबीसी के हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसी तरीके से, 1,358 एमएलएज़ में से 27 प्रतिशत ओबीसी के हैं। Out of 163, हमारे जो एमएलसीज़ हैं, उनमें 40 परसेंट ओबीसी के हैं। जैसा मैंने कहा, 303 एमपीज़ में से 85, यानी 29 per cent MPs are from OBC. Out of 1,358 MLAs, we have 27 per cent OBC. And I repeat that among the MLCs, 163 हमारे एमएलसीज़ हैं, जिनमें से 40 परसेंट ओबीसी हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं फिर यह बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के जितने एमपीज़ हैं, उनसे ज्यादा तो हमारे ओबीसी के एमपीज़ हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मैं यह सिर्फ लोक सभा की बात कर रहा हूँ। अगर लोक सभा और राज्य सभा मिला लें, तो आपसे हम कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप ओबीसी की बात करें, जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दें! एक बार नहीं, अनेकों बार बोलें, मैं माफी नहीं मागूँगा! ...(**व्यवधान**)... इस तरह की बातचीत! ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सब लोगों का साथ मिलना चाहिए, सबकी सद्बुद्धि आए, सब लोग मिलकर चलें, नारी

सशक्तिकरण में अपने आपको जोड़कर चलें और इस काम में अपना योगदान दें। हम ओबीसी समर्थक होते हुए भी समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूँ और सबसे समर्थन माँगता हूँ।

**श्री सभापति** : सुश्री दोला सेन। Madam, nine minutes.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak on Women's Reservation Bill in my mother tongue, Bangla, and thanks to my Party, All India Trinamool Congress, and my respected leader, hon. Mamata Banerjee, for giving me a chance to be in the Council of States, Rajya Sabha, for the third term so that I get a chance to take part in policy-making debates over here.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.]

*"After governing for about 9.5 years, suddenly just on the eve of the 2024 Lok Sabha elections, the present ruling party has started to rush with this Constitution amendment. Yesterday, Lok Sabha sat late till about 10 pm. Rajya Sabha may also sit late today." बुरा मत मानिएगा, बंगला में एक कहावत है- "Vote baro balai"* इलेक्शन का कम्पलशन है, भाई! *" Somehow, the Opposition unity and I.N.D.I.A. alliance have made the Treasury Benches worried. So these are back to back election stances. New Parliament House was inaugurated." हमारी तो आदत ही हो गई थी कि प्रधान मंत्री जी संसद आते हैं, लेकिन हाउस के अंदर बहुत कम आते हैं, हाउस के अंदर और भी कम बोलते हैं। वह दु:ख भी इस बार पहले दो दिनों में उनको चार बार सुनने के बाद चला गया। विमेंस रिज़र्वेशन को लेकर नारी शक्ति वंदन कहकर इसको पास कराना है। बहुत खूब!

We would appreciate it. Better late than never. साढ़े नौ साल ही सही, थोड़ी विलम्बित सोच ही सही, we will certainly support the Women's Reservation Bill in this House with all our criticism. *"But one thing; the way in which from both the Houses of Parliament, it is being claimed that the sole credit for this goes to the Treasury Benches and Modiji, I am sorry to say, but this is not at all true, this is not just their credit. The process had started way back. In the year 1992, the Bill to reserve one-third seats for women in the Panchayat and Municipalities was passed in the Parliament. Women's Reservation Bill to reserve seats in Lok Sabha and Assemblies was never passed before. But efforts were there several times. In 1996, Smt. Gita Mukherjee of CPI had presented this Bill in Parliament. But it was not passed then. Thereafter, the Joint Parliamentary Committee which was constituted for the purpose

* English translation of the original speech delivered in Bangla

was headed by Smt. Gita Mukherjee. Our leader, Mamata Banerjee was also a member of the Committee. She had raised this demand in the year 1998 and many times thereafter also. In 2010, though it was passed in Rajya Sabha, Lok Sabha could not pass it. The role of Sushma Swaraji ji is also worth mentioning with regard to this Bill." हम तहे-दिल से गीता दीदी, सुषमा जी और दीदी को नमन करना चाहते हैं। *"Secondly, though because of compulsion of election, it will be passed now, but it will not be implemented instantly. Unfortunately, the census which is to be conducted every 10 years and which is due since 2021, has not been conducted as yet by this government." मोदी है, तो मुमकिन है, इसीलिए तो सेंसस और उसके साथ-साथ delimitation आदि सब वर्ष 2026 के बाद होगा। वर्ष 2027, 2028 या 2029 भी हो सकता है, और देर भी हो सकती है। यह नारी शक्ति वंदन पास करा कर और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा? जैसे एनपीआर, एनआरसी, सीएए को ज़बरदस्ती पास करा दिया गया, जबकि उनमें implementation करने का दम नहीं है। वह एक जुमला बन गया है। किसान बिल के लिए सबको सस्पेंड करके पास करा दिया, फिर वह वापस revoke हो गया, वह भी एक जुमला बन कर रह गया। लेबर कोड को पास करा कर अभी तक रूल फॉर्मेशन नहीं करने का जुमला बन गया। काला धन वापस होगा, यह एक जुमला बन गया। हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपये देने का जुमला, साल में दो करोड़ नौकरियां देने का जुमला - क्या इस लिस्ट में यह विमेंस रिज़र्वेशन भी जुड़ेगा? डर लगता है। *"We are afraid, very afraid. We believe that women are half the sky. But half the population is suffering like anything. Most of them are reeling below the poverty line. These women have not been able to enjoy the necessities of life. Thus, the economics of every household has reached its nadir now, in the last 50 years. The ordinary women are in deep crisis today. During demonetization, our harassed countrymen had to queue-up in front of the banks, about 150 people lost their lives in the process. However, each and every penny which had been safely deposited in the piggy banks of our mothers or grandmothers, money which had been saved under the pillows, quilts and mattresses could not be exchanged. Thus, demonetization had hit the women folk most adversely. During Covid period, mostly the women had lost their jobs. They have been devastated. The women employees of BSNL, SAIL, BHEL and Railways bore the brunt of the new policies of privatization, corporatization and disinvestment. The profitable PSUs have been sold out and women were impacted adversely due to that along with all the workmen. Therefore, only reservation is not enough. Women have to be brought in the forefront at every step. So, employment opportunities for women, social dignity and respect everywhere - all these are equally significant.

Overall, in the name of women empowerment, only providing Ujjwala gas connections, 5kg food grains, toilets under Swachh Bharat Mission and Janadhan or

* English translation of the original speech delivered in Bangla

Mudra schemes and calling women as goddesses is not sufficient. To empower women 24/7, I would request the Treasury Benches to please visit Bengal. We have our Didi there. Learn from her. That will be useful for the people of the country, particularly for the women. Emulating Didi's 'Kanyasree' scheme, "Beti Bachao Beti Padhao" was introduced. "Ayushman Bharat" was inspired by her 'Swasthya Sathi' scheme. "PM Kisan Nidhi" was inspired by her 'Krishak Bondhu'. Similarly to learn how to worship women power, take lessons from her, please.

She is the only woman Chief Minister of the country today and moreover, in 27 years she became MP for 7 times, became Minister for 6 times, and now continuously for the 3rd term, she is the Chief Minister of Bengal. She came up from the lower rungs of the society after immense suffering; she was beaten but she did not die, didn't give up. She struggled, she fought and passed BA. MA, LLB, not as a daughter or wife of any politician but on her own, due to her grit and talent. Now she is hailed as a social reformer after providing the basic necessities of life enshrined as fundamental right in the Constitution like food, clothing, shelter, education, health facilities and has touched the lives of millions of people. In our Bengal, not only 33% reservation in Panchayat and municipalities is there but we have 50% reservation for half of the population. In Lok Sabha and Assembly, the reservation is beyond 33%, it's almost 40-45%." आप मेरा reference भी ले सकते हैं, mainstream politics में, male dominated sector Trade Union में, दीदी ने मुझे पिछले 12 साल में 10 बरस स्टेट प्रेज़िडेंट और 2 साल से ज्यादा समय से ऑल इंडिया प्रेज़िडेंट बना रखा है। I am honoured. यह और किसी पार्टी में नहीं है। *"In our social sector, for women and also for others, whatever has been done has never been done anywhere in the world. Five most important foundations of women empowerment at the international level are education, health, security, finance and emotion. Let me cite an example. When a lady becomes pregnant, through 'Matri Maa' portal, her health gets tracked and, in the process, approximately 1.25 crore women undergo regular checkup, 7.5 lakh mothers are provided with all kinds of medical assistance. By encouraging birth of babies in the hospitals instead of homes, maternal mortality has been arrested to a great extent. In 2011, the rate of institutional delivery was 68.10% which has been increased to 99%. Thus, maternal mortality rate has come down from 117 in 2011 to 109, much below the national average too of 113. In the ICDS centres, along with 70 lakh children, 13 lakh pregnant women and new mothers get cooked nutritious food daily for 26 days every month. Under 'Kanyasree' scheme, from October 2013 in K-1 every year, Rs.1,000/- for 5 years, in K-2 Rs. 25,000/- as one-time grant at the age of 18 years, in K-3 at the university level, Rs.300 crores as scholarship for higher education have already been

* English translation of the original speech delivered in Bangla

spent. Under 'Ruposree' scheme, Rs. 25,000/- is given as one time grant for marriage of poor and middle-class girls and till this date, 15 lakh girls have already benefitted. 27 lakh widows get widow pension of Rs. 1,000/- per month. Out of 16 lakh beneficiaries of old age pension, 15 lakhs are women. Earlier, they used to get only Rs.300- 400. Now they are getting Rs.1000. Under 'Lakhhir Bhandar' scheme, from the age of 25 years till 60 years, monthly grant is given on account of which about Rs. 8000 crores have been spent in the fiscal year 2022-23. Under 'SwasthyaSathi' Programme, the name of the senior most lady of the family is registered. She and her family members receive medical assistance to the tune of Rs. 5 lakhs. There are 12 lakh self help groups which are self-reliant. 10,88,000 self help groups have received Rs. 88,848 crores so far. To maintain the law and order situation and particularly for the safety of women, 49 new women police stations have been set up. Under 'Sayamsidhha' Scheme, 40,000 self-help groups have been created who are ready to defend themselves. 'Karmanjali' hostels have been built for the working women at various places. That is why it is said that 'what Bengal thinks today, India thinks tomorrow', i.e., Bharat thinks tomorrow. Not only Bengal. You should also learn from the schemes like free public transport for ladies in Delhi, 'Grihalakshmi' scheme of Karnataka, Skill Development programmes of Punjab."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dolaji, your time is over. Time is over.

MS. DOLA SEN: *"If you follow the initiatives of Didi of Bengal and partner states of I.N.D.I.A alliance, the women of the country will be able to forge ahead. *Amrit Kaal* is being talked about. In this context, let me remind you that the women had played an unforgettable role in the freedom struggle of the country. Thus, not only founding fathers, but founding mothers also are no less in numbers. Your predecessors may not have participated in the freedom movement in large numbers. Even then, let me say that this women worship or women empowerment can be dedicated to the distinguished, unforgettable women leaders of the nation who had sacrificed everything for their motherland. Can't we do that? The government should think about it." (*Time-bell rings.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

MS. DOLA SEN: *"Let me flag another issue of great shame and misfortune. Manipur is the only state of the country where women reservation is already 50% for a long

* English translation of the original speech delivered in Bangla

time. But in that empowered state, mothers and sisters are being disrespected. Their rights to life, civil liberties are being trampled upon. Six months have passed. When will the double engine government take charge and save Manipur and Manipuri's mothers in coming days? "

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would be calling the next speaker now. Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude. Your time is already over.

MS. DOLA SEN: *"I will conclude by supporting this Bill and quoting Rabindranath Tagore, who had written for all of us and for women too;"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling the next speaker, Dr. Kanimozhi NVN Somu. Your time is up. ...*(Interruptions)*... Please be seated. ...*(Interruptions)*... Ms. Dola Sen, please conclude. Thank you.

MS. DOLA SEN: * "*Shying away in hesitation is self-humiliation*
*Never be cowed down by imaginary crisis.*
*Free yourself from fear*
*Unleash inner strength and be victorious.*
Thank you."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Kanimozhi, you have ten minutes.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to express our support to the Women's Reservation Bill, under the leadership of our Chief Minister, *Thalapathi* M.K. Stalin, yesterday, today and forever. But for our beloved leader, Dr. Kalaignar, I would not be standing before this august gathering. He is one of the greatest leaders we had and had been a strong advocate of women empowerment. *Thanthai* Periyar, a visionary social reformer who fought for the rights of women a century back, has proclaimed that only a society that does away with slavery of women can grow, and that is real growth.

He always said # which means, '*from the kitchen to the classrooms for women*', which had been the Dravidian Movement vision from early 1920s. From the time immemorial, Tamil Nadu has a glorious tradition of recognising the importance of empowering women. We had empowered women in the Sangam Age, even about

---

* English translation of the original speech delivered in Bangla

# Honourable Member spoke in Tamil.

2000 years ago. The Tamil poetess Avvaiyar and the two most celebrated Epics of Tamil literature Silapathikaram and Manimeghalai glorify the power of women during the Tamil Sangam period. Kannagi and Manimeghalai, who are revered like the Goddesses and the poetess Avvaiyar are the testimonials for the greatness of womanhood in making the enlightened society. 'Women's reservation is a matter of right and not a favour to us', Tamil poet, Bharathiyar, proclaimed a hundred years back. He also hailed the bravery and character of women as [#] which means, "*if we consider men and women equal consciously, then, that society flourishes*."

As you all believe the concept of Ardhanarishvara, who gave half of his body to woman, according to that belief, without woman power, there is no life. This is the concept of life.

Our Indian Constitution has conferred and guaranteed equality before the law, universal adult franchise and equal opportunity to man and woman as fundamental rights. I would like to take this august House way back to 1921 to remind that the right to vote for women was given by Justice Party in Madras Presidency, followed by Tamil Nadu in 1927, as its first representation by a woman, Dr. Muthulakshmi Reddy, who was empowered with education. In 1996, the UPA-I along with our Party, DMK, brought about the Women's Reservation Bill which could not be passed at that time, which nobody could forget. In 2010, the UPA-II, along with the DMK Party, passed the Women's Reservation Bill in Rajya Sabha. Now the current Government is presenting the same Bill after 9.5 years of its regime, when they could pass the controversial Bills like Farmers' Bill, the CAA Bill, the Bill relating to Kashmir, the EWS Bill for 10 per cent quota, etc. Even the last evening, the Central Government announced that NEET PGs could get their post-graduation seats secured in the country even if they get zero marks. If the Government had done their homework on the Women's Reservation Bill, it could have been done in a better way. Our Party, DMK, played a role in passing the resolution, which provides 50 per cent reservation for women representatives themselves in urban local bodies. Tamil Nadu is the first State to do so in India. Under the dynamic leadership of our successive Chief Ministers of Tamil Nadu right from Arignar Anna, Tamil Nadu stands first in many initiatives meant for the welfare and development of women. Muthamil Arignar Dr. Kalaignar passed a law to ensure that women have legal rights over their ancestral properties decades ago. Dr. Kalaignar is the one who increased the financial support to several women through welfare schemes decades ago. Today, we have all-women police stations, women commandoes that has clearly shown the world the ways to achieve the empowerment of women. The Government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of Dr. Kalaignar, has framed various policies, designed specific

---

[#] Honourable Member spoke in Tamil.

interventions and implemented many programmes to empower women. Periyar E Ve Ra Nagammai Scheme - free coaching exclusively for women students, Entrepreneurship Awareness Programme, Tamil Nadu Corporation for Development of Women, Establishment of Self-Help Groups for Sustainable Economic Growth, the Entrepreneurship Development Training Programme for Women, Skill Upgradation Training Programme, etc., are some of the path-breaking schemes implemented in Tamil Nadu under the guidance of our beloved leader Dr. Kalaignar. The nation and its growth is in the hands of women and all-round efforts are being made by the DMK regime for their empowerment. The Dravidian Movement growth is all-inclusive and it includes both men and women. Nothing is planned excluding women in Tamil Nadu. Following the footsteps of trio of social justice and Dravidian Model, Thanthai Periyar, Perarignar Anna and Muthamil Arignar Dr. Kalaignar, initiatives and schemes for women empowerment are being implemented by the DMK Government. Continuing the legacy of the Dravidian Movement and the Dravidian Model of Governance, today, under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, we have improved upon women welfare schemes that are being implemented in Tamil Nadu over the last five decades. Some of them are: Equal rights for women in family properties since 1989; increase in reservation for women in Government jobs to 40 per cent; Dr. Muthulakshmi Maternity Benefit Scheme, which aims at ensuring maternal nutrition; schemes for education; marriage assistance and remarriage; fare-free travel for women in Government-run city buses. The Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Higher Education Assurance Scheme provides financial assistance Rs.1,000 to girls till they complete their recognised course. The Government of Tamil Nadu has launched the grand social welfare initiative for women, Kalaignar Magalir Urimai Thogai Thittam on September 15. Through this scheme, monthly financial assistance of Rs.1,000 is provided to 1.06 crore eligible women in the State of Tamil Nadu.

The plethora of welfare programmes has engineered the empowerment of women in Tamil Nadu. Under the Dravidian model of social justice-led all inclusive growth, the Government is implementing more schemes for education, social justice and for women and their rights. Tamil Nadu is a role model State in the country and full credit goes to the Dravidian Movement and the Dravidian Model Government by our extraordinary leaders. No State in India can boast of such an overall growth of women in all walks of life other than Tamil Nadu. Be it education, employment and empowerment, it is the key to our success. And 'Yes', Tamil Nadu has done the homework in a right manner.

The sad part of the design by this Government is that the women in this country will have to wait further a long way, at least, till 2029 to rise to their fullest potential to force their way into Parliament and State Legislative Assemblies even if the Women's Reservation Bill is passed in our Parliament today. The provisions of Article 334 of the Constitution, relating to the reservation of seats for women in the House of the People and the Legislative Assembly of a State, shall come into effect after the exercise of delimitation is undertaken for this purpose, after the first census taken, onthe enactment of the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023, has been published and shall cease to have effect on expiration of a period of fifteen years from such commencement. I would like to say that the Government is conducting the marriage engagement now or the betrothal function, which we would rather call it, but we don't know when the marriage is. In Tamil, we have a proverb saying: # which means, *the one that reached the hand did not reach the mouth.* That is the present situation of women in India. So, I appeal the current Government to pass the Bill for 2024 parliamentary elections without fail, not keeping it pending for delimitation or the census which has to be taken. Your sinister design would be understood by the people of the country and they clearly know your intention is not to implement the reservation for women, but to create a confusion amongst the women in India. The nation wants to know: Can the Minister answer or pinpoint a date when the Women's Reservation Bill will be implemented after it becomes an Act? Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Kanimozhi. You have concluded before time. I hope others will follow you because there are more than 60 speakers. माननीय श्री संदीप कुमार पाठक।

**श्री संदीप कुमार पाठक** (पंजाब): उपसभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से विमेन रिज़र्वेशन बिल का समर्थन करता हूं। हमारा देश ऐसा देश है, जहां पर देवियों को पूजा जाता है - जैसा कि नड्डा जी ने बड़े elaborate तरीके से explain किया। उन्होंने कहा कि देवताओं से ऊपर देवियों को रखा गया है। यह ऐसा देश है, जहां पर कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है और शंकर जी से पहले भवानी का नाम आता है। हम ऐसे देश से belong करते हैं।

सर, सामाजिक व्यवस्था के कारण, बहुत सारी परिस्थितियों के कारण राजनीति में महिलाओं को जो उचित स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। इसलिए देश के लिए, समाज के लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इस आइडिया को सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी

# Honourable Member spoke in Tamil.

जी के द्वारा लाया गया था। 1987 से लेकर आज तक इस आइडिया को बिल के रूप में परिवर्तित होने में 35 साल लग गए। हम बड़े उत्साहित थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को लेकर आई है। जब इस बिल के अंदर देखा, तो हमें यह पता चला कि यह बिल* देने वाला बिल है, महिलाओं को * बनाने वाला बिल है। यह बिल महिलाओं को रिज़र्वेशन नहीं दे रहा है, बल्कि यह महिलाओं से रिज़र्वेशन ले रहा है। मैं बताता हूं कि ये कैसे करेंगे।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kindly check आपने * और * शब्दों का इस्तेमाल किया, वे असंसदीय हैं। आप बोलने में संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें।

SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK: You may take the appropriate decision.

**श्री उपसभापतिः** यह देखना आपका काम है, मेरा नहीं है। आप संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें।

**श्री संदीप कुमार पाठकः** जिस तरीके से बहुत सारे जुमले दिए गए, यह भी उन जुमलों में से अगला जुमला है। जुमला दिया गया कि 18 करोड़ जॉब्स मिलेंगी, नहीं मिलीं और वह एक जुमला निकला। किसानों को फसल का दोगुना भाव मिलेगा - यह भी जुमला निकला। काला धन वापस आएगा, जुमला निकला। महंगाई कम करेंगे, जुमला निकला। उपसभापति महोदय, इस बिल पर भी जिस तरीके से यह पेंच अड़ाया गया है, इस संबंध में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पेंच अड़ाया गया है। यह पेंच जिस तरीके से अड़ाया गया है, ऐसा लगता है कि यह भी मात्र एक जुमला साबित होने वाला है। अमृत काल एक बहुत अच्छा नाम है। सुनकर अच्छा लगता है, अमृत काल में कौन नहीं रहना चाहेगा! अमृत काल एक संभावनाओं का समय हो सकता था, यह अपार संभावनाओं का समय हो सकता था। यंग नेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन संभावनाओं को जिस तरीके से स्लोगन में और जुमले में बदल दिया गया है, यह इस देश का दुर्भाग्य है और यह दुर्भाग्य है अमृत काल का, जो इस समय राइटली डिज़र्व करता है।

उपसभापति महोदय, दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई काम किए हैं। उसने सीसीटीवी लगाए हैं, जो विश्व में किसी भी देश की नेशनल कैपिटल में जितने सीसीटीवी लगे हैं, उससे ज्यादा हैं। आप देखेंगे कि बसों में बस यात्रा फ्री की गई है, बसों में मार्शल लगाए गए हैं। जब-जब आपको ऑपर्चुनिटी मिलती है, जब-जब संभावना मिलती है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, यह आपकी नीयत को दिखाता है और यह स्पष्ट करता है कि आपकी करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। 1987 में राजीव गांधी जी ने एक कमेटी बनाई और उसमें National Perspective Plan फॉर्मुलेट किया गया। इस फॉर्मुलेशन में विमेंस रिज़र्वेशन को सबसे पहले रखा गया। उसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव जी द्वारा 1992 में 73वें और 74वें अमेंडमेंट लाकर पंचायत

* Expunged as ordered by the Chair.

और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन्स में 33 प्रतिशत रिज़र्वेशन लाया गया। आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि लगभग 15 लाख से ज्यादा विमेन आज पंचायत और जिले के दूसरे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। यह जर्नी 1987 से 2023 तक 35-36 साल का सफर कर चुकी है।

उपसभापति महोदय, इस बिल के तीन हिस्से हैं। पहला - रिज़र्वेशन, जिसमें 33 प्रतिशत के रिज़र्वेशन की बात की जाती है और जितना रिज़र्वेशन एससी, एसटी समुदाय को मिला है, उसमें भी 33 परसेंट रिज़र्वेशन की बात करता है। उपसभापति महोदय, उसके बाद दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने यह रखना चाहता हूं। कमेंसमेंट - कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा - इसके बारे में यह कहा गया है कि पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद यह लागू हो सकता है। अभी नड्डा जी ने स्वयं कहा कि 2029 से पहले तो यह संभव ही नहीं है। यह संभव है - अगर बीच में एक-दो अड़चनें आ जाएं, तो यह आगे भी कितने साल जाएगा, यह भी किसी को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज जिस बिल पर हम डिबेट कर रहे हैं, आज जिस बिल को पास करने के लिए सारे इकट्ठा हुए हैं, उसके भविष्य का किसी को कोई अंदाजा नहीं है।

तीसरा पक्ष इसमें रोटेशन का है। आप देखेंगे कि जब भी रिज़र्वेशन की बात होती है, तो रोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बिना रोटेशन को क्लैरिफाई किए आप बिल कैसे ला सकते हैं! आप एक बहुत बड़े बिल को सामने ला रहे हैं। उसमें न तैयारी की गई है और न ही उसमें प्रॉपरली रोटेशन को रखा गया है। 2008 में या उससे पहले जो बिल आए थे, उनमें सही या गलत हो, यह अलग बात है, लेकिन उनमें रोटेशन्स को स्पेसिफाई तो किया गया था! इस बार यह लिखा गया है कि डीलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी चुनौतियां और कमियां हैं।

उपसभापति महोदय, अगर इसको क्लोज़ लुक लेकर देखते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि किस तरीके से इस बिल को लाया गया, किस सीक्रेसी के साथ इस बिल को लाया गया। देश का यह इकलौता बिल होना चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हैं। इस बिल में सीक्रेसी की क्या जरूरत है, इसमें तो सारे लोग सहमत हैं! जिस तरीके से इस बिल को लाया गया है, यह सीक्रेसी वाली बड़ी विचित्र परिस्थिति है। कुछ समय पहले खबरों और मीडिया में अडाणी जी के बारे में काफी खबरें आईं और बहुत सारी खबरें आने के बाद मीडिया को डायवर्ट करने के लिए यह प्लान बनाया गया कि अब क्या किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Only that will go on record as per the rule*...(Interruptions)...* प्लीज़, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप नहीं बोल सकते हैं, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please speak only on the Bill. आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। आपका समय खत्म हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK: I will speak only on the Bill. I will not disappoint you or the nation. This is purely on the Bill.

**श्री उपसभापति:** आप विधेयक पर ही बोलिए। वही रूल्स के तहत रिकॉर्ड पर जाएगा।

**श्री संदीप कुमार पाठकः** जिस तरह अडाणी जी के बारे में खबरें आईं ...(**व्यवधान**)...मीडिया को डायवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ गई। सारा मीडिया वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने लगा। उसके बाद यह बात आई कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा। पूरे मीडिया का डिबेट और डिस्कशन इस बात पर चला गया कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा। फिर 18 सितम्बर को मीडिया में खबर आती है कि विमेंन रिज़र्वेशन बिल को लाया जाएगा। इस संबंध में किसी को कोई आइडिया नहीं है। यह कैसी डेमोक्रेसी है, जिसमें बाकी के विपक्ष के नेताओं को जानकारी होने से पहले मीडिया में बात आती है और मीडिया के द्वारा पता चलता है! फिर 19 सितम्बर को सरकार कहती है कि विमेंन रिज़र्वेशन पर बिल आ रहा है - यह विचित्र परिस्थिति है।

उपसभापति महोदय, इससे अब तक दो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो सरकार की तैयारी नहीं थी। यह स्पष्ट दिखता है कि किसी भी चीज़ पर कोई भी एलैबोरेशन नहीं है। एक तो तैयारी नहीं है और दूसरा नीयत नहीं है। यह बिल हड़बड़ी में और बिना मन के लाया गया है। अब इसे कैसे करें - बिल लाना है, मीडिया को डायवर्ट करना है, तो क्या करें! इसका क्रेडिट भी लेना है, पर करना नहीं है - इनका यह आइडिया है। उपसभापति महोदय, अब मैं आपके सामने दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती एस. फान्गनॉग कोन्याक**) *पीठासीन हुईं।*]

वह जनगणना और डीलिमिटेशन के बारे में है। इसमें यह पेंच फंसाया गया है कि रिज़र्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद यह किया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता - अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी देखें, तो जनगणना और डीलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकलकर आएगी, जिसके आधार पर रिज़र्वेशन किया जाएगा! जनगणना या डीलिमिटेशन से तो कुछ भी निकलकर नहीं आएगा, जिस पर रिज़र्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है, जो जनगणना से निकलकर आएगा। अगर करने की मंशा है, तो आज हमारे पास 543 सांसद हैं, उन पर क्यों हम सीधे 33 परसेंट लागू नहीं करते हैं? यह सरकार की तरफ से तो आया ही है, मेरी पार्टी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सारी पार्टियां तैयार हैं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बिल हो सकता था, जो अद्भुत होता, सभी इसका समर्थन करते और तुरंत, एक ही दिन में, एक ही झटके में, अगले चुनाव में पूरा रिज़र्वेशन होता। लेकिन चुनाव आ गया है और क्रेडिट लेना है, पर रिज़र्वेशन करना नहीं है। पिछली सरकारें भी बिल लाई थीं। आप पिछली सरकारों के बिल उठाकर देख लीजिए। पिछली सरकारों के किसी भी बिल में यह प्रावधान या पेंच नहीं था। इस पेंच को इस बार लगाया गया है। इसके बारे में सभी माननीय लीडर्स ने बताया। किसी को तो एलैबोरेट करना चाहिए। बाकी की बातें करने के बजाय यह बताना चाहिए कि क्या कारण था कि डीलिमिटेशन और सेंसस को इसमें इन्ट्रोड्यूस किया गया है, किस कारण से इस पर बाध्य बनाया गया है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। हमें तुरंत यह रिज़र्वेशन चाहिए। इसको डिले क्यों किया जा रहा है? मैं उसका कारण बताता हूं। ...(**व्यवधान**)... भारतीय जनता

पार्टी में स्वयं के अंदर इतने कंट्राडिक्शन्स हैं कि पिछली बार जब यह बिल आया था, तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि व्हिप की क्या जरूरत है, हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं। पार्टी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, जैसा आडवाणी जी के यहां डिस्कस हुआ था। अगर पार्टी नहीं मानती है, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा - मैं यह क्वोट करके कह रहा हूं, यह आदित्यनाथ जी का बयान है। यह पूरी मीडिया में है। उसके बाद लालमुनि चौबे जी, मृदुला सिन्हा जी, तेजस्वी सूर्या जी, अमित मालवीय जी, आप किसी को भी ले लीजिए, सब पब्लिक डोमेन है, सबने इसका विरोध किया था। अमित मालवीय जी ने तो यह भी लिखा था, मैं ट्विटर से क्वोट कर रहा हूं, "Sonia*ji* holding the nation to ransom just to fulfil her agenda to see Women's Reservation Bill passed." That is true. That is precisely the case. सर, चूंकि बिल को पास करने की इच्छा मन के अंदर नहीं है, लेकिन क्या करें, चुनाव आ रहा है और क्रेडिट लेना है! चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, बिल पास करो, लेकिन उसको लागू मत करो! यह डीलिमिटेशन वाला पहला फॉर्मूला नहीं है, यह पहले किया जा चुका है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में इन्होंने डीलिमिटेशन के नाम पर चुनाव को रोक दिया। छः-सात महीने डीलिमिटेशन किया और अगड़म, बगड़म, तिगड़म सब किया, लेकिन अंत में क्या हुआ - चुनाव हार गए। ऊपर वाला यह सब देखता है। महोदया, ऐसे कोई षडयंत्र सफल नहीं होते, जो देश के खिलाफ हैं। इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूं। मैंने सेंट्रल हॉल में प्रधान मंत्री जी की स्पीच सुनी। मेरे लिए गौरव की बात थी, मैं एक नया पार्लियामेंटेरियन हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इफ और बट नहीं होना चाहिए, सीधे-सीधे काम होना चाहिए। दो दिन के बाद बिल लाया गया और इस बिल में सेंसस और डीलिमिटेशन - यह वही इफ और बट है जिसकी बात प्रधान मंत्री जी कर रहे थे। प्रधान मंत्री जी, आपको दो दिन भी नहीं लगे इफ और बट लगाने में। प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया, उसका क्या हुआ, आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है?

मेरा अगला महत्वपूर्ण मुद्दा नारी सम्मान का है। नारी सम्मान के मुद्दे पर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। नड्डा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया।

हमारे देश में महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है, यह हमारे धर्म की संस्कृति है। यह हमें किसी पार्टी ने नहीं दी है, हमें किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है कि हम देवियों की पूजा करते हैं। आप बताइए कि आपकी सरकार ने ऐसे क्या काम किए हैं, जिनसे नारियों का सम्मान बढ़ सके! थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारी जो विमेन रेसलर्स हैं, वे रोड पर बैठ कर प्रोटेस्ट कर रही थीं, धरने पर बैठी थीं, सारा देश उनके साथ खड़ा था, क्या प्रधान मंत्री जी के पास उनको बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था! * यही नहीं, मैं हरियाणा का एक और उदाहरण देता हूं।

मैं भारतीय जनता पार्टी को contest करता हूं जिससे पूरी बात निकल कर आए। * ऐसी क्या परिस्थितियां हैं! भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत मजबूत है, उसे इतनी brute majority मिली हुई है, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में ऐसा क्या हो गया जो संदीप सिंह जैसे लोगों को, बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को नहीं निकाला जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी रही है,

* Expunged as ordered by the Chair.

जिसके कारण उनको नहीं निकाला जा रहा है? क्या यह है नारियों का सम्मान! बाकी का मैं आपको क्या बताऊं? आप कठुआ ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, इसका अंत नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है । मैं तो इतना ही समझ पाया हूं कि जो नारी बचाओ का स्लोगन है, वह पैकेजिंग है। जब आप पैकेजिंग खोलते हैं, तो उसमें से ब्रजभूषण सिंह निकलते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद भी यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। यह बिल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बिल को नहीं रोकेंगे। यह बिल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पहली लोक सभा बनी, तब लगभग 5 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आई थीं और अब लगभग 15 परसेंट हो गई हैं। देश की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि पहली लोक सभा से लेकर आज तक, 5 परसेंट से 15 परसेंट तक आने में ही इतने साल लग गए। मैं उन सभी माताओं, बहनों और जो हमारी पार्लियामेंटेरियन साथी हैं, इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्ज़ हैं, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में चुनकर आई हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि विषम परिस्थितियों में आपने अदम्य साहस दिखाया, आप ऐसी परिस्थितियों में भी चुनकर आईं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।

आप देखिए, अगर हम Scandinavian countries को लेते हैं, जैसे आप स्वीडन को लीजिए, नार्वे को लीजिए, वहां पर 45 प्रतिशत के आस-पास असेम्बलीज में वूमेन रिप्रेजेंटेशन है। आप इंग्लैंड में देखेंगे, तो वहां पर 35 परसेंट रिप्रेजेंटेशन है, आप अमेरिका में देखेंगे, तो वहां पर 29 परसेंट रिप्रेजेंटेशन है। जापान ही ऐसा ऐक्सेप्शन है, जो इंडिया से नीचे है। उसके यहां पर दस प्रतिशत वूमेन रिप्रेजेंटेशन है।

हमारे देश में 33 प्रतिशत रिज़र्वेशन की बात पहली बार नहीं हो रही है। अगर हम देखें, तो पंचायती राज और कॉरपोरेशन में रिज़र्वेशन है। हमें इसे रिव्यू करना चाहिए कि इसको और कैसे अच्छी तरह से इम्प्लिमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, तो 1996 में जेपीसी कांस्टिट्यूट हुई थी, 2008 में स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। इस स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में दो-तीन बातें निकलकर आई थीं, जो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। सबसे पहली बात तो रोटेशन की है। हमें रोटेशन को बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, जैसा कि नड्डा जी कह रहे थे कि अगर मैं वायनाड सीट को वूमेन सीट कर दूं, तो क्या होगा? अब इंडिया पार्टी अगर कहेगी कि बनारस की सीट को वूमेन के लिए कर दें, तो क्या होगा? ऐसे तो कुछ भी किया जा सकता है। अगर रोटेशन को पॉलिटिकल टूल बनाया गया, तब तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। रोटेशन की जो पॉलिसी है, उसको देश के सामने deliberate करना पड़ेगा।

मैं आज एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। पंचायत के माध्यम से जो 15 लाख से ज्यादा वूमेन चुनकर आईं, उनमें से लगभग 15 परसेंट ही री-इलेक्ट हुईं। इसका मतलब है कि 85 per cent were first timers. 85 per cent वापस री-इलेक्ट होकर नहीं आईं। इसका मतलब है कि यह बड़ा टेम्परेरी वन-शॉट वंडर जैसा होता गया है। यह रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 15 परसेंट लीडरशिप रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि इसको समझने की और deliberate करने की जरूरत है कि ऐसा क्या करें कि वूमेन लीडरशिप को जब तक persistently और consistently आगे नहीं रखेंगे, तब तक लीडरशिप डेवलप होने की संभावना नहीं रहेगी और यह पॉलिटिकल पार्टी की एक टूल बनकर रह जाएगी।

एक और बात proxy leadership की है। जैसा कि उपसभापति महोदय स्वंय कह रहे थे कि प्रधानपति की और सरपंचपति की बहुत बातें चलती हैं। मैं भी गांव से आता हूं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI PHANGNON S. KONYAK): Hon. Member, you have one minute to conclude.

SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK: I am concluding, Madam. प्रधानपति की और सरपंचपति की बातें सामने निकलकर आती हैं। यह भी संभव है कि कई बार अगर आप वूमेन सीट रिज़र्व करते हो, तो बड़े-बड़े लीडर्स अपने रिश्तेदारों को वहां पर खड़ा कर देते हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि प्रॉक्सी लीडर्स तैयार न हों और सचमुच में असली लीडर्स तैयार हों।

मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना थी – मध्य प्रदेश में तो ये जो सरपंचपति और प्रधानपति हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के बिहाफ पर ऑफिशियल तरीके से ओथ ले ली। इन सारी चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा। अंत में, मैं देश को यह बताना चाहता हूं कि आज नम्बर है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार हैं, अगर आपकी नीयत है, तो इसे आज पारित करते हैं और इसी चुनाव से महिलाओं को 33 प्रतिशत रिज़र्वेशन देते हैं। अगर नीयत नहीं है, तो जुमला बेचना बंद करो। अमृत काल की संभावनाओं को जुमले में मत बदलो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI PHANGNON S. KONYAK): Thank you. Now, Shrimati Mamata Mohanta.

SHRIMATI MAMATA MOHANTA (Odisha): *"Thank you, Madam, for allowing me to express my views on the historic Women's Reservation Bill. Equal rights have been given in all spheres of society except the political one. Through this Women's Reservation Bill, this would be made possible. On my behalf and on behalf of my party, Biju Janata Dal, I fully support this Bill.

Since times immemorial, Odisha has been giving rightful place and due respect to women. The great son of the soil and the then Chief Minister of Odisha, Shri Biju Patnaik had played a vital role, and had taken a unique step in upholding the respect of women. During that period, a tribal woman organiser, Sumani Jhodia of Rayagada district was conferred with the power of an SP. This authority was conferred on her for fighting against the menace of bootlegging liquor. Moreover, Biju Babu also made her an advisor. By providing 33% reservation in the Panchayati Raj elections in the year 1992, he gave due respect to women. He knew that an empowered and self-reliant woman contributes to the progress of a country, state and village. After him,

* English translation of the original speech delivered in Odia.

his able son and my leader, Hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik provided for 50% reservation for women in the Panchayat and municipal elections in the year 2012. In the 2019 general election, the Biju Janata Dal had provided 33% reservation and had given 7 tickets to women for the Lok Sabha elections. 41% of elected MPs in the Lok Sabha from Odisha are women. Shrimati Pramila Bisoyi, who has been a representative of Mission Shakti, as well as Ms Chandrani Murmu have had the opportunity of representing the state of Odisha as the senior most and the youngest MPs respectively. Starting from Odisha's Mayurbhanj district to Malkangiri and from Kalahandi district to Kendrapada, 50% of women are represented in Panchayat, Block, Zilla Parishad and urban local bodies. Through Mission Shakti, around 70 Lakh women of Odisha are getting economically empowered and self-reliant. The hon. Chief Minister has empowered the tribal women of Odisha in the socio-economic and political arena. In the field of women's empowerment, he has set an example in our country. In the year 2018, a delegation from Odisha requested central political parties and 22 regional parties to bring the Women's Reservation Bill. It had been a long-standing demand of Biju Janta Dal. Without the empowerment of women, the development of the state, the nation and society is not possible. The long-cherished demand of Biju Janata Dal is going to be fulfilled today. I herewith fully support this Bill. Thank You. *Bande Utkala Janani.*"

1.00 **P.M.**

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Madam, I stand very firmly, lest it is misinterpreted or misquoted by our opponents in the State, for reservation to women. This has been our article of faith. We have been fighting for it. We have been campaigning for it. Our leader, the Chief Minister, K.C.R., was in forefront in this movement since the day, we got our State. So, that should be my first assertion. Later, I will talk about developments and other things.

Madam, the women's movement and movement for their reservation has a chequered history. In 1920s, in London, we had movement for women franchise. In 1917, Sarojini Naidu went to the Chelmsford Committee and asked for franchise.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

So, we have gone through many things, and this particular movement for the reservation or the say for the voice of women people in the legislature is an old one and a very noble one. Sir, let me start my speech by quoting Dr. Ambedkar, who

said, "No country can go forward which leaves the women behind." These were his golden words in the Parliament. At the same time, the same Constituent Assembly had some reservations over giving reservation to women in the legislature. Therefore, I say, since you have brought such a historical Bill, of which all of us are privileged to be a part, I am tempted to quote the famous words of Victor Hugo who said, "No force on earth can stop an idea whose time has come." Having said that, I have my own dilemma. It is not called cynicism. My opponents may call it cynicism. But I have my own doubts whether the time had really come or not for the Bill; because the entire process that you are trying for hinges on few conditions, the conditions which we could have easily overcome. But yet, as the hon. Member, Mr. Nadda, said that we have to go through some kind of legal process and constitutional process. I think most of us sitting here know the same legal process. We know the law; we know everything. Article in Constitution could be tackled without looking into other Constitution clauses and any other thing at all. You can do anything that you intend to do, when there is a consensus here, what is it that we are asking for? They have put two conditions. One is regarding the census, after the Bill is passed. I am trying to give you an alternative in this case. You could have accepted the 2011 census as the benchmark. It is as simple as that. This House could have accepted the 2011 census, as we have accepted 2001 census in many cases. And immediately, that is, tomorrow, you could have appointed some kind of a Delimitation Commission. Delimitation Commission is necessary, I agree. I totally agree with Nadda *ji* or what the Home Minister said in the other House yesterday. Delimitation Commission is necessary because we don't want to do things on our own, which will perhaps be mistaken or deemed as discrimination. That is it. I agree that you can't take away Hyderabad from Owaisi and put somebody else. I totally understand. You need not give such examples. But please understand one thing. I say that once you accept 2011 census as the benchmark, then you can go and tomorrow appoint...

MR. CHAIRMAN: Dr. Keshava, please say it through me.

DR. K. KESHAVA RAO: I am trying to tell you because tomorrow I may be subject to their criticism, not yours. You would never criticize me.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to speak to the House. Please speak while looking at the Chair. I will try to improve my face and facial expression. I will make it very pleasant. But please have it only through the Chair.

DR. K. KESHAVA RAO: You would be giving us the impression that we are attractive enough.

So, Sir, the thing is, the moment we have this kind of a census fixed and delimitation done tomorrow, there will be no need for much time to be taken. You are saying that we will have to look into this, there is a legal problem and all that. Don't tell us all that. That is only trying to avoid things. The Bill seeks reserving one-third of the seats for women in Lok Sabha and State Legislatures. But, as I said, there are some conditions which could have been overcome. Again, there is a second point about census. I am not opposing census because of the legalities that you were talking about. We say, census means there is a disadvantage to certain States, including Telangana, where population is usually less because we respect family planning. Now, once that happens, in the census, our figures will be lower than others and we stand to lose. This has to be answered. When you sit in the Cabinet meeting, please look into the problem because you are trying to do this for the entire country. So, I want you to look into this also. Another set of words that you have used in the Bill is, 'census effective after commencement of the Bill.' What I am asking you is to accept the 2011 census as benchmark. That will not be there. The Bill makes it sure that the census is effective only after the commencement of the Bill is taken up. (*Time-bell rings.*) It says that the first census after the Bill is passed. It has been done after 12 years as far as the last experience is concerned. Even after such a census, Delimitation Commission will sit to decide reservation of seats. We have the experience of Delhi where they took one year. We have the experience of the last delimitation also where they took two years. Of course, this is a constitutional compulsion. I agree. There has to be Delimitation Commission, as I have already said. Thus, publication of the Bill will take place first, then census, then Delimitation Commission, then people's opinion. When I work it out, I don't want to give the details but it works out to be completed by 2030, not 2029. That means, you are missing the 2024 elections; you are missing the next 2029 elections, as far as this Bill is concerned. That is why I said why we should accept the 2011 census as the benchmark. Then comes this Delimitation Commission. (*Time-bell rings.*) Is my time over, Sir?

MR. CHAIRMAN: Your time is over. You just wind it up.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, this Delimitation Commission has to be appointed, not by the Government. It is to be appointed by the CEC, under the guidance of the CEC, but, for God sake, not under the proposed, politically-motivated CEC Bill. Let there

be a CEC which is honest, which is truthful, which we all of us accept in true sense. So, I had my doubts. Yesterday, I had a half-an-hour discussion with the Leader of the House, Mr. Piyush Goyal.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

DR. K. KESHAVA RAO: I asked him whether they were really true to themselves on this Bill. He said, "Yes, we are truthful." That is why I have said that I will join you. We are supporting it. But let us all be truthful.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Dr. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO: Alright, Sir. I will leave the other issues to my other speaker who is speaking on the subject, because it has a big history. It has to be discussed. Whatever is the history, you have today brought it. So, we are thankful to you. We are supporting it. At the same time, please don't deal it as a political thing. There is a political competition here as to who should take the credit. Whoever takes the credit, let the women and this nation get this kind of a historical Bill. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri H.D. Devegowda.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, I will send to the Secretary-General what I have written to the hon. Prime Minister on April 10, 2023. If you permit, I will read the entire letter. From the point of preserving the time, I don't know whether your good self is going to permit me to read. Otherwise, I will place the entire letter on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Place it on the Table of the House.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: If you permit, Sir, I will place it on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: The Prime Minister has endorsed the letter which I had written to the Prime Minister on April 10, 2023. I brought the Women's Reservation Bill when I was the Chief Minister of Karnataka. It was passed in the Karnataka Legislative Assembly and the same was introduced in the Parliament when I became the Prime

Minister. Former Cabinet Secretary, Mr. T.S.R. Subramanian, was there. He had written all the details. Sir, I don't want to quote all the things. It contains all the material. If you permit, Sir, I will place it on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Yes, it is permitted. This may be placed on the Table of the House.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Thank you very much, Sir. I am grateful to you.

MR. CHAIRMAN: Well, hon. Members, the relevance of this House is reflected when our former Prime Minister is present here. That, of course, indicates that the House of Elders has to show light to others.

Shri V. Vijayasai Reddy. Your Party's total time is 17 minutes and you have three speakers. How many minutes will you take?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, one-third.

MR. CHAIRMAN: Okay! Five minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, just like the Women's Reservation Bill.

MR. CHAIRMAN: As leader, leave six minutes each to other speakers. Your time starts now.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, at the outset, I would like to state that ...*(Interruptions)*... Don't disturb me, Madam. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You said, 'Don't disturb.' You are not liable to disturbance. All I plead is, don't create disturbance.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, what to say and how to say is my prerogative, subject to the rules and regulations.

At the outset, I would like to state that my Party, YSR Congress Party, under the leadership of Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, extends its unequivocal and unwavering support for the Women's Reservation Bill.

[THE VICE-CHAIRPERSON (MS. SAROJ PANDEY) *in the Chair.*]

The hon. Minister of Law is present here. I request the hon. Minister of Law to extend the reservation for women even in the Rajya Sabha and also in the State Legislative Councils. This can be done, because every two years, there will be retirements and vacancies in the Rajya Sabha and also the State Legislative Councils. In a period of six years, this law can be complied with. In this regard, Article 80 and Article 171 of the Constitution may also be amended to provide reservation for women in one-third seats in the Rajya Sabha and also the State Legislative Councils.

Hon. Law Minister, please take note of this. Now that you are providing reservation, that is, today on 21st September 2023 and this month marks a monumental time for women's political empowerment in India, I strongly suggest and request the hon. Minister of Law that the Government may declare September as Women's History Month. Just like the International Women's Day, this month can be declared as Women's History Month.

Coming to the performance of Andhra Pradesh, the Constitution (73rd and 74th Amendment) of 1992 mandate the reservation of one-third of the seats for women in panchayats and municipalities. In Andhra Pradesh, under the leadership of our beloved Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, the State has exceeded the limit. It is not just one-third; he has even exceeded the limit and then provided reservation for women. I am divulging the details now. Out of 1,356 politically nominated persons, 688 politically nominated persons in the local bodies are women which is 51 per cent. Out of 13, seven Zilla Parishad Chairpersons are women, which is 54 per cent. Out of 26, 15 Vice-Chairpersons are women, which is 58 per cent. Out of 36, 18 Mayors and Deputy Mayors are women, which is 50 per cent. Out of 671, 361 corporation ward members are women, which is 53.8 per cent. Out of 73, 45 Municipality Chairpersons are women, which is 62 per cent. Out of 2,124 municipality ward members, 1,061 municipality ward members are women, which is 50 per cent. Madam, 57 per cent of the sarpanches, 54 per cent of the MPTC members, 53 per cent of the Mandal Presidents and 53 per cent of ZPTC members are women; 53 per cent of the ward and village volunteers and 51 per cent of the officers in ward and village secretariats are women.

Our Leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, has already crossed 33 per cent. In fact, nothing is less than 50 per cent. Therefore, our contention is that women's reservation could be even more than one-third. It could be even 50 per cent.

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री सरोज पाण्डेय):** कृपया कन्क्लूड करिए।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Madam, you need not remind me. At exactly one-third of the time, which is five minutes, I will end it. If you disturb me, I will lose the sequence.

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री सरोज पाण्डेय):** समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान दिलाना पड़ता है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Thank you very much, Madam.

**प्रो. मनोज कुमार झा** (बिहार): शुक्रिया, मैडम, और आपके आसन पर होने के लिए भी शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी-कभी ही ऐसे क्षण आते हैं, जब उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, जब मीडिया के लोग बाहर हमसे Ayes and Noes के बारे में पूछते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्षा महोदया, यह मसला Yes or No का नहीं है, यह मसला हमारे देश की तारीख़ से जुड़ा हुआ है। यह मसला इस बात से जुड़ा हुआ है, जो प्रधान मंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कही थी कि कैन्वस बड़ा होगा, आकृति बड़ी होगी। महोदया, कैन्वस तो बड़ा है, लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है। इतिहास इस बात को स्मरण करेगा, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

अब 'नारी शक्ति वंदन विधेयक', मेरी तो समझ में नहीं आया कि यह लेजिस्लेशन है या किसी तरह के धार्मिक ग्रंथ का शीर्षक है? जब देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, मैं तब से, बचपन से पढ़ता आया हूं,

*'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता'*

पता नहीं देवता रमण करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद भारत में महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा है, घरेलू हिंसा देखी है। सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में ही देखे हैं, जिसके आंकड़े खुद सरकार देती है। इन सबको देख कर मुझे लगता है कि हमारे देश का यह जो विरोधाभासी चरित्र है, इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए।

आज यहां पर काफी सारी महिलाएं हैं, इस दर्शकदीर्घा में महिला पत्रकार भी बैठी हैं, उनको भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार हैं। इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ यह श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस ज़बान को छोड़ दें, जो संविधान से आती है। मैडम, संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। हमारी वोकेब्लरी को क्या होता जा रहा है? अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं, उसमें दया की श्रेणी में ही बात होती है। अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, as per the Delimitation Commission, 2008, हमारे पास 412 जनरल सीट्स हैं, 84 एससीज़ की सीट्स हैं और 47 एसटीज़ की सीट्स हैं। अब हम इस बिल के माध्यम से क्या कर रहे हैं - 84 और 47 के अन्दर वन-थर्ड कर रहे हैं। क्या यह अन्याय

नहीं है? इसे existing seats में नहीं किया जाए। यह जो 33 परसेंट आ रहा है, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट्स बैठता है, उनमें SC, ST और OBC की व्यवस्था हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर महिला को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है। यह आप भी जानती हैं। खास कर पिछड़े वर्गों की महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं का deprivation और vulnerability बाकियों से ज्यादा होती है, उनका hand-holding करने के लिए कोई नहीं होता है। अगर आप पहुँचीं, तो बिना hand-holding के, लेकिन उन पिछड़ी जातियों की महिलाओं का क्या, जिनके hand-holding के लिए न तो हमारे धर्मग्रंथों में कोई व्यवस्था है और न आज की समकालीन बातचीत में ही कोई व्यवस्था है, हम rhetorically कुछ भी कह दें - मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना है। आज मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का स्मरण कर रहा हूँ। हमारी भगवती देवी जी को कई लोग जानते होंगे। वह एक पत्थर तोड़ने वाली महिला थीं। *'हम न सहबो गाली भइया, हम न सहबो गाली।'* वे गया से निकल कर संसद तक पहुँचीं। क्या उसके बाद भगवती देवी आ पाईं, फूलन देवी आ पाईं? हम आपको दोष नहीं देते हैं। वे इसलिए नहीं आ पाईं, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएँ संवेदनशून्य हैं। मैं तो तमाम साथियों से आग्रह करूँगा कि चाहे आप किसी भी दल में हों, आज आप एक बार उससे बाहर निकल कर सोचिए। यह ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा, अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधान मंत्री जी कहते हैं। प्रधान मंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए। यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े दूर फासले पर अत्यन्त पिछड़ी जातियों के लोग खड़े हैं। मैडम, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुँच रही हो, तो आज मैं तमाम साथियों से आग्रह करूँगा कि दलीय व्हिप की चिन्ता मत करिए। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पर भारी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, समर्थन या विरोध की बात नहीं है, आज भी मौका है, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज कर इसमें SC, ST और OBCs को incorporate किया जाए। अगर आज हम-आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम ऐतिहासिक गुनाहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बाहर लोग वॉच कर रहे हैं। वे पूछेंगे कि तुमने क्या किया? यह व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूँगा कि आप जब अपने दायरों से अलग होकर OBCs की बात करते हैं, तो यह rhetoric से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिन्ताओं में आना चाहिए। यह नहीं होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माला भी पहनाएँ और उनकी बात को आत्मसात् नहीं करें। यह जो फर्क हमारे व्यवहार में आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभासों का जन्म हो रहा है।

मैडम चेयरपरसन, मैं आपको कहता हूँ कि जब हम quota within quota की बात करते हैं, उसमें एक term आता है, जो कि एक अमेरिकन civil rights activist ने 1989 में दिया था - 'inter-sectionality.' चूँकि मैं हिन्दी में बोल रहा हूँ, तो मैंने आज सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूँढ़ा। उसके अनुवादों में से एक अनुवाद आया - 'प्रतिच्छेदन।' तो 'inter-sectionality' का मतलब यह होता है कि हर layer की एजेंसीज़ और उसके अंदर की क्या विधाएँ हैं, उनके आधार पर हमें अपने चरित्र के affirmative action programme को देखना होगा।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल)** *पीठासीन हुईं।*]

खास कर के जो वंचित समाज की महिलाएँ हैं, मैं उनके बारे में कहूँ, तो आपको एक बार अपना नज़रिया साफ करना होगा। अगर सरकार चश्मा लगाती है - धूप का चश्मा नहीं - अगर सचमुच का चश्मा लगाती है, तो उसकी पावर बदलिए, उसको साफ करिए और यह तय करिए कि आज जब हम यहाँ से उठें, तो ओबीसी वर्ग को एक कमिटमेंट दें। मैं यह बार-बार दोहरा रहा हूँ कि 33 परसेंट को existing में मत incorporate कीजिए। It should be separate. नयी व्यवस्था में नया 33 per cent without touching SCs and STs. अगर ऐसा करेंगे, तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। अकसर हम लोग अपने प्रिविलेजेज़ को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है। हमारे सरनेम्स ने हमें प्रिविलेजज़ दिए हैं। आप उन सरनेम्स को देखिए, जिनके पास यह प्रिविलेज नहीं है। ...(**व्यवधान**)... नहीं, ऐसे ही। ...(**व्यवधान**)... बहुत अच्छा किया। मैडम चेयरपरसन, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है, वह खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद there is nothing in the name but everything is there in the surname. उनका संघर्ष, उनका जीवन लगातार कठिन होता जाता है। मैं एक ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ। 1931 में बेगम शहनवाज़ और सरोजिनी नायडु ने संविधान बनने से बहुत पूर्व equal representation की बात की थी। हम 33 परसेंट पर ही क्यों अटके पड़े हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि 33 के साथ हमारा क्या रिश्ता है, यह 50 क्यों नहीं हो सकता, यह 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरे का पूरा वर्ग-चरित्र बदल जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहाँ आये? हमेशा एक खास सरनेम - मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि अलग-अलग दलों में भी जो हैं, अगर वे यहाँ तक अपने संघर्ष से पहुँचे हैं, तो आज यह आवश्यकता है कि उनको यह भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी कोई चीज़ आगे नहीं होगी, यह सबके लिए खुलेगा। हमारी यह जो नयी पार्लियामेंट है, यह रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, हम यह कौन सा बिल ला रहे हैं, जिसमें black and white के बाद shades of grey भी नहीं है! अगर हमारा उद्देश्य deepening of democracy है, तो हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा representation देखिए। उसमें हमने SC, ST, OBCs and minorities की बात की थी। हम यह इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वर्ग-चरित्र बदले, संसद सचमुच में प्रतिनिधित्व की संस्था बने, जिसमें सबके आकार हों, सबकी शक्लें हों। ऐसा नहीं हो कि उस पर हमेशा एक वर्ग के प्रभुत्व की छाप रहे।

मैडम चेयरपरसन, अब मैं आपका अटेंशन चाहता हूँ। मैं जातिगत जनगणना की बात कहता हूँ। इस देश में कल शाम के बाद, लोक सभा में जो बिल पास हुआ, उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि OBCs के साथ नाइंसाफी हुई है, इस बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे सीएम नीतीश जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने जातिगत सर्वेक्षण कराया। 28 अगस्त को - मेरे पास दोनों affidavits हैं, पहला affidavit कौन लेकर गया - सरकार लेकर गयी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े होते हैं और यह कहते हैं कि "State Government cannot do any activity like census or activity akin to census", लेकिन जब शाम तक uproar होता है, तो दूसरा affidavit आता है, जो कहता है कि गलती से वह पैराग्राफ लग गया था। सरकारें ऐसी गलतियाँ नहीं करती हैं। यह मानस करवाता है, यह prejudice माइंड करवाता है।

मैडम चेयरपरसन, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने कई संशोधन दिए हैं। उन संशोधनों पर भी सरकार विचार करे। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपको विशाल हृदय रखना चाहिए। आप ही के एक बड़े नेता कह गये थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, कैनवस पर बड़ी लकीर खींचिए। मैं आखिर में एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूँगा कि "गले मिल कर गला दबाने की कोशिश न हो.." ...(**समय की घंटी**)... मैडम चेयरपरसन, एक मिनट। मैं एक कविता लेकर आया था कि "गले मिल कर गला न दबाइए।" यह कविता पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करूँगा और जय हिन्द बोल दूँगा। यह कविता ओम प्रकाश बाल्मीकि जी की है। इसमें जो प्रतीक है, वह किसी जाति-विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सबके अन्दर एक ठाकुर है, जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वह चेक करता है। वह कविता कुछ यूँ है कि :

*" चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का।*
*भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का।*
*बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी,*
*फ़सल ठाकुर की।*
*कुआँ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत-खलिहान ठाकुर के,*
*गली-मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या? गाँव? शहर? देश?"*

मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ कि वह ठाकुर मैं भी हूँ। ...(**समय की घंटी**)... वह ठाकुर संसद में है, वह ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वह ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो, जो हमारे अन्दर है। जय हिन्द, मैडम।

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Madam, I support this Bill. ....*(Interruptions)*... What is this? ....*(Interruptions)*... Rupala*ji*, let me speak. ....*(Interruptions)*... On behalf of CPI (M), I support this Bill. The hon. Prime Minister said that he was the chosen one for empowering and strengthening women. Nothing! This is a compulsion on the ruling party because they are afraid of the next Parliament election. Even after the propaganda * they lost Karnataka. They have lost Himachal Pradesh. After fifteen years of continuous rule in Delhi Municipal Corporation, they lost. That situation compelled the BJP to bring such a legislation in the Parliament. This is not for Nari Shakti Vandan. In 2010, the UPA Government introduced the Bill in the Rajya Sabha and it was passed. I remember, Shrimati Sonia Gandhi, my Party leader, Shrimati Brinda Karat and other women leaders were supporting and insisting on passing that Bill in the Rajya Sabha. In an article, Shrimati Brinda Karat remembers that moment. She said and I quote: "The unequivocal

* Expunged as ordered by the Chair.

support of the then UPA Chairperson Sonia Gandhi for the Bill ensured that the various plans being hatched to once again sabotage the Bill were blocked." The firm position taken by the Rajya Sabha Chairman, Shri Hamid Ansari, was a critical factor in the passage of the Bill. This happened because of the strong and united struggle by women's organizations since decades. But, unfortunately, that Bill was not passed in the Lok Sabha. In 2014 Parliament elections, the BJP promised that they shall bring the reservation bill but nothing was done for five years. In 2019, they repeated that promise. Four years have lapsed. You are responsible for losing nine years of reservation for women. You have to reply for that. Now, you are claiming Nari Shakti Vandan! Which 'nari'? Is it Manipur 'nari'? Poor women folk were paraded naked on the road, gang raped and butchered mercilessly* What *nari vandan*? The wrestling stars were assaulted by the chairman of that committee. Victims of Unnao and Kathua were also ladies. What have you done? So, this is not for Nari Shakti Vandan, this is for political achievement only. When is it to be implemented? When would the women get these rights? It is far away, after the Census. When will the Census happen? Based on the new Census, delimitation is to happen. When will it happen? It is not coming in next ten or fifteen years. They only want to win the next elections. All the election promises have gone to air. The entire sections of the people, farmers, workers, youth, all are angry with this Government. Women are working in several sectors. What is their condition? Particularly, agricultural workers, unorganized sector workers, scheme workers -- there are lakhs of scheme workers like MNREGA workers -- what wages are they getting? There is no social benefit for them. On the basis of privatization in public sector, in railways and public sector undertakings, social justice has gone to air. Where is the reservation? Is there reservation in private sector? There is only reservation for SC, ST and OBC section which they are getting in the public sector undertakings only. What are you doing there? All have gone to private hands. That is your policy.

[THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN) *in the Chair*.]

So, you are speaking about Nari Shakti Vandan. This is not for Nari Shakti Vandan. In West Bengal, in 1983, 33 per cent reservation was given to women in local bodies. That was first time in the history of this nation. In Kerala, 50 per cent reservation is given to women in all panchayats, block panchayats, district panchayats and corporations, everywhere. The actual number may be more than 50 per cent. In

* Expunged as ordered by the Chair.

general seats also, so many women are contesting. That is the history. What is the history of other States ruled by the BJP? Can you claim like that? We must bring the attention of this House to the BJP's policies adopted during these nine years. Female labour force participation rate has gone up to 20-25 per cent In India.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Kindly conclude.

SHRI ELAMARAM KAREEM: India is far backward in comparison to other nations and backward nations also. In all aspects, our females are backward. They are silently witnessing that. They are silent spectators of all these events. They are not taking care of the welfare of the women and they are suppressed section. *'Sabka Saath Sabka Vikas'* is the slogan. Is there a single man from the largest minority section of the country in the Cabinet? *Sabka Saath?* Where is *'Sabka Saath Sabka Vikas'? ....(Interruptions)...* That is the attitude of the BJP. Nobody is there. There was one Mr. Naqvi. He was thrown out. *....(Interruptions)...* That is your policy. *....(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Kindly conclude. *....(Interruptions)...*

SHRI ELAMARAM KAREEM: So, you please utter *'Sabka Saath Sabka Vikas'.*

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Kindly conclude.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Okay, I conclude.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Now, Shri Vaiko. You have four minutes.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Madam Vice Chairperson, I rise to support this Bill. In the first decade of last century, women in England did not have voting rights. So, women fought against the Government to get voting rights. Emmeline Pankhurst was the chairperson of the women brigade. One day she went to the London Head Post Office and said: "You have to send a parcel to the Prime Minister's residence." They asked: "What parcel?" She replied: "I am the parcel." They were perplexed and shocked. She further asked: "Is there any rule that a living person should not be sent as a parcel?" Then what did they do? They tied a badge along with her wrist and

sent her to the Prime Minister's residence. The Prime Minister's secretariat was shocked. Prime Minister Mr. Asquith was very much shocked. He came and asked: "What for have you come to see me?" She said: "You have not given voting rights to the women." Then, finally, with these struggles, they got the voting rights. Here, in Tamil Nadu, in 1921, when Justice Party formed the Government, they gave the voting rights. Then, in 1929, the greatest champion of social justice, Periyar E.V. Ramaswamy Naicker conducted the Self-Respect Movement Conference in Chengalpattu. He adopted a Resolution that property rights should be given to women. After 60 years, when Dr. Kalaignar Karunanidhi became the Chief Minister, he fulfilled the assurance given by the Champion Periyar and women were given property rights. We have had a brave lady Kannagi who is known for her righteousness and bravery. The King of Madurai committed injustice by killing her innocent husband Kovalan on the false charge that he had stolen the ornament of Queen. But on knowing the tragedy, Kannagi curses the King and curses the Madurai city to fire. She is the global symbol of justice.

Thillaiyadi Valliammai was a South African Tamil girl who worked with Mahatma Gandhi in her early years in South Africa fighting its apartheid regime, and observed fast. When she was dying, Mahatma Gandhi went to see her and she said,"If I am re-born, I will again join you to fight against the Whites." In Tamil Nadu, Velu Natchiyar drew her sword against the powerful British Army and defeated them with the help of Tipu Sultan and Veerupakshi Gopal Naiyaker.....

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Vaiko*ji*, you will have to start concluding your speech, please.

SHRI VAIKO: I will take only one minute. The Bill provides for the provision of 15 years initially but I should suggest that it should be extended because it is too short a period. Similarly, delimitation exercise for constituencies should be undertaken at the earliest so that these provisions can be implemented as soon as possible.

Madam, some hon. Members have demanded for reservation within reservation for women belonging to *Dalit*, OBC and Minorities. (*Time-bell rings.*) I would suggest that some provision should be made for providing reservation to women belonging to these categories.

With these words, I whole-heartedly support this Constitution (Amendment) Bill.

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): Now, Shri Ram Nath Thakur.

**श्री राम नाथ ठाकुर** (बिहार): महोदया, मैं अपनी बात समय पर खत्म करूँगा।

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): You have seven minutes to speak.

**श्री राम नाथ ठाकुर:** महोदया, आज डा. राममनोहर लोहिया को याद करना बहुत जरूरी हो गया है। 1967 में डा. राममनोहर लोहिया ने भगवती देवी को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एमएलए बनाने का काम किया था और 1990 में लालू प्रसाद जी ने उन्हें एमएलए और 1996 में एमपी बनाने का काम किया था। मैं डा. राममनोहर लोहिया के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि महिलाओं के प्रति उनका इतना दर्द था। डा. लोहिया का नारा था "संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ें पावें सौ में साठ"। अब मैं 1977 पर आता हूँ। 1967 के बाद 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को लागू करने और वर्गीकरण करने का काम किया था। 8 परसेंट पिछड़े वर्ग को, 12 परसेंट अत्यंत पिछड़े वर्ग को और 33 परसेंट आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया था।

महोदया, हम लोग राज्य सभा में कई बार यह बात उठा चुके हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम इसे 2029 में करेंगे। हम लोग बराबर यह माँग करते आ रहे हैं, जनता दल (यू) की यह माँग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 2006 में बिहार के मुख्य मंत्री, नीतीश कुमार जी ने पंचायत के मुखिया की 50 परसेंट सीट्स महिलाओं को देने का काम किया, जिला परिषद के उम्मीदवारों को देने का काम किया। आज भारत में बिहार अकेला ऐसा राज्य है, जिसमें हरेक विभाग में महिलाओं को 35 परसेंट आरक्षण देने का काम किया गया है। वहाँ के पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा महिलाएं ही भर्ती हुई हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है, भारत सरकार भी इसे उसी के अनुरूप लागू करे। यह क्यों नहीं करना चाहिए? यह मजबूत पार्टी है, बहुमत की पार्टी है। 2016 में रात्रि आठ बजे भारत के प्रधान मंत्री जी ने अनाउंसमेंट की कि 1,000 रूपये के नोट की बंदी हो जाएगी और 12 बजे के बाद उसे कागज समझा जाएगा। उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? आज तो वे गीत गा रहे हैं, लेकिन उस समय कुछ क्यों नहीं किया गया? आप 2016 छोड़िए, 2019 में भी उन्हें जब अपार बहुमत मिला था, उस समय उन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? महोदया, हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वे मजबूत हैं, अभी भी अपार बहुमत में हैं, वे रात में बैठें और महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। हम आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं। नोटबंदी का काम किया गया है। 2,000 का नोट भी बंद कर दिया गया है। 30 सितंबर उसका अंतिम दिन है। इतने मजबूत रहते हुए भी वे इसे 2029 में करेंगे। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि महिलाओं के प्रति उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर भारत सरकार से निवेदन करें कि वे महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने का काम जल्द करे।

*"दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए*
*मुझ को अब इतना भी आसान न समझा जाए*
*मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक़ माँगती हूँ*

*इस को गद्दारी का एलान न समझा जाए"*

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, हम पूरे राष्ट्र की 140 करोड़ जनता की तरफ से, इस सदन की तरफ से यह निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि:

*"मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे*
*दो काम में एक काम तू मेरा कर दे*
*रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूँ*
*नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे"*

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिन्द, जय भारत।

**उपसभाध्यक्ष (डा. फौजिया खान):** आपने समय से पहले ही अपनी बात समाप्त कर दी। श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य।

†**اُپ سبھا ادھیکش (ڈاکٹر فوزیہ خان):** آپ نے وقت سے پہلے ہی اپنی بات ختم کردی۔ شری بریندر پرساد بیشیہ۔

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Madam, I rise here to support the Bill. Our country is observing 75 years of Independence. In our independent movement, women play a strong leadership and always, very strongly, women participated in our independent movement. Not only that, for better India and for independent India, many women lost their lives including a 14 year school girl from Assam, Kanaklata Barua, who hoisted our National Flag in Gohpur Police Station in Assam and she was killed by the British Police. By bringing this Bill in the 75th year of Independence, this is the true respect to our freedom fighters, especially, to women.

Madam, the Bill is coming forward at the proper time. The Bill was first introduced in Parliament in the year 1996. I was the witness as at that time in 1996, I was the Member of the Lok Sabha. Again in 2010, the Bill was passed in Rajya Sabha but seriousness was not there to pass the Bill in Lok Sabha. Today, with confidence and with strong determination for the empowerment of women, this Bill is coming forth. I am sure that under the leadership of Shri Narendra Modi, definitely, this Bill is going to be implemented this time.

Madam, in 1996, I was a Member. In 2010, I was a Member. But I have seen that when the Bill came in the House, the House was adjourned for want of quorum. It means that the Bill was not passed in Lok Sabha intentionally. Today, with a new spirit, with the Amendments, this Bill has come. This Government always believed in

† Transliteration in Urdu script.

'One Nation, One Constitution'. 'One Nation, One Constitution' is the dream of this Government and by withdrawing Article 370 from Jammu and Kashmir, it has implemented 'One Nation, One Constitution'. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. FAUZIA KHAN): You have to start concluding, please. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: And till today, with the amended version of this Bill, the Government has decided to give reservation to the women in the Union Territory of Delhi also. This is a very welcome move because women from Delhi, women from Assam, women from Uttar Pradesh, everybody has equal right. And this Government, the Narendra Modi Government is going to implement it by amending the Constitution. (*Time-bell rings.*) I am sure, this Bill will be passed and everybody will support the Bill. It will be passed without vote and will be implemented very strongly. I must compliment the Government for bringing this Bill on completion of 75 years of our Independence. With these words, I wholeheartedly support the Bill and conclude my speech. Thank you.

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MAHUA MAJI) *in the Chair*.]

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MAHUA MAJI): Now Ms. Saroj Pandey. You have 15 minutes.

**सुश्री सरोज पाण्डेय** (छत्तीसगढ़): महोदया, आज इस ऐतिहासिक दिवस पर मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे स्त्रीत्व का, हमारे नारीत्व का, हमारे ममत्व का जो सम्मान किया है और देश की आधी आबादी को इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से स्थान देने का प्रयास किया है, इसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी का बहुत अभिनंदन है, बहुत साधुवाद है।

इस बिल के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम पर बात हो रही थी। जब शुरुआत में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 'वंदन' शब्द पर आपत्ति हुई। यह कैसी भारत की परंपरा है? भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं, लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं होता है। भारत माता का वंदन होता है। जो लोग भारत माता का वंदन नहीं करते हैं, वे वंदन शब्द की महत्ता को नहीं समझेंगे। हमारे यहां यह परंपरा रही है कि अगर हमने कभी पूर्व में भी किसी की आराधना की है तो उसमें हमने नारी को पूजा है। भारत में अर्धनारीश्वर का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। यह बिल क्यों आया, यह बिल क्यों नहीं पास हुआ, हमारी मंशा पर शक हो रहा है। मैं पूछती हूँ कि भारत की आज़ादी के इतने लंबे कालखंड के बाद यह प्रश्न पहले क्यों नहीं खड़ा हुआ? आज का भारत महत्वाकांक्षी भारत है, आज का भारत साहसिक

भारत है और इस साहसिक भारत में मुझे लगता है कि इस 'अमृत काल' में हमने एक नई शुरुआत की है।

कल सदन में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी। जब सदन में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी तो 'शिव शक्ति' शब्द का उपयोग हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया और आज एक सुखद संयोग है कि इस सुखद संयोग में शिव शक्ति के साथ, 15 दिन के बाद वहां पर भी सूर्योदय हो रहा है। मुझे लगता है कि 'अमृत काल' में शिव शक्ति का यह सुखद संयोग, जब वहां पर सूर्योदय हो रहा है, भारत में भी यह सूर्योदय इस महिला शक्ति के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर भी शिव और शक्ति का ही उपयोग है और मेरा मानना है कि शक्ति के जागरण के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए आज मेरा यह प्रबल विश्वास हुआ है कि शक्ति के जागरण के साथ इस 'अमृत काल' में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा और इसके साथ ही साथ भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा।

हमारी मंशा पर सवाल उठाने वालों से मैं पूछना चाहती हूं और एक घटना याद दिलाना चाहती हूं। देश की जो सबसे मजबूत कमेटी है, उसमें देश के प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय राजनाथ जी और अरुण जेटली जी शामिल थे। सुषमा स्वराज जी के पास विदेश मंत्रालय था, निर्मला सीतारमण जी के पास रक्षा मंत्रालय था, अरुण जेटली जी के पास वित्त मंत्रालय था और राजनाथ जी के पास गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं, रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही हैं। यह एक सुखद संयोग था। यह इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने किस प्रकार से हमारी प्रतिभा का उपयोग किया, हम पर विश्वास किया और इसलिए आज इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यहां पर लाया गया।

पिछली बार यहां पर बहुत से विषय आए कि यह पारित क्यों नहीं हुआ। पिछली बार लोक सभा में आया कि हम इसे 9 साल में क्यों नहीं लाए? मैं कहना चाहती हूं कि 9 साल में क्यों नहीं लाए, इस पर बात करने की बजाय, आज जो यह उत्सव का दिन है, उसमें हम सबको उत्सव मनाना चाहिए। जब आज खुशी का दिन है, तो फिर मंशा पर शक क्यों? आप सब यहां पर प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। आप श्रेष्ठजन हैं, आप सभी को यह बात पता है। इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर राजनीति हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। उसकी एक प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जब उस प्रक्रिया के साथ हम इस बिल को आगे लाएँगे, तभी महिलाओं को आरक्षण बिल पर प्रावधान के तहत अधिकार मिल पाएगा। यह पूर्व में राज्य सभा में पारित हुआ, लेकिन राज्य सभा में पारित होते हुए उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाया। यह लोक सभा में पारित नहीं हुआ, हर जगह की राजनीति भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है। देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छी मंशा के साथ, बहुत साफ मन के साथ आज के इस उत्सव को मनाने का पूरे देश की आधी आबादी को अवसर दिया है। मैं कल से देख रही हूँ, यहाँ जितनी भी गैलरीज़ हैं, चाहे वह लोक सभा की हों या राज्य सभा की हों, देश की आधी आबादी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यह हमें गौरव का अनुभव कराता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि इन गैलरीज़ में वे महिलाएँ यह सुनने आई हैं कि हमारे श्रेष्ठजन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्धजन क्या कहते हैं?

मैं यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के विषय में नहीं कहती हूँ, लेकिन देश के प्रधान मंत्री जी ने एक योजना 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' लागू की। इस योजना को लागू करने के पीछे बहुत मार्मिक उद्देश्य है, जिसे मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। मैं उस घटनाक्रम को यहाँ कहना चाहती हूँ। जिन राज्यों में बेटी का जन्म होना एक अभिशाप माना जाता था, वहाँ अगर बिटिया पैदा हो गई तो उसे पैदा करने वाली जो माँ थी, वह भी तनाव में रहती थी और घर-परिवार के लोग भी तनाव में रहते थे। जब बिटिया पैदा होती थी, तो उसको दूध के एक बड़े से हौदे में डाल दिया जाता था। वह बिटिया दूध के उस बड़े से हौदे में अंतिम सांसें गिनती थी। वह बिटिया इस धरती पर आती जरूर थी, लेकिन वह विदा कर दी जाती थी। लिंगानुपात बार-बार बदल रहा था। बेटों की संख्या बढ़ती थी, बेटियों की संख्या घट जाती थी। जब बेटियों की संख्या गिरने लगी, लिंगानुपात असंतुलित होने लगा, तो देश के प्रधान मंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम आने वाले समय में कहां खड़े होंगे? यह दूरदृष्टि इनसे पहले कभी किसी ने नहीं दिखाई। उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की।

2.00 P.M.

आज 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के साथ मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहती हूं कि विश्व के आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वर्ष 2023 में प्रकाशित हुई है। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारा गौरव है। देश के प्रधान मंत्री जी ने जिस लिंगानुपात को संतुलित करने का प्रयास किया, यह उसका गौरव है। देश के प्रधान मंत्री ने जिस दूरदृष्टि के साथ इतनी छोटी सी बात, जो लोगों को दिखाई नहीं देती थी, उस बात पर इस अभियान के माध्यम से शुरुआत की। बहुत सारी योजनाएं हुईं, बहुत सारी बातें हुईं। हमारे लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से लेकर तमाम चीज़ें हुईं, लेकिन कभी-कभी मैं सोचती हूं कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं, तो फिर उन वंचित, शोषित और पीड़ित महिलाओं के साथ राजनीति कैसी? हम तो रोज़ अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधान मंत्री जी अवसर देते हैं, तो बार-बार उस पर राजनीति करके, प्रश्नचिह्न खड़ा करके उनकी मंशा पर संदिग्ध विषयों को खड़ा किया जाता है और जिस प्रकार का यहां दृश्य उपस्थित किया जाता है, मुझे लगता है कि यह बेहद सोचनीय है। हमारे प्रधान मंत्री जी आज की नारी को देवी बनाना नहीं चाहते, आज की नारी को दासी भी नहीं बनाना चाहते, आज वे चाहते हैं कि हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले, हम एक मानवी के रूप में अपना स्थान बनाएं। इसलिए जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज इस आरक्षण बिल के साथ ही एक नए उत्सव की शुरुआत होगी, देश में महिलाओं को अपना स्थान मिलेगा और मेरा मानना है कि जब हम अपने स्थान की बात करते हैं, तो इस अमृत काल में, भले ही उसका समय थोड़ा लम्बा है, लेकिन इस अमृत काल में जो बिल पारित होगा, वह आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा, जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी। महिलाओं में बहुत धैर्य होता है और इस धैर्य के साथ वे आगे बढ़ती हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा और हमारे धैर्य पर कई कहानियां हैं, जो सत्य हैं, लेकिन यह संघर्ष बहुत लम्बा हो गया है। आरक्षण विधान सभाओं में और लोक सभा में मिले - इसका संघर्ष

बहुत लम्बा हो चुका है। बहुत साफ मंशा में इस बिल को लाकर जनगणना के माध्यम से संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत हम इसे लागू करें और मुझे लगता है कि इस उत्सव में पूरे देश के लोग शामिल हों। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का गौरव मिला है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MAHUA MAJI): Now, Shrimati Rajani Ashokrao Patil. You have ten minutes to speak.

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल** (महाराष्ट्र): महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदया, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संविधान (128वां) संशोधन विधेयक के लिए मेरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने के लिए यहां खड़ी हूं। आज मैं खुद को गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव-विभोर महसूस करती हूं। आज मुझे मेरे नेता और इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की याद आती है, जिनकी दूरदृष्टि से और जिनके विज़न से महिलाओं को आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारे जैसी 15 लाख महिलाएं देश में अलग-अलग जगहों पर, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में काम कर रही हैं, इस देश की नींव का एक हिस्सा बनकर खड़ी हैं। मुझे यह बताने में आनन्द हो रहा है कि पहली बार वर्ष 1992 में, जब महिला आरक्षण विधेयक लागू हुआ, मैं वर्ष 1993 में उसी के तहत जिला परिषद में बीड से पहली बार यहां चुनकर आई थी। मेरी जिला परिषद से लेकर यहां तक की यात्रा इसलिए possible हुई, क्योंकि मेरी पार्टी के नेता बहुत ही सोच-विचार कर यह बिल लाए थे। वर्ष 1989 में राजीव गांधी जी इस बिल को पहली बार लेकर आए थे। यह बिल लोक सभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज हमारा वंदन करना चाहते हैं, उन लोगों ने उसको प्रभावित कर दिया, उनके कारण हमारा बिल प्रभावित हो गया। वर्ष 1992 में 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत एक-तिहाई महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया। इसमें बहुत सारी महिलाएं प्रतिनिधि बनीं। उनमें कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, कोई जिला परिषद की अध्यक्ष बनी और यह सब ठाकुरकी से, जिस ठाकुरकी की अभी बात हुई, उस ठाकुरकी से राज करने लगीं। तब भी हमारे ऊपर कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। उन लोगों ने मिस्टर सरपंच शब्द यूज़ किया कि हम काम नहीं करेंगे, हमारे पति काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने धीरे-धीरे काम सीखना शुरू किया और बाद में हम सब समझने लगे कि काम कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं के अधिकार जाग्रत करने का काम इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहती हूं कि वर्ष 1996 में जब यह बिल पहली बार लोक सभा में आया, तब भी मैं लोक सभा में सदस्य थी। जब भी महिला आरक्षण बिल आता हैं, हम उसके समर्थन में रहते हैं। एक-एक सीढ़ी चढ़कर हमारा 30-35 साल का परिक्रमण हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक यह बिल पूरी तरह से लागू नहीं होता, तब तक, वर्ष 2029 तक यहां रहना पड़ेगा।

महोदया, जब यह बिल वर्ष 1996 में आया, तब उस बिल का इतना विरोध किया गया कि उस बिल को फाड़ कर उसके टुकड़े कर दिए गए। गीता मुखर्जी, सेलेक्ट कमिटी के चेयरमैन को यह बिल सौंपा गया। गीता मुखर्जी के नेतृत्व में इस बिल का प्रवाह शुरू हो गया। धीरे-धीरे वर्ष

2010 आ गया। मेरी नेता सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि राजीव गांधी जी का जो आधा सपना था - क्योंकि आधा तो उन्होंने पंचायतों में पूरा कर दिया था, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोक सभा में और विधान सभाओं में भी हमारी बहनें आनी चाहिए, वह सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आईं और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार वर्ष 2010 में यह बिल राज्य सभा में पारित हो गया। लेकिन लोक सभा में हमारा बहुमत न होने के कारण यह पास नहीं हो पाया। वर्ष 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बन गए, तब उन्होंने इतने बड़े-बड़े वायदे किए कि हमें लगा कि अब यह बिल पास करेंगे, क्योंकि ये लोग ही बोल रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हमें लगा कि ये करेंगे। वर्ष 2015 में सोनिया जी ने मोदी जी को लैटर लिखा, फिर वर्ष 2016 में लिखा और फिर वर्ष 2018 में राहुल गांधी जी ने लैटर लिखा और कहा कि अगर आप यह बिल लाना चाहते हैं तो we are ready to cooperate you. हम unconditional support करेंगे। आप इस बिल को लाइए और पारित कीजिए, लेकिन यह नहीं हुआ। जब 9 साल पूरे हो गए और इन्हें दिखने लगा कि चुनाव करीब है, सब तरफ से मारे गए हैं, सब तरफ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, तब इन्हें लगा कि अब हम महिलाओं का कार्ड प्ले कर सकते हैं। इसलिए यह महिला आरक्षण बिल आया है। हमारी वंदना मत कीजिए, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते। न हम देवी बनना चाहते हैं, न हम बहन बनना चाहते हैं, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते हैं। We want to be the human being. हमें मानव समझिए। किसी बड़े pedestal पर मत रखिए, क्योंकि ऐसा करके इन लोगों ने हमें बहुत साल नीचे गिराने की कोशिश की है। आज 9 साल के बाद जब यह बिल आया है, तब मुझे तो उनकी नीयत में कोई खोट लगता है। एक कारण यह भी है कि अगर उनके मन में मंशा थी, तो उन्हें पहले ही इस बिल को लाना चाहिए था। अगर नोटबंदी का फैसला एक रात में ले सकते हैं, जीएसटी का बिल एक रात में ला सकते हैं और तीन कृषि कानून, जो काले कानून थे - अभी नड्डा जी ने बोला कि हम पुख्ता तैयारी करते हैं, अगर पुख्ता तैयारी की थी, तो तीन-तीन कृषि कानून वापस लेने की नौबत क्यों आयी? क्या यह आपकी तैयारी है? इन सब जगहों पर उनका खेल उलटा हो गया है। कल जब मैं एक सत्ताधारी पार्टी की मंत्री को सुन रही थी, तब उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे यह सुन कर बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब एक ही परिवार के दो-दो लोग इस देश के लिए शहीद होने को तैयार होते हैं, जब एक ही परिवार की एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर पद का त्याग करती हैं, जब एक ही परिवार का हमारा बच्चा राहुल गांधी बाहर निकलता है तो इनके नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकलता है।

जब वे भारत जोड़ो यात्रा में निकले, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, परसों वे लेह-लद्दाख भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। यह जो हुआ है, उसमें सभी लोगों ने, खास तौर पर हमारी महिलाओं ने अपने मन की बात की। मैडम आप एक महिला हैं। अगर हमें विश्वास नहीं आता है, तो हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन वे महिलाएं राहुल जी के गले लग रही थीं, अपने दुख-दर्द बता रही थीं। मैं यह दावे के साथ पूछना चाहती हूं कि इस परिवार के तरह-तरह के नाम रखने में आपको क्या सुख मिलता है? पंडित जी से लेकर हर रोज, 60 सालों में आपने क्या किया? आप केवल यही कहते रहते हैं। ये लोग 30 साल से सत्ता में भी नहीं हैं और बाहर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको छोड़ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है।

विशेष सत्र शुरू हो गया है। मैं दो-तीन दिन से देख रही हूं कि यहां पर अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन सबकी फोटो खींची गई, ceremonial inception हुआ। लेकिन मैं दो दिन से देख रही हूं कि हमारी बॉलिवुड की अभिनेत्रियां यहां पर दिख रही हैं - ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनका फोटो सेशन होता है। हम उनको बुलाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनको लाते हैं, तो उससे अपना फायदा मत कीजिए। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं, मैंने उनका फोटो देखा कि वे अभिनेत्रियों को मिठाई खिला रहे हैं। अगर आपको मिठाई खिलानी है, तो जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में शहादत दी, उनके घर जाइए। उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में जाइए; मणिपुर की महिलाओं को नग्न किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं हैं। इतना ही नही, इस देश को ओलम्पिक मेडल दिलवाने वाली हमारी जो महिला पहलवान हैं, उन महिला पहलवानों को रास्ते से घसीट कर लेकर जाते हो, आपके मन में उनके लिए हमदर्दी नहीं है, लेकिन बॉलिवुड से आने वाली महिलाओं के लिए हमदर्दी है।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती जया बच्चन**) *पीठासीन हुईं।*]

वे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आती हैं। हमारा विरोध इसलिए नहीं है कि वे आती हैं, उनको आने दीजिए, लेकिन उनको यहां पर प्रमोशन नहीं करना चाहिए। उनके लिए फोटो सेशन होता है, पत्रकार आते हैं। वह नहीं होना चाहिए - ऐसा मुझे लगता है।...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती जया बच्चन**)**:** मैं चेयर की रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ नहीं कह रही हूं।

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:** जब आपने हमें कांस्टीट्यूशन की कॉपी दी और हम कांस्टीट्यूशन की कॉपी लेकर आ गए, तो मैंने कांस्टीट्यूशन की कॉपी में देखा कि पार्लियामेंट क्या है? हम नई पार्लियामेंट में आएं, तो पहले पार्लियामेंट को समझ लें। उसमें पहला वाक्य यह है कि "There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People". हमारा जो पहला वाक्य है, उसके हिसाब से हमारी राष्ट्रपति जी कहां दिख रही हैं। यह समारोह तीन दिन हुआ, महिलाओं के लिए स्पेशल सेशन रख रहे हैं और आप हमारी 'आदिवासी महिला- आदिवासी महिला' कहते हैं, तो क्या सिर्फ उनको यूटिलाइज़ करते हैं? यहां पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाना आवश्यक था और अगर वह हो जाता, तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह संघर्ष का प्रवास, जो हमने शुरू किया, जिसके बारे में मैंने बताया कि यह 1989 से शुरू हुआ, मैं इसके लिए चार लाइनें कहना चाहती हूं **:**

*"किसी को गिराया, न खुद ही को उछाला,*
*कटा जिंदगी का सफर धीरे-धीरे*
*जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर*

*वहां मैं भी आया, मगर धीरे-धीरे।"*

मैडम, delimitation या Census हो, नहीं हो, लेकिन वे चीज़ें बिल के आड़े नहीं आनी चाहिए। मैं लास्ट में एक बात Hindu Marriage Act पर कहना चाहती हूं। ये बोलते हैं कि हमने सब किया, तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को Alzheimer हुआ है। उनको पहले का कुछ याद नहीं आता है, 2014 के बाद का ही सब याद आता है या वैदिक काल याद आता है। मुझे यह लगता है कि जब Hindu Marriage Act आया, Hindu Succession Act आया, Hindu Adoption and Maintenance Act आया, तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर, आज जिनका नाम लेना आवश्यक लगता है, यदि वे नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कांस्टीट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार मिलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को प्रथम महिला प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी दी हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल दी हैं, प्रथम महिला स्पीकर, श्रीमती मीरा कुमार को दिया है। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने किसको दिया है। क्या कभी कोई बीजेपी की महिला अध्यक्ष हुई हैं, क्या कोई महिला कभी आरएसएस की प्रमुख हुई हैं? उनको इसके बारे में जरूर बताना चाहिए और यह बताए बिना अपना पल्ला झाड़ नहीं लेना चाहिए। मैडम ,मैं केवल एक-दो मिनट मराठी में बात करना चाहती हूं। यह मेरी मातृभाषा है। आज गणपति और महालक्ष्मी हैं। हमारे यहां आज ही गौरी का आगमन होता है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जया बच्चन):** आप महालक्ष्मी हैं ।

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः** *"आज हमारे यहां घर-घर में गौरी आ रही हैं। इस अवसर पर, मै आपको हमारी महाराष्ट्र की शैली में शुभकामनाएं देना चाहती हूं। गणपति बप्पा मोरिया कहना चाहती हूं। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि मेरे महाराष्ट्र में जीजाबाई थीं। हमारी इसी भूमि में चांदबीबी थीं , महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले के साथ लड़ रहे थे। रमाबाई अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, तारा रानी, अहिल्याबाई - हमारे पास इतने सारे नाम हैं ,जिनके लिए हम बहुत सम्मान महसूस करते हैं। इसलिए आज, जब हम नारी को सलाम करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर एक ही बात कहना चाहती हूं कि आप सबसे पहले हमें इंसान के रूप में जीने का अधिकार दीजिए। हमें देवता मत बनाओ, हमें देवी मत बनाओ, हमें लक्ष्मी मत बनाओ। हमें देवत्व मत दें, केवल मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार दें और ओबीसी, एससी, एसटी सहित 40 परसेंट महिला आबादी के साथ इस बिल को जल्द से जल्द पारित करें। आपने मुझे समय दिया ,धन्यवाद। जय हिन्द।"

SHRIMATI MAUSAM NOOR (West Bengal): Thank you, hon. Vice-Chairperson Madam. I come from a party called the All India Trinamool Congress whose founder

* Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.

gave 41 per cent of Lok Sabha tickets to women way back in 2014. I come from a party founded by Ms. Mamata Banerjee which already has 40 per cent of women MPs in the Lok Sabha. I come from a party that already has 50 per cent women elected in the Panchayats and in the Municipalities. I come from a party founded 25 years ago which spoke in Parliament for the Women's Reservation Bill way back in 1998.

Madam, our words were not empty words, our words were put into action. Today, we are glad that the rest of India, including this Government which gave only 12 per cent tickets to women has learnt little from India's only woman serving as the Chief Minister. The BJP has sixteen Chief Ministers, none of them are women. Madam, we have already implemented the Women's Reservation Bill in the past. This Government is trying to bring a Bill in the present which it cannot implement in the near future.

Mr. Prime Minister, Sir, listen carefully to what I am saying. I am Mausam Noor from Malda, West Bengal. I have been elected twice in the Lok Sabha and now serving my third term in Parliament, in the Rajya Sabha. If you are really serious about this Bill, please give 33 per cent tickets to women in the five upcoming State elections in November this year and in general elections, 2024, next year.

Madam, of course, we support this Bill. It is our Bill, it is our idea, it is what we have already implemented. Let me try to explain to you as to how this Bill is fundamentally flawed because this Bill is linked to both delimitation exercise and the Census. It is like writing a cheque with no balance in your account and the cheque is dated not September, 2023, but, maybe 2034. In other words, you cannot cash the cheque now. You can only keep it in your drawer. You will feel good about it, but, you would not have any money in your account. This is exactly what this Government is telling the women of India.

Madam, going beyond the *words* of Parliament, we as a nation need to change our thinking. In the Election Commission of India, of thenine top posts, not even one is a woman. Out of 11,000 IAS officers, between 1951 and 2020, only one out of ten was a woman. Only one out of 10 IPS officers is a woman. Out of 688 Judges, only 83 are women. Only 15 per cent of women hold senior and managerial positions in India. It is heartening that in West Bengal, every district has a police station that is solely run by women. If a woman has to be represented, it has to be a team effort. In conclusion, Madam, I urge the Prime Minister one thing. What is the name of the Lok Sabha MP of yours who shamed us, who harassed our champion wrestlers? On behalf of the women of India, I want to know what he is still doing, sitting here in this new building. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI JAYA BACHCHAN): Shri R. Girirajan.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Hon. Chairperson, first of all, I thank my beloved leader, Thalapathy M. K. Stalin, for providing me this opportunity to speak in this august House representing DMK. For 75 years, Dravida Munnetra Kazhagam has been fighting for women's rights; we welcome the Women's Reservation Bill. The pertinent question is: Why hasn't the Modi Government shown even one per cent of the concern it showed in passing the controversial Agrarian Acts, Citizenship Amendment Act, Kashmir Special Status Act, and 10 per cent reservation, for passing the Women's Reservation Bill? People have apprehensions that the timing and the cunning manner in which the Bill is drafted has a sinister design. People will understand that despite the strength of the majority, they have remained blind for the past nine years and are trying to do an electoral *jumla* as usual. Madam, even if the Bill is passed now, the implementation of that will take many more years. As they have included a clause in Article 334A, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the States, shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures of the first census taken after commencement of the Constitution, (One Hundred and Twenty Eighth Amendment) Act, 2023, that it will be implemented after delimitation of constituencies is done. Delimitation of Lok Sabha constituencies in various States and Assembly constituencies will be drawn only after 2026. The next election after delimitation will be held in 2029. So, implementation of the said Act cannot be implemented before 2029. There is no guarantee when the census will be held, the census that never took place, the re-districting based on it, and strange ploy of passing the law now to supposedly come into effect in 2029, is all an electoral sham of failure.

Madam, the delimitation of constituencies has got its own problems and grave issues which need to be thrashed out thoroughly before arriving at the total number of Lok Sabha constituencies and Assembly seats in States in the country. The ploy to reduce the representation of the people of South India, especially from Tamil Nadu in the Lok Sabha in the name of constituency re-delimitation must be nipped in the bud. The Government must now give an assurance that it will not deceive Tamil Nadu and other South India States. The BJP-led Government should consider rationale behind the demand for reservation for women from backward and most backward communities. There should an inner reservation for women from OBC and BC while implementing 33 per cent reservation. The DMK President and the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin in his statement, has reiterated this aspect. Madam,

gender equality means empowering women in all ways and in all places. For that, they should first be given their proper places. Dravida Munnetra Kazgagam has been insisting on this. Whenever the DMK Government is formed, it is implemented. In 1996, Chief Minister Kalaignar had provided 33 per cent reservation for women in local bodies. By the end of 1996, elections to local bodies such as Panchayat Unions, municipalities and corporations were held by the DMK. The Women's Reservation Bill has been pending for nearly 27 years. The Women's Reservation Bill was first introduced in 1996 by the Union Government of the DMK. In 2005 too, the DMK-led Union Government introduced the Bill. The BJP, which initially said it would support it, then opposed it. Uma Bharti, who spoke on behalf of BJP, had vehemently opposed it. Among those who have opposed it in the past, is the present U.P. Chief Minister, Yogi Adityanath also. Under the DMK led UPA-II Government, the Women's Reservation Bill was introduced in the Rajya Sabha on March 8, 2010 on Women's Day and passed on the next day during the UPA Government. Before that, hon. Deve Gowda's Government brought this Bill. Our floor Leader, Shri Tiruchi Siva, also spoke on the Bill. Unfortunately, it could not be passed in Lok Sabha due to opposition from some political parties. The BJP Government which came to power after that shelved the Bill. In 2014 and 2019 elections, the BJP won a majority. If they wanted to pass the Bill, they could have accomplished it immediately. But they did not even bother to introduce the Bill for the reasons better known to them. In 2017, we took out a rally in Delhi on behalf of the DMK. Mrs. Kanimozhi, the Women's Wing Secretary and then Rajya Sabha Member and now Lok Sabha Member led the rally which was held to press for the implementation 33 per cent reservation for women in Parliament and Assembly constituencies in States. Madam, former Prime Minister, Rajiv Gandhi ensured reservation in local bodies. Former Prime Minister, Manmohan Singh introduced the Women's Reservation Bill in Parliament and State Assemblies in the Rajya Sabha. The achievements of both of them deserve to be remembered now. On behalf of the Dravia Munnetra Kazhagam, I welcome the Bill to provide 33 per cent reservation to women brought in by the Union Government. Even if it is done because of the passage of time, I urge the Union rulers to consider its justification and not ignore the demand for representation for women of the backward and most backward communities. India is the only country that has not yet conducted a census that takes place once in a decade. So far, the BJP has not given assurances about when it will happen. The delimitation of constituencies based on population alone is a dagger hanging over the head of Tamil Nadu and South Indian States. The political conspiracy to increase the number of MPs from North Indian States like U.P. and Bihar and reducing the political representation of South India must be defeated. The

unjust attempt to deceive a politically conscious State, Tamil Nadu, must be nipped in the bud. Even Chandrayaan softly landed on the South Pole of Moon, but BJP cannot land in South India. Mind it! Following the footsteps of doyens of social justice and Dravidian model, Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Dr. Kalaignar several farsighted initiatives and schemes for women empowerment were being implemented by the DMK Government. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin has been continuing the legacy of the Dravidian model of governance. Today welfare schemes for women that are being implemented in Tamil Nadu over the last five decades are: equal right for women in family properties in 1989; increase in reservation for women in Government jobs to 40 per cent; Dr. Muthulakshmi Maternity Benefit Scheme aimed at ensuring maternal nutrition; schemes for education, marriage assistance and remarriage; fare-free travel for women in Government-run city buses; the Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Higher Education Assurance Scheme provides Rs.1,000 financial assistance to girls till they complete their recognized course. The Government of Tamil Nadu has launched the grand social welfare initiative for women - Kalaignar Magalir Urimai Thogai Thittam, on September 15. Through this scheme, monthly financial assistance of Rs. 1,000 is provided to 1,06,50,000 eligible women family heads in the State.

Madam, Tamil Nadu has become the role model State in the country due to the continuous efforts of our great leaders Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Dr. Kalaignar and Thalapathy M.K. Stalin.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI JAYA BACHCHAN): I am sorry, I have been asked to tell you that your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. GIRIRAJAN: Madam, through our Dravidian Model Government, we have fulfilled all our poll promises. But, at the same time, we have the Union Government led by Shri Narendra Modi at the Centre for almost a decade. We have never seen any other Government which never bothered to fulfil their poll promises. The Narendra Modi led BJP Government has several political and electoral promises never to be fulfilled. No other Government has promised so much electoral *jumlas* than this Government. We can publish volumes of electoral *jumlas* of Narendra Modi and his Government.

They promised that all the black money stashed in foreign countries by Indians will be brought back and Rs. 15 Lakh would be deposited in bank account of each and every citizen. This remains as the greatest *jumla* of BJP.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जया बच्चन)**: गिरिराजन जी, आपके बाद महिला का चांस है, आप अपना भाषण खत्म कर दीजिए।

SHRI R. GIRIRAJAN: The BJP has promised that they will provide two crore new jobs every year to people of this country, especially the educated youth but the unemployment problem has reached the highest in the history of independent India.

Before I conclude, I would say that when Narendra Modi became the Prime Minister, he had promised the people of India linking of rivers, especially the peninsular rivers, but nothing happened so far. All these promises still remain as electoral *jumlas*.

It is not a surprise that though the Women's Reservation Bill is being passed and President's assent will be given, the implementation of the Act will have to wait several years and pass through several ordeals.

In the last ten years, the people of this country have seen and experienced enough *jumlas* and U-turns from this Government and I only wish that the people of India will teach them a lesson in the 2024 electoral battle for all the electoral *jumlas.* Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI JAYA BACHCHAN): Thank you, Mr. Girirajan. You have taken extra time*...(Interruptions)...* Don't keep the lady Member waiting to speak. Now, Shrimati Sulata Deo.

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Jai Jagannath! Madam Vice-Chairman, thank you so much for giving me this opportunity to speak in my mother tongue Odiya. From my party, the Biju Janata Dal, I support the Bill. *"I, on behalf of my party BJD, support the Bill. I would begin with a quote: "Women empowerment is not a slogan but a non-negotiable code for us." Today we are discussing Nari Shakti Vandan Adhiniyam in this august House. It is heartening to learn that the India Today Group yesterday reported that Odisha is the frontrunner when it comes to Nari Shakti Vandan and I feel proud of the accolades bestowed. Late Shri Biju Patnaik, who was also the Chief Minister of Odisha, once stated that 'Narrow-mindedness belittles a society' and I hope, you all will appreciate the same. Odisha had the privilege of being the first state, which for the first time, had reserved 33% seats for women within the legal framework of Panchayati Raj in the year 1992 itself, and as a result, 33% of

* English translation of the original speech delivered in Odia.

women members got elected. His able son and my leader, Shri Naveen Patnaik followed into the footsteps of his father and he could also envision that a state prospers with the empowerment of women. If women are not empowered, a society, nation and state cannot flourish. Accordingly, he gave 50% reservation for women in the subsequent Panchayati Raj elections. In the year 2012, he came up with yet another piece of legislation by which 50% of seats were reserved in the urban local bodies to ensure maximum representation for women. Because of that virtuous initiative, out of the three municipal corporations, two are at present headed by women. This shows the level of commitment of BJD to the cause of women. Though we all have gathered here to champion the cause of women empowerment, I would like to add here that my leader, Shri Naveen Patnaik launched the *Mission Shakti* on the 8th of March, 2001 with an idea of empowering women. You will be pleased to learn that around 70 Lakh women, in some way or the other, are linked to the *Mission Shakti* and moving ahead. It is a great achievement. My Chief Minister is perhaps second to none in the whole country, in the cause of women's empowerment. His contribution is unparalleled. Mission Shakti has come up as a separate and dedicated department headed by a Minister. By the endeavour of this Mission, a woman has even achieved the status of an industrialist. It has been a saga of success stories wherein some of the women have also been able to attain the status of CEO and Managing Director of companies while they had started their humble journey as SHG members. The days are not far when someday a woman from Odisha will prove her mettle and establish herself gloriously in both India and the world. The credit for this goes to the mass leader, Shri Naveen Patnaik ji. There is an adage in Odiya that यह हर लैंग्वेज में भी है। "behind every successful man, there is a contribution of a woman" But in my case and for many other women like me, it has been the contribution of my party leader, Shri Naveen Patnaik who has empowered us politically and economically. Getting this passed has been a long-standing demand of our Hon. Chief Minister and this is going to be fulfilled today. Sitting here, I pay my obeisance to him. Jai Jagannath!

[THE VICE-CHAIRPERSON (DR. KANIMOZHI NVN SOMU) *in the Chair.*]

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. KANIMOZHI NVN SOMU): Now, Shri Subhas Chandra Bose Pilli.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): * "Madam, Thank you for giving me this opportunity to speak on the Women's Reservation Bill in Telugu language, which is my mother tongue. Hon. Vice-Chairperson, introduction of this Bill is very much welcome and appreciated. I wholeheartedly congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji. As per the directions of the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy, we totally support this Bill.

I am having some demands and desires on OBC reservations. I would like place before the Government, through you, Madam. Please permit me. Almost 50 per cent of the population of our country consists of women. In this 50 per cent, the women who talk about politics are less than one per cent and the women who are in politics are less than 0.5 per cent. 33 percent reservation is being provided to women through this Bill. My wish here is, just as proportionate reservation is being given to Schedule Castes and Schedule Tribes, women should also be given proportionate reservation of 50 per cent and include 27 per cent to OBCs. OBCs are socially backward people. OBCs are economically backward people. In our country, though some women are from wealthy families, they do not have financial independence. There are women who are backward in education. That is why while giving 50 percent reservation to women, I am also asking for 27% reservation for OBCs. It is said that this Bill will come into effect after the process of delimitation. This means that after the Bill is enacted into law, we will have to wait for at least seven more years to reap the benefits of this Bill. It is like; a full course meal is served and is asked to be eaten after seven years. This Bill is as beautiful as this. This is very unfortunate. This Bill will be useful if reservation is made effective immediately. It will be useful to their party also if the Bill is implemented immediately. Through you, I request the hon. Prime Minister to think in this way.

Madam, what is the object of Indian reservation system? The object of Indian reservation system is to improve the social and educational opportunities for the underprivileged communities and thus uplift their lifestyle to have a place in the mainstream of Indian system. That is the objective. Why don't you apply to the OBCs? Why don't you apply the same principle to the (Other Backward Class) OBCs? Do you think that the OBCs are not economically backward people? Do you think that the OBCs are not educationally backward people? Do you think that the OBCs are not socially backward people? Then, why are you not applying that principle here? I am unable to understand why you are showing this discrimination. I request the hon. Prime Minister to think about this.

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

I want to bring one incident to the notice of this august House. It is unfortunate that the hon. former Chief Minister of Andhra Pradesh wrote a letter to the Union Minister of Law and Justice, that the OBCs are not eligible to be appointed as Judges in the High Courts. This is very unfortunate Madam Chairperson. Why this kind of oppression in these contemporary times?

Justice Hima Bindu, a young woman judge, is principal special judge of ACB Court, Vijayawada. She delivered a landmark judgment in a case relating to former Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu. Justice Sesuraiah, Retired Supreme Court Judge is from OBC Community. Justice (late) B.S.A. Swamy, who served as Judge in High Court is also from OBC Community. He belongs to my district." (*Time bell rings.*)

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. KANIMOZHI NVN SOMU): Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: *"Have they ever delivered any judgment which was unconstitutional? Then, why did the former Chief Minister of Andhra Pradesh write this letter? Why this despotism? Why this oppression? Madam, I am feeling very sad to bring these things to the notice of the people of this country and also to this august House. In these times, where such letters are written and people are oppressed, if OBCs are not given reservation, they will start questioning. People are educated now. If they are oppressed in these times, they do not have patience to wait and watch. Through you, I request the Hon'ble Prime Minister to bring OBC Bill on urgent basis."

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. KANIMOZHI NVN SOMU): Your time is up. (*Time bell rings.*)

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: *"I once again thank you, madam for giving me the opportunity to speak."

SHRI RAVICHANDRA VADDIRAJU (Telangana): Thank you, Madam. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। *"Hon. Madam, Vice-Chairperson, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Women's Reservation Bill. I also thank the Hon'ble

*English translation of the original speech made in Telugu.

Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrashekar Rao for giving me the opportunity. "*Yatra Nariyastu Pujyanthe, Ramante Tatra Devatha*", i.e., where women are honoured, divinity blossoms there and such a society advances. A society where women are disrespected cannot prosper, says our culture.Women have always held a special place in Puranas and history. The first worship was done to the woman as *Adiparashakti*. Our Vedas say that nature is the form of a woman. Our Rishis always exhorted us to worship the Mother as *Mathrudevobhava*. Our Upanishads and Shastras describe woman as an empowered Shakti. Matriarchal system continued during the era of kings. Women were respected. In course of time, with the establishment of family system, women's familial responsibilities increased and got confined to home. As a result, male dominance increased in the society. Half the sky, half the chances. Men and women, both are equal in the institution of family. Movements started 30 years ago for equal rights and opportunities in legislatures. Due to the lack of sincerity of the ruling political parties at the Centre, the Bill was confined to remain on paper for years. The issue of women's reservation was not taken forward as it was linked to the issue of OBCs' reservation. Though, on several occasions, the Bill was brought forward in the Parliament yet it was like taking one step forward and two steps backward. From Telangana Sayudha Poratam (Telangana Rebellion) to Swarashtra Movement, Telangana women have shown that they are not only capable of ruling the State but also possess defiant courage to rebel if needed. From Rani Rudrama Devi, who provided a welfare regime, to Sammakka, Saralamma, Chakali Ilamma's Telangana Rebellion and struggle for separate Telangana, Telangana soil has become a symbol of women power. The Telangana Government, which continues to govern the State with the spirit of the movement, is working tirelessly for women's empowerment and their welfare.

To empower women and for their further welfare, Telangana Government has provided 50 per cent reservation for women in local bodies and 50 per cent reservation for women in GHMC. Telangana Government also provided 33 per cent reservation in market committees and endowment committees, 33 per cent reservation for women in jobs, 10 per cent plots in new industrial parks for women, 33 per cent reservation for women in civil police jobs and 10 per cent reservation in armed reserve police jobs from the year 2015; also 33.33% of the initial appointments in the EWS category, 33 per cent reservation for women journalists in accreditations, Kalyan Lakshmi, Shadi Mubarak, Pension for single woman, support to beedi workers, door-to-door drinking water supply through Mission Bhagiratha, Arogya Lakshmi, KCR kit, KCR Nutritionist Kit, 2 BHK houses in the name of women under Gruha Lakshmi Scheme, Land purchase scheme for SCs for woman, Industrial Park

'WE HUB' exclusively for women entrepreneurs in Telangana. All these Schemes were launched by Hon. Chief Minister, Shri K. Chandrashekar Rao for catering to the welfare of the women in Telangana.

Hon. Chief Minister, Shri K. Chandrashekar Rao is encouraging sportswomen like P.V. Sindhu (Badminton), Mary Kom (Boxing) and Meghana Sadula (Rifle Shooting) and also women from different arena. Within 12 days of the formation of Telangana in 2014 and assuming the charge of the government, a resolution was passed on 14th June, 2014 to provide 33 per cent reservation for women in the Telangana Legislative Assembly and the same was sent to the Parliament.

He also wrote a letter recently on 15th September to the Hon. Prime Minister requesting for 33 per cent reservation for the OBC Community. Even before this Bill was introduced, in the year 2014 itself, Shri K. Chandrashekar Rao recommended reservation for women and OBCs. Therefore, all the credit should go to him. Women are the new forces driving the country. They should be provided 33 per cent reservation of seats in Lok Sabha and State legislatures. BRS National President, Shri K. Chandrashekar Rao, directed Smt. K Kavitha, MLC even before Telangana Movement to strive for women empowerment and reservation for women in the Telangana Legislative Assembly. On 8th March, 2023, on the occasion of International Women's Day, she staged a protest at Jantar Mantar demanding Women's Reservation Bill to be passed in Parliament. 18 political parties participated in the dharna and expressed solidarity. On 5th September, 2023, she wrote letters to 47 political parties for 33 per cent women's quota in Lok Sabha and state legislative assemblies.

The Central Government should immediately implement 33 per cent reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies so as to make it worthy and beneficial for women in the upcoming elections. I also request for reservation for OBCs. In this age of computers, we are proud that we successfully landed on the Moon. We achieved this feat and have won laurels from the world community. Hon. Chief Minister, Shri K. Chandrashekar Rao got the census conducted for the entire state of Telangana in a single day. If this government wishes, the census of the entire country can be conducted in a single day. The Women's Reservation Bill and this Special Session will have relevance only when the Bill is implemented before the upcoming elections. Thank You, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. KANIMOZHI NVN SOMU): Smt. P.T. Usha. She is not present. Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): I thank you Madam Vice-Chairperson for giving me this golden opportunity to take part in the discussion on this historic legislation. Today, this House has taken up for its consideration and passing the Constitution (One Hundred and Twenty-eighth) Amendment Bill, 2023, which, after its passing, will pave the way for reserving 1/3rd of seats in the Lok Sabha, State Assemblies and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

The Statement of Objects and Reasons to the Bill, inter alia, states, 'However, true empowerment of women will require greater participation of women in the decision making process as they bring different perspectives and enrich the quality of legislative debates and decision-making.'

Madam, whenever women empowerment is debated and discussed, one cannot forget the significant contribution made by our Telugu Desam Party founder, Shri Nandamuri Taraka Rama Rao. Shri N.T. Rama Rao garu is fondly called, known and remembered as NTR. Madam, way back in 1985 itself, through legislation, in Andhra Pradesh Assembly, he gave women equal share in the paternal property. That Bill gave daughters a share in the Hindu joint family property. It treated daughters as coparceners from the day of birth. This ground-breaking move set a precedent for the nation.

Madam, NTR garu was a visionary leader and many States followed his steps and enacted laws in their respective States and also by the Centre to give share in property to daughters. Apart from this, our leader, Chandrababu Naidu garu, has implemented reservation, without there being any amendment to legislation, for women in local body elections, both in rural and urban areas. Our leader and former Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu, had consistently demonstrated his commitment to women empowerment. Our leader had appointed Smt. Pratiba Bharati as Speaker of the Andhra Pradesh Legislative Assembly in 1999 itself.

Madam, my learned colleague, Mr. Subhas Chandra Bose Pllli, while speaking on this Bill, made an allegation against Chandrababu Naidu garu that he wrote a letter to the Chief Justice that OBCs should not be appointed as Judges. It is a false allegation and he misrepresented the House. During his tenure of 14 years as Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu made several recommendations that BCs and women candidates be appointed as Judges.

Madam, the Women's Reservation Bill was first brought by the Government led by Shri H.D. Devegowda in 1996.

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. KANIMOZHI NVN SOMU): Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: After that, it was referred to the Committee headed by Mrs. Mukherjee. Then, Shri Atal Bihari Vajpayee also made sincere efforts and brought this Bill in 1998. But, it could not be passed. The Bill, though brief in nature, brings new era in the life of our country. It will create history by reserving a certain number of seats for women in Legislatures and the Lok Sabha. It is a proud moment for this House. This Bill has a provision for women reservation through Article 330A and 332A in the form of constitutional amendment. Under this, one-third seats are reserved for women by vertical reservation in all these three categories. *(Time-bell rings.)*

Madam, there are doubts in the minds of some people regarding this Bill coming into effect. Madam, it is my earnest appeal to the Government to make the Bill a reality at the earliest.

With these words, I extend my support to the Bill on behalf of my Telugu Desam Party. I urge the Government to bring this Bill into force at the earliest. Thank you.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.)*

MR. CHAIRMAN: Shri K.C. Venugopal. You have ten minutes.

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Thank you Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on this important legislation. It was a long journey.

MR. CHAIRMAN: From your party, you are the only man, rest are women. *...(Interruptions)...*

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, this journey started from 1931 onwards when Smt. Sarojini Naidu wrote a letter to the then Prime Minister for equal power between men and women. Then, certainly, Balwantraiji, Indiraji and, finally, Rajivji in 1989 brought a great legislation to empower women in local bodies. Actually, Naddaji spoke very much about their claim on this Bill. What happened in 1989 when Rajivji introduced the Bill giving empowerment to women in local bodies? Sir, the entire BJP opposed that Bill! Who are all those stalwarts of BJP who opposed that? Sir, I took out the record from the Rajya Sabha Secretariat to see who are all the people who voted

against that Bill. It was Shri Lal Krishna Advani, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Jaswant Singh and Shri Ram Jethmalani. All of them opposed that Bill. Sir, this is the record of the Rajya Sabha. Now, you claim you are the champion of this Bill. Sir, of course, in 2010, we had brought and passed the Bill in the Rajya Sabha. But, unfortunately, we were not in a position to pass the Bill in the Lok Sabha. But, you came to power in 2014. You have made a promise to the people of India, 'We are going to bring Women's Reservation Bill.' Who stopped you? From 2014 to 2023 — 9 years — who stopped you to bring this Bill? I would like to know from the hon. Prime Minister whether he was waiting for this new building to introduce this Bill! Was there any Vaastu issue in that building? Was it there? Otherwise, is there good *Muhurta* for introducing this Bill in 2023? You lost nine-and-a-half years! Now, you are saying that you are going to implement it from 2029 after delimitation. Then, where is the sincerity?

Sir, game-changing legislations and life transforming legislations have to come from the heart of rulers, not from the brain of rulers. We have witnessed many life-transforming legislations - MGNREGA, Right to Information, food security and, of course, land acquisition. We have witnessed such kind of life-transforming Bills. They all have come from the heart of rulers. Now, this Bill, at the end of the period of the Lok Sabha, is not coming from the heart of the rulers. This is coming from brain of rulers. It is because you have political calculation to bring this Bill. Why did that political calculation come? It came after Karnataka elections. The Congress party strengthened the entire women folk of Karnataka through guarantees and we have implemented those guarantees. The entire women of Karnataka are with us. You ask people in Karnataka what they are talking about those guarantees. They are empowered. Women can be empowered through political or economic empowerment. Sir, which is the biggest economic empowerment legislation of this country? It is MGNREGA. Fifty-eight per cent of women are working under NREGA.

3.00 **P.M.**

Your Prime Minister told, 'this is the memory of our corruption. 'Then he corrected that. During the entire Covid period, the only one scheme that benefitted the poor people of this country was the MNREGA. ...*(Interruptions)*... Then, Self-Help Group was brought in 2011. The UPA brought that. Kerala started it earlier through '*Kudumbashree'.* All these are economical empowerment of women. Now, at the time of the Lok Sabha elections, you have brought this Bill, and you are telling, 'We are the champions.' You opposed Rajivji's Bill.

Now, Sir, there are a lot many *Bhashans* about this Bill. When is it going to be implemented? We need a clear-cut answer. Naddaji told, '2029'. If it is going to happen in 2029, when will the Census take place, when would the Delimitation process start, when is it going to be completed and when will the women get a representation as per this law? All this has to be answered by the hon. Prime Minister or the Government.

Sir, here, Naddaji talked about OBC Reservation which happened in that House. I also read some articles in today's newspapers that 'our hon. Home Minister has spoken that the Prime Minister of India has given his entire bank account to the employees.' That is good. But you have to remember about this also that the Iron Lady, Indira Gandhiji, the then Prime Minister of India, in 1962 War, when the country was in a difficult period, donated her entire jewellery to the National Defence Fund; Prime Minister, Indira Gandhi, did it. We are proud, Sir, that we had a leader like Indira Gandhiji. They are talking about women empowerment. Who is the first woman Prime Minister? Who has given the first woman Prime Minister? Who has given the first woman President of India? Who has given the first Lok Sabha Speaker of India? Who has given the first Governor of India? Who has given the first Party President of India? ...*(Interruptions)*... Everything is 'Congress', Sir. Then, they are trying to become the champions of these things. ...*(Interruptions)*... No, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, if you are going to do the Census ... ...*(Interruptions)*... Naddaji talked about OBC. OBC के लिए बहुत ज्यादा बोल दिया। Then, why are you running away from Caste Census? ...*(Interruptions)*... Why are you running away from Caste Census? If you have an OBC *prem*, do the Caste Census and show the country. Why are you running away from the Caste Census? You are just talking. ...*(Interruptions)*... Yes, we are proudly saying, 'Out of our four Chief Ministers, three are from OBC community.' You are talking about the 'Congress.' ...*(Interruptions)*... Therefore, you have to understand it.

Then, Sir, these people are talking about women empowerment. All of my fellow Parliamentarians spoke about Unnao, Kathua, Manipur and Hathras. Sir, I was also pained when I saw the video of women paraded naked in Manipur. When I went there with Rahul Gandhji, the women-folk of Manipur were crying before us. Our Prime Minister did not even utter a single word in hundred days. ...*(Interruptions)*... Then you are talking about women empowerment! ...*(Interruptions)*... What women empowerment is there! ...*(Interruptions)*... Yes, there is no discrimination. ...*(Interruptions)*... I am telling it very clearly. There is one thing. ...*(Interruptions)*... They are talking about women empowerment. Take '*Beti Bachao Beti Padhao*'. The Government utilized only Rs. 156 crores out of a Budget of Rs. 848 crores. ...(*Time*

*bell rings.*)... Shockingly, 80 per cent of the fund allocated was spent on publicity for *'Beti Bachao Beti Padhao.'* In 2023, the Budget for Mission *Shakti* was declined by 1.2 per cent which included your *Pradhan Mantri Matru Vandana* Yojana, Women Helpline, *Beti Bachao Beti Padhao*, and other schemes. ...(*Time bell rings.*)...

MR. CHAIRMAN: Thirty seconds.

SHRI K.C. VENUGOPAL: You speak about women safety. But why is thirty per cent Nirbhaya fund unutilized? When you are speaking about the women security, why is 30 per cent Nirbhaya Fund unutilized? Give us an answer. Sir, there is price rise and the women are crying. The price of LPG gas is thousand rupees. Take tomato. There is price rise everywhere. ...*(Time-bell rings.)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Venugopal, your time is over.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, I am concluding. One minute only.

MR. CHAIRMAN: Next, Shri Derek O'Brien.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, one minute. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, I have to go by the time available. I am so sorry. ...*(Interruptions)*... Okay, from your Party, we will delete the rest. We will adjust. Okay! Go ahead.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, my point is that women are in a very great difficult situation in this country due to price rise. You are talking about empowerment of women. What is the LPG gas price? It is Rs.1200. The petrol and diesel price is hiking. The tomato price is hiking. They are facing difficulties everywhere. On the other hand, their security is totally compromised. At the time of the election period, they are bringing such a legislation and they are telling that this is not going to happen this time.

Therefore, we need only two assurances from this Government. One is, this Bill has to be implemented quickly, immediately. Then, there should be an OBC Reservation provision in this Bill. These two major things are there. We are supporting this Bill because this is our child. Therefore, basically, we are supporting it. Very strongly, we are supporting it. There is no doubt about it. But, if this Bill is going to be

implemented only in 2029, then, what is the purpose of calling the Special Session? ...*(Interruptions)*... What is the use of Special Session? We could have passed it in Winter Session. We could have easily passed it in Winter Session? ...*(Interruptions)*...

There is one more thing which I have to say. You have to allow me. Sir, two major events happened in last one month. One is the inauguration of this Parliament Building. We all expected that the hon. President and hon. Vice-President will be there. You are the custodian of this Rajya Sabha, Sir. It is an insult to us, the Rajya Sabha Members. Our Chairman was not there at that time. ...*(Interruptions)*... Our Chairman was not there at that time. The President of India was not there at that time. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we can't trade on deficiencies. We can't trade ignorance of others. Let me make it very clear. The Vice-President and the hon. President have been accorded the highest respect in the country. Number one. ...*(Interruptions)*... No.2; there has been no constitutional transgression. The position of the President and the Vice-President or the Chairman has to be kept at the level as expected and that was done, and that is what you have seen in last three days also. I would appeal to you that as a Member of the leading Opposition party, you must do your homework. Find out. It doesn't send a good message when you bring in the hon. President also. Read the Constitution and you will find that the role has been defined categorically. ...*(Interruptions)*... Leave it at that. ...*(Interruptions)*... Let us not get into that area. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, I know that ...

MR. CHAIRMAN: I can assure you, your Chairman will not allow anyone to denude his power.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Therefore, there has been no denudation. There has been no decrease. ...*(Interruptions)*... Get over this perception. ...*(Interruptions)*... We believe in rule of law, in constitutionalism. Point out a single article of Constitution which, according to you, has been transgressed. ...*(Interruptions)*... We cannot lower the dignity of the hon. President. ...*(Interruptions)*... The hon. President has to come here under the Constitution. ...*(Interruptions)*... And let me tell you, hon.

Members. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. In the first amendment of the Indian Constitution, please recall it, there was a provision by framers of the Constitution that the hon. President will address every Session of Parliament. That was the original prescription in the Constitution. And, the amendment was once a year. The hon. President has to actually act in accord with the Constitution. The Constitution stipulates... ...*(Interruptions)*... No. Don't reduce our position. ...*(Interruptions)*... Don't reduce our position, please. Understand and do it.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (KARNATAKA): Sir, he was talking about the inauguration of this building. Rest of what was said... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Nasir Hussain, do you think Mr. K.C. Venugopal needs your support? Some of you rise to give support. ...*(Interruptions)*... Mr. Venugopal, please conclude now.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, I am winding up.

Sir, I respect your position and dignity. Surely, I respect that, but the people of India expected the hon. President of India's and your presence. That is what I mentioned. Sir, one more thing; they have brought this Bill now and they are trying to become champions of that. They want to divert attention from a lot many issues. That is why they talk about 'one nation one election' and all these things. We know that. Can I ask them a question? Mr. Nadda talked about representation of women in their party. Even our party has enough representation of women. But who is controlling their party? It is the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Isn't that so? Can they tell us how many women are there in the RSS? ...*(Interruptions)*.... I would like to quote a statement. In 2010, when the Bill was passed in Rajya Sabha and it couldn't be passed in the Lok Sabha, at that time, the then Member of Parliament of Lok Sabha and now the Chief Minister of Uttar Pradesh said, "There is women's representation at present at local level. How does this affect their domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roles." Therefore, their attitude is that women are meant only for child care. ...*(Interruptions)*....

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)**: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Venugopal, he has a point of order. ...*(Interruptions)*....

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, their attitude is that women are meant only for child care. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Mr. Venugopal, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*.... There is a point of order. ...*(Interruptions)*.... Nothing will go on record. Mr. Venugopal, nothing will go on record. There is a point of order. Please sit down. ...*(Interruptions)*.... Please sit down, all of you. इतने आराम से बात हो रही है, आपने अपनी बात कही, एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, उसको प्रेम से, स्माइल से, कम्पोज़र से सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Yes, Mr. Yadav, what is your point of order and under which rule?

**श्री भूपेन्द्र यादव:** सर, रूल 235।

सर, रूल 235(ii) में है कि किसी भी मेम्बर को यह अधिकार नहीं है कि सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य के ऊपर कोई आक्षेप लगाए। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर वेणुगोपाल जी बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। वे हमें जिस संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, हमें उस संगठन का होने पर गर्व है। आरएसएस के साथ जो 'राष्ट्रीय सेविका समिति' है, उसमें 100 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो राष्ट्रभक्ति का कार्य करती हैं। ...(**व्यवधान**)... सुबह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था और मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि काँग्रेस वाले ठीक से ट्यूशन लेकर बोला करें, बिना तरीके और बिना तथ्यों के न बोला करें, बिना बात के न बोला करें। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Venugopal. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Under which rule?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is on the same rule, Rule 235. It was read wrongly. It says, "(ii) shall not interrupt any Member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner." The hon. Member was speaking. He was being interrupted from that side only. How can the point of order be pointed towards him? ...*(Interruptions)*...

**श्री भूपेन्द्र यादव:** सर ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please read Rule 240.

**श्री भूपेन्द्र यादवः** सर, मैं वैसे बताता हूँ। कोई भी सदस्य irrelevant rule को नहीं उठाएगा। तिरुची शिवा ने irrelevant rule को उठाया है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** ऐसा है ...(**व्यवधान**)... इसको conclude करते हैं। ...(**व्यवधान**)... बड़ा अच्छा लगता है, कुछ हँसी के फव्वारे भी होने चाहिए। यह मिलीभगत का मामला तो नहीं है। Now, please conclude.

SHRI K.C. VENUGOPAL: I am concluding. Sir, I was talking about the attitude of BJP leaders. I am quoting from an old article in the Hindustan Times where there was a statement by the current UP Chief Minister who was then a Member of Parliament. It reads, "There is women's reservation at present at local level. How does this affect their domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roles?" That means, their attitude is that women are meant only for child care. ...*(Interruptions)*....

Sir, my point is, we are going to support this Bill. Such a life-transforming Bill has to come from the mind and heart. Our Prime Minister says that he has a 56 inches-chest. If he has got a 56 inches-chest, what is stopping them from implementing this Bill in 2024? Please correct yourself with a heart.

Thank you, Sir. *Jai Hind*!

MR. CHAIRMAN: Shri Derek O'Brien; seven minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, ten minutes.

MR. CHAIRMAN: Seven minutes. Mr. K.C. Venugopal has taken the time of other Members. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, *

MR. CHAIRMAN: Is something wrong with you? Sit down!

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have got ten minutes of my Party. Why are you doing this, Sir?

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Now, look here. Just sit down and listen to me. It has virtually become your refrain. All India Trinamool Congress -- Ms. Dola Sen took ten minutes. Your party's total time is 24 minutes. You have 14 minutes left; seven minutes each. You can take all the 14 minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just hear me out, please. ...*(Interruptions)*... Sir, just hear me out and then, if I am saying something wrong...

MR. CHAIRMAN: Just talk about the time. How much time does your party have?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am talking only about time. My party has 24 minutes.

MR. CHAIRMAN: How much has been used?

SHRI DEREK O'BRIEN: Fourteen minutes. Ten minutes were taken by Ms. Dola Sen and four by Shrimati Mausam Noor. 24 minus 14 is 10.

MR. CHAIRMAN: So, how much time is left?

SHRI DEREK O'BRIEN: Ten minutes.

MR. CHAIRMAN: Okay. Take ten minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have not started and it is already 1.25 minutes.

MR. CHAIRMAN: Doesn't matter. Take ten minutes. Go ahead.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I support the Women's Reservation Bill. But when will this Government learn that this is a parliamentary democracy and that this is not an army commando operation? In an army commando operation, you need secrecy, you need surprise and you need stealth. In a parliamentary democracy, you don't. You need cooperation, you need sharing. Why do you bring this special parliamentary session bulletin with no agenda, saying the agenda will be added later? Second, why do you have an all-party meeting on Sunday and don't mention a word about this Bill? Why do you have a Cabinet meeting and this morning, we were given four hours' time to submit amendments? Honestly, I appeal to them, parliamentary democracy with such secrecy hurts a democracy. We know why it is being done. For the last

three days, one man's story is being told. Fair enough. Today, I want to begin with a quote, which everyone can own today -- "Sir, we want the Women's Reservation Bill to be introduced. We want nothing short of the Women's Reservation Bill. We want a specific date. We want an assurance that the Women's Reservation Bill is brought. It is a matter of shame that it hasn't been brought. We want a specific time-frame."

This is very nice today. This was said by somebody in the Lok Sabha on 14th of July, 1998. It was a woman MP. Today, she is the three-time Chief Minister of Bengal; she is the founder Chairperson of Trinamool Congress and she has already got 40 per cent of our women MPs in the Lok Sabha. From 14th of July, 1998, let this woman's story be told. In 2006, a 26-day hunger strike! No reservation! Struggling and fighting for her rights as a woman! In 2014, setting a record, -- the Bill didn't get passed; and what she did! -- she gave 41 per cent of tickets in the Lok Sabha to women MPs. The BJP President, the first speaker, was saying, "This is the shortest way to bring women to Parliament." No, Sir, this is not the shortest way. You didn't need the Bill. Show us, and bring them to Parliament.

Now, you come to the life of this woman. In 2019, she sets a record. Not only that, she gave 40 per cent tickets to women, 39 per cent women Lok Sabha MPs are already sitting in the Lok Sabha. Why do I say this? It is one thing to give the women tickets, it is another thing to make sure you give them tickets which are winnable. We have heard one man story. One woman story needs to be told today in this new Parliament Building. I will tell you more. In 2021, the Assembly elections in Bengal, a man came with money, with media, with muscle power with misogyny and mocked her, *'Didi, O Didi'*. You even tried to smash and you broke her foot. You smashed it to injure her. Yes, she gave you the answer truly like a woman, softly. *...(Interruptions)...* When I talk about Mr. Modi and Mr. Shah, I get under the skin. I know it. *...(Interruptions)...* The woman didn't answer; the people of Bengal in India provided the answer. After the elections, what happened? The Health Ministry of Bengal, the Finance Ministry of Bengal, the Land Ministry, the Industry Ministry, the Commerce Ministry are all headed by women. You couldn't find one woman in your 16 Chief Ministers to make a Chief Minister and you are coming and telling us what to do for women. Take some of our advice. Now we will give you like how we gave you in 1998, you are trying to implement in 2045 or whatever. Listen to two pieces of advice from us and take it in good spirit because women, at least, my Chairperson has a vision which I look up to. So, here is one suggestion. If you are so keen, -- it is past 2.00 p.m. already, so nobody can submit any amendments -- as we are all saying, the Congress Party, the Trinamool, the DMK, the AAP, all of us, we, INDIA, bring this in 2024. So, all you need to do is to bring this in 2024 and to remove 334A from your

existing Bill. Bring it; we will start it in 2024. It is a suggestion. If you are finding it difficult to do, here is another solution. At least, you try it. In 2024, an open challenge from my Party, you bring one-third of women elected from your party and show us. Bring them and show us. I guarantee you. You bring one-third of women with your Bill and without your Bill. Some people have a sense of humour and I am sure we have not lost our sense of humour here because the joke going around is that there is a typographical error in the Bill that actually it is 2024 but actually they meant 2034. I don't know whether it is true or false, but I have got a second suggestion. It is very nice, your idea this morning of having ladies sit there for 15 minutes or 16 minutes throughout the day. So, here is an idea which may not happen in 2024, but think about it, it is coming to you from my Party as a suggestion. Get everybody on board, have proper discussion on the subject and then bring one-third women reservation in Rajya Sabha also. We will all support it. It cannot be done in a hurry, but bring it. Today, you may think it is a crazy genie idea, but 'No', it is possible, if not in the next six years, in the next ten years. The question is, for all the speeches we hear, is the BJP really serious about empowering women because all the struggles and oppressions faced by women are not because of women, it is because of men and their outlook to women? I don't want to waste my time on a former wrestling chief. Leave that. I am quoting from the Hindustan Times. I quote, "People in air-conditioned rooms in Delhi cannot decide public policy. This Bill will drown the Indian political system if it goes through. If men develop feminine traits, they become Gods. If women develop masculine traits, they become *Rakshas*. Western ideas of women's liberation should be properly analysed in the Indian context." Who said it? I will tell you. You can build the new building, but I request all of you to first change your mind-set. This was said by the current Chief Minister of Uttar Pradesh. In conclusion, I am happy I am being allowed to conclude today; in the old House, at least, I was not allowed, but I am happy. I wish to conclude by remembering my favourite woman of all time. My *Ma,* my mother, who is no more. *Ma* would always tell me, "You know Derek, this world is divided into only two kinds of people, the talkers and the doers." So some people will talk like Rs.15 lakhs will come in your bank account, farmers' income will treble, after demonetisation, this will happen and so on. There is one difference between the talkers and the doers. There is only one difference because there are only two kinds of people. So, there is a talker and there is a doer. There is a male Prime Minister of India and there is a simple woman who is the Chief Minister of Bengal. Thank you so much.

MR. CHAIRMAN: Shri Derek O'Brien is called upon to authenticate two statements made by him. One, 'Man came with money'. Second, the allegation he has levelled by quoting the present Chief Minister of Uttar Pradesh during the course of the day. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Manas Ranjan Mangaraj ...*(Interruptions)*... Authenticate it. Already Mr. Jairam Ramesh and Mr. Chidambaram are yet to do it. ...*(Interruptions)*... It has to be. ...*(Interruptions)*...

**श्री मानस रंजन मंगराज** (ओडिशा): सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं मेरी मातृभाषा ओड़िया में बोलना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The direction is very clear. Sit down. ...*(Interruptions)*... Hon. Member, I had indicated very firmly that this is not a place to trade allegations. Every Member has a right to say anything. ...*(Interruptions)*... You will have to authenticate it during the course of the day. That's a directive. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: Shri Manas Ranjan Mangaraj...*(Interruptions)*... Take your seat, Mr. Derek O'Brien. ...*(Interruptions)*... No floor; nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. Sit down. You have to sit down. Don't force my hands. ...*(Interruptions)*... Sit down. You will have to comply with the directive. ...*(Interruptions)*... You level an allegation that the Prime Minister of this country went to West Bengal with money, and you still want me to condone it. ...*(Interruptions)*... Prove it. ...*(Interruptions)*... Shri Manas Ranjan Mangaraj ...*(Interruptions)*... Your time is three minutes.

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ: Sir, I support this Bill. महोदय, मैं अपनी मातृभाषा ओड़िया में बोलना चाहता हूँ।

†"Biju Janata Dal has been working tirelessly for the empowerment of women in all walks of life. In the year 1992, the then Chief Minister, Shri Biju Patnaik made a historic decision to reserve 33% of seats for women in Panchayati Raj Institutions. In the year 2011, his son, Shri Naveen Patnaik, the Chief Minister of Odisha, and also the president of BJD, increased the reservation for women to 50%. In the year 2012, Shri

* Not recorded.

† English translation of the original speech delivered in Odia.

Naveen Patnaik made the provision of providing 50% reservation for women in the urban local bodies, municipalities and municipal corporations which shows the commitment of the BJD Party to the cause of women's empowerment. Sir, Hon'ble Chief Minister, Shri Naveen Patnaik believes that without the empowerment of women, holistic development of society, state and nation is impossible. Keeping that in mind, under his leadership, the Odisha Assembly unanimously passed a resolution to provide 33% reservation to women in state assemblies and Lok Sabha and Rajya Sabha. Sir, in December 2018, under the supervision of senior party leaders, Chief Minister Shri Naveen Patnaik sent a 22-member delegation of the BJD Party to various national and regional parties seeking their support for the passage of the Bill in Parliament.

[THE VICE-CHAIRPERSON (MS. INDU BALA GOSWAMI) *in the Chair*.]

Madam, for the 2019 General Elections, the Hon'ble Chief Minister reserved 33% of Lok Sabha seats to women. Subsequently, 7 women candidates from the BJD Party contested the elections, out of whom 5 women candidates won and are presently representing the Aska, Bhadrak, Jajpur, Jagatsinghpur and Keonjhar constituencies of Odisha. Madam, Smt. Pramila Bisoyi, as well as Ms. Chandrani Murmu have had the opportunity to represent the state of Odisha, as the senior most and the youngest MPs of Lok Sabha respectively. Hon'ble Chief Minister has been fighting a long-drawn battle to secure the passage of the Women's Reservation Bill. There has been a repeated demand from the BJD MPs to pass the Women's Reservation Bill in Parliament. On many occasions, our hon. Chief Minister has been writing letters and on various platforms, through his repeated demands, he has been highlighting the importance of passing the Women's Reservation Bill. The Cabinet's approval for introducing and passing the Bill in Parliament is a grand victory for our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, as he has been relentlessly fighting for the cause. It is a victory for the women of Odisha and our country. Due to the fervent and tireless endeavour of our hon. Chief Minister, the women of our country and Odisha are going to reap the grand benefits in the realm of women empowerment."

SHRI RYAGA KRISHNAIAH (Andhra Pradesh): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Constitution (128th Amendment) Bill. This is welcome, long overdue and much awaited. I would like to take this moment to highlight the issue pertaining to the Bill at hand. In this country, there are

two types of discrimination that we see. One is gender discrimination and the other one is caste discrimination. After passing of this Bill, gender discrimination will gradually come down. But, caste discrimination will still remain there. To remove caste discrimination in this Bill relating to women's reservation, I want to suggest to the Central Government to provide sub-quota to the OBC women also. If BC women are not represented in this Bill, this reservation Bill for women will not be meaningful. We supported the demand for reservation for women, as they have the least political representation. But, the BC women are still under-represented. Why is there no proposal for giving them sub-quota? If technically, providing sub-quota is not possible, the Government should introduce the Bill for providing reservation to the women belonging to the Backward Classes (BC). It is clear that all the political parties have a soft corner for the BCs.

Moreover, the general representation for the men belonging to the Backward Classes is also very low, that is, 15 per cent or below. Even after 75 years of independence, justice has not been done to the Backward Classes. It is a democratic country which should give share to all the castes and social groups according to their population. Then, there will be unity, integrity and peace in this country. Therefore, it will be wrong if we do not give due share to the Backward Classes. It is the time to give the Backward Classes their constitutional rights and share. Even after 75 years of democracy, 56 per cent of the population of this country, which comprises of BCs, has only 15 per cent representation in the political sphere, 16 per cent in the employment sphere, 1 per cent in the industrial sector and 5 per cent in the private sector jobs. This shows that there is need for the BCs to be given the due share according to their population. We request that if the BCs are not given a share according to their population in all the sectors, there may be a rebellion in the country. It is just not enough to give a few schemes for the welfare of the Backward Classes and providing some reservation for the BCs in education and employment. The real development of the Backward Classes will come about only when they will get some political power. This is possible only when the seats are reserved for the BCs in the legislative bodies. The Indian Constitution has been amended 128 times, but it has not been amended even once to provide political power to the BCs.

The social set-up in our country is fundamentally built on caste system. Unless all the castes get their due share in political power, the country cannot become a real democratic republic. Reservation in legislative bodies can provide gateway for power to the BCs. Political power will give them respect, confidence, acceptance and will remove social disparity. Power to the BCs will evolve them to bring forth their

difficulties, problems and miseries to the notice of the country at large and enable the rulers to take right steps for their development.

The present socio-economic and political set-up of our society has been designed against the interests of the Backward Classes. To change the present set-up, it is essential to give due share to the Other Backward Classes (OBCs) in the legislative bodies. Political power has become a right to property for those people who are ruling and inherit it to their own successive generations.

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी):** माननीय सदस्य, please conclude. आपका समय खत्म हो रहा है।

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: But, now in India, democracy is going for a social change process, which has already begun. The Backward Classes constitute the bulk of the productive workforce in India, whether it is the agriculture sector, the industrial sector or the service sector. Therefore, it is desirable to make their participation in the law-making bodies meaningful. I am fighting for the backward classes for the last fifty years.

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी):** माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Please give me five minutes more.

In any egalitarian society, the power should be shared equally amongst all the sections of the society. When we talk about power, it means economic power, political power and socio-cultural status. In our society, there is almost monopoly of the upper castes in all these three types of powers.

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी):** माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। Please, conclude.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: I am concluding in one minute, Madam. Even after 75 years of Independence, India has no separate ministry or department for the backward classes. We have no reservation in the private sector.

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. INDU BALA GOSWAMI): Next speaker is Ms. Kavita Patidar. माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया है।

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: We have no reservation in the higher judiciary, in the Supreme Court or High Court.

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी):** माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए। आपका समय हो गया है। ...(**व्यवधान**)... सुश्री कविता पाटीदार।

**सुश्री कविता पाटीदार** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के समर्थन में बात करने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद प्रेषित करती हूं, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के इस पर्व गणेश आराधना के समय महिला आरक्षण बिल को इस सदन में लाने का काम किया है।

महोदया, आज जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, तब ऐसे समय में सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज मैं इतिहास की तरफ देखूं तो रानी लक्ष्मीबाई की बात कहूं, कल्पना चावला की बात कहूं या वर्तमान में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व का वर्णन करूं - हम जानते हैं कि हमारा देश महिला के सामर्थ्य और शक्ति का साक्षी रहा है।

*'यह दुनिया अगर गुलशन है, तो नारी उसकी माली है,*
*वह झुक जाए तो सीता है, अड़ जाए तो चंडी, काली है।'*

महोदया, देश की ऐसी सशक्त नारी की चिंता कर, देश के चिंतन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी देखा है, जिसके माध्यम से संसार को नारी के अस्तित्व की आवश्यकता का संदेश दिया गया है। एक तरफ धर्म है, तो दूसरी तरफ संस्कार हैं। ये हमारे संस्कार ही हैं कि हम हमारे भारत देश को भी 'भारत माता' कह कर पुकारते हैं। इसी मां भारती के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं के सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए यह बिल माननीय मोदी जी के द्वारा इस सदन में लाया गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, विगत 9 वर्षों से केंद्र की सरकार ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ महिलाओं के आगे अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं, अपितु उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास भी किए हैं। महोदया, मैं 'उज्ज्वला योजना', 'मातृ वंदना योजना', शौचालय निर्माण की बात करूं, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करूं, तो महिला सशक्तिकरण जैसी इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि के संकल्प को पूरा किया गया है। हम सिर्फ राजनीति के लिए या वोट के लिए महिलाओं का नाम नहीं लेते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को इस सदन में कहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हमारी बहन, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसके समाधान का प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों से भारत में जिस प्रकार women

empowerment के लिए काम किया गया है, उसका परिणाम आज नज़र आने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। भारत में आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स आदि में लड़कियों की भागीदारी 43 परसेंट है।

मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज बेटियों का जन्म उत्सव मना है। 'लाडली लक्ष्मी' जैसी योजना को पूरे देश ने सराहा है। वहीं एक करोड़, पच्चीस लाख - अब तो एक करोड़, तीस लाख बहने हैं, जो 'लाडली लक्ष्मी योजना' से मध्य प्रदेश में सशक्त हो रही हैं। आज वंदन की जो बात यहां बार-बार आ रही है, उस पर मैं यह कहना चाहूंगी कि हम तो हर कार्यक्रम की शुरुआत ही बेटियों के पूजन के साथ, उनकी वंदना के साथ करते हैं।

महोदया, कल इस सदन में ओबीसी की बात कही गई थी। मैं भी ओबीसी वर्ग से ही आती हूं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि इतने सालों तक सत्ता में रह कर उनको ओबीसी की चिंता क्यों नहीं हुई, आज तक उन्होंने कभी कदम क्यों नहीं उठाए? एक तरफ, जहां, वे ओबीसी का नाम लेकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वहीं, दूसरी तरफ माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देकर मन से पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात कही है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हम जानते हैं कि पूर्व में भी इस प्रकार का बिल राज्य सभा में आया था और लोक सभा में पारित नहीं हो सका था। 4 साल तक उसको लम्बित करने का काम किया गया। हम यह जानते हैं कि,

*"ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता*
*और जो बीच में छूट जाए, वह संकल्प नहीं होता।"*

इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का, दृढ़शक्ति के साथ इस सदन में लाने का काम यदि किसी ने किया है, तो वह माननीय मोदी जी ने किया है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने वर्षों से लम्बित इस बिल को इस सदन में पेश किया। जैसे ही यह बिल पारित होता है, देश की लोक सभा और देश के सभी राज्यों की विधान सभाओं में एक-तिहाई स्थान मातृ शक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसके साथ ही एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए जितनी भी सीटें आरक्षित थीं, उनमें से भी एक-तिहाई सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इतिहास को बदलने वाला यह बिल न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, अपितु महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कहती हूं कि संवेदना और ममता की प्रतिपूर्ति नारी के नेतृत्व में, निर्णयों में भी संवेदना का समावेश होगा। आज जिस तरह से हम एक युक्ति बोलते हैं कि हर पुरुष की प्रगति के पीछे नारी का हाथ होता है, उसी तरह से मुझे इस सदन में यह बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम सब बहनों की प्रगति के पीछे इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी की ताकत और उनका साथ है। जो पूरे देश की बहनों से यह कह रहा है कि:

*"नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी।*
*गया शांति का वक्त आज बन कर चलो आग की चिंगारी।*
*बनकर सीता के समान वध रावण का करवाना है,*
*आज कटारी बांध कमर में स्वयं युद्ध में जाना है।*

*भाव-भीरूता का तजकर तुम करो शेर की सवारी,*
*नहीं वक्त है सोने का, अब जाग उठो भारत नारी।।"*

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने एक निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया और आज यह खोखले वादों के विपरीत एक स्पष्ट वास्तविकता बन गई है। मैं प्रधान मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. INDU BALA GOSWAMI): Now, Shrimati Mahua Maji.

**श्रीमती महुआ माजी** (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पर बोलने से पहले मैं राजा राममोहन राय और विद्यासागर को नमन करना चाहूंगी। आज जब हम लोग यहां खड़े हैं, तो निश्चित रूप से राजा राममोहन राय और विद्यासागर को नमन करना ज़रूरी है, वरना हम भी शायद सती प्रथा और बाल विवाह के शिकार हो जाते।

महोदया, आज मैं अपनी स्टेट झारखंड की उन वीर नेत्रियों को भी नमन करना चाहूंगी, जोहार करना चाहूंगी । सिनगी दई, कइली दई, फूलो-झानो का नाम इतिहास में पुरुषों के नाम की तरह दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता की मिसाल कायम की। आज बहुत सारी नारियों को उनकी हिम्मत से बल मिलता है और महिलाएं राजनीति में आगे आती हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी पन्द्रह विदुषी महिलाओं का हाथ था, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे झारखंड में खेल के क्षेत्र में सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति, असुंता लकड़ा, झानो हांसदा जैसी तमाम जुझारू महिलाएँ हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में झारखंड और इस देश का नाम रोशन किया, मैं उन्हें भी आज नमन करती हूं। हमारे दिशम गुरु शीबू सोरेन जी, जो हमारे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने वर्ष 1971 में नशाबंदी की। उन्हें पता था कि अगर पुरुष नशा नहीं छोड़ेंगे, तो महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होगा, वे अपने परिवार को नहीं देखेंगे, इसलिए मैं उन्हें भी नमन करती हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने पिछली सरकारों में ट्रैफिकिंग का शिकार होने वाली महिलाओं को बल दिया, आत्मसम्मान के साथ अपनी स्टेट में रोज़गार देने के लिए ढेर सारी योजनाएं लॉन्च कीं, चाहे वह पलाश ब्रांड हो, 'सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना' हो या 'फूलो झानो आशीर्वाद योजना' हो, 'पोटो' हो, खेल योजना हो, उन्होंने तरह-तरह की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के काम किए। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड की विधान सभा में 12.35 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो कि दूसरे कई राज्यों से ज्यादा हैं।

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI KAVITA PATIDAR) *in the Chair*.]

जैसे हरियाणा में 10 प्रतिशत महिलाएं है, गुजरात में 7.14 परसेंट महिलाएं है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 9.13 परसेंट महिलाएं है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं चाहूंगी कि एस.सी./एस.टी. और ओबीसी महिलाओं के लिए

भी उसमें आरक्षण हो। तत्काल 2024 में आरक्षण हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, न कि जनगणना और परिसीमन के लिए हमें 2029 के बाद तक का इंतजार करना पड़े। जिस दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में यह बात कही थी कि महिला रिज़र्वेशन बिल आने वाला है, तो यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। ...(**व्यवधान**)... मैं झारखंड में विमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी।

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** माननीय सदस्य, आप कन्क्लूड कीजिए, आपका समय समाप्त होने वाला है।

**श्रीमती महुआ माजी:** मैं अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विमेन विंग की सेंट्रल प्रेज़िडेंट रही हूं, तो मुझे पहाड़ों से, जंगलों से, दुर्गम इलाकों से महिलाओं का फोन आने लगा कि मैडम, हम 2024 के चुनाव की तैयारी कर लें?...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ। प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

**श्रीमती महुआ माजी:** जब पता चला कि यह 2029 के बाद आएगा, तो मायूसी छा गई थी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस पर पुनर्विचार करे।...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** धन्यवाद, माननीय सदस्य।

**श्रीमती महुआ माजी:** इसमें एससी/एसटी और ओबीसी के लिए रिज़र्वेशन करे और 2024 में ही इसे लागू किया जाए।

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी** (महाराष्ट्र): Thank you so much, Madam, Chairperson. उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। 75 साल बीत गए, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है, उनके शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially." हमारी महिलाओं का जो इतिहास है, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान में constituent assembly में यह चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? वहां पर 15 महिला सदस्य भी थीं, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि equality will be the basis of our Constitution. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें एक ऐसा visionary Constitution दिया, जिससे महिलाओं को equality और समानता की जिंदगी मिले। दुर्भाग्य इस बात का है कि 75 साल में महिलाओं को जो जगह मिलनी चाहिए थी, चाहे स्टेट असेम्लबीज़ हों या केन्द्र में हो, वह हमें नहीं मिली। इस वजह से आज हम इस रिज़र्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो रिज़र्वेशन की बात करते हैं, यह लड़ाई जो शुरू हुई है, हम इसे

बहुत सालों से लड़ रहे हैं, मैं इसे एक ऐतिहासिक पल मानती हूं कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। महोदय, हमारे साथ दो दिक्कतें हैं, जो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूं। सबसे पहले साढ़े नौ साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में यह वादा किया गया था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन उस आरक्षण को आते-आते साढ़े नौ साल लगे। जे.पी.नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि this is the only way we can give reservation. मैं कहूंगी, with due respect to him that this is not the only way we can get representation and reservation. आप 2010 का बिल ले आइए। 2010 का बिल अगले लोक सभा इलेक्शन से लागू होता। आप 73rd और 74th Amendment देख लीजिए। वे फ्यूचर डेट के नहीं थे, वे immediately implementable थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा, जो आने वाले सात साल बाद लागू होगा। महिलाओं के साथ यह जो हो रहा है, मैं मानती हूं कि उनको एक झुनझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडिशन भी रख रहे हैं। इसके साथ में यह कह रहे हैं कि दरवाज़ा तो खोल रहे हैं, लेकिन साढ़े सात साल तक उसमें आपको एंट्री नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि कांस्टीट्यूशन का कौन-सा हिस्सा है, जो आपको immediate implementation से रोक रहा है। दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं - हम सब महिलाओं में मिठाई बांटते और हमें खुशी होती, लेकिन उससे हमें वंचित किया जा रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है, प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:** मैडम, मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगूगी और न उम्मीद है। मैं अंत में एक चीज़ कहना चाहती हूं कि जो 2010 का बिल था, उसमें Legislative Councils में भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। Legislative Councils और राज्य सभा में आप भी सांसद हैं और मैं भी सांसद हूं। ...(**समय की घंटी**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया।

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:** जितना लोक सभा में महिलाओं का रेप्रेज़ेंटेशन है, उतना राज्य सभा में नहीं है, तो उधर भी लागू होना चाहिए। इसी बात को कहते हुए मैं इस बिल का वेलकम करती हूं, इसको सपोर्ट करती हूं। हम एक ऐतिहासिक दिन रचने जा रहे हैं और जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगी।

**श्री सुशील कुमार मोदी** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधयेक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व economically weaker sections के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था और आज महिलाओं को

33 प्रतिशत आरक्षण लोक सभा में और विधान सभा में लागू करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज चर्चा हो रही है।

महोदय, जैसा मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी चार बार संविधान में संशोधन करने हेतु प्रयास किया जा चुका है और यह पांचवां प्रयास है। इसके पहले दो बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, एक बार देवेगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ और एक बार डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में प्रयास हुआ। परंतु चारों प्रयास विफल हो गए, लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके प्रयास से कल लोक सभा में यह सर्वसम्मति से पारित हो गया और आज राज्य सभा से पारित होने जा रहा है। इसके पहले यह चार बार पारित क्यों नहीं हो पाया? मैं यहां बैठे लोगों को इतिहास बताना चाहूंगा। 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान यह बिल सदन में पेश किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद - जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं श्री सुरेन्द्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दी और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा और वह बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, जब 6 मई, 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था, तो सदन का माहौल क्या था? उस समय श्री हंसराज भारद्वाज लॉ मिनिस्टर थे। उन पर कोई हमला न करे, इसलिए वे पहली पंक्ति में नहीं बैठे, दूसरी पंक्ति में बैठे, तो उनको बचाने के लिए दो महिला सांसदों, श्रीमती अम्बिका सोनी और कुमारी शैलजा को उनकी बगल में बिठाया गया और जो बीच का रास्ता है, जो aisle है, aisle was guarded by Shrimati Renuka Chowdhury, Shrimati Jayanti Natrajan and Shrimati Alka Balram Kshatriya और जैसे ही हंसराज भारद्वाज जी इसे पेश करने के लिए खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के एमपी अबू असीम आज़मी थे, वे इसे छीनने के लिए दौड़ पड़े और रेणुका चौधरी जी कूद पड़ीं, इसी कन्फयूज़न में जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज जी ने बिल introduce कर दिया और P.J. Kurien, जो उस समय Presiding Officer थे, उन्होंने तुरंत बिल को स्टैडिंग कमेटी को रेफर किया। यह हाल था। इतना ही नहीं, जब स्टैडिंग कमेटी से बिल स्वीकृत होकर आया और सदन के अंदर 8 मार्च, 2010 को पेश किया गया, तो समाजवादी पार्टी के नंदकिशोर यादव और कमाल अख्तर सभापति अंसारी जी के मेज पर चढ़ गए। नंदकिशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी और सभापति की कुर्सी पर फेंक दी। समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, एलजेपी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती जया बच्चन** (उत्तर प्रदेश)**:** मैडम, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं? ये बिल पर बोलें। ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष** (**सुश्री कविता पाटीदार**)**:** प्लीज़, माननीय सदस्य, आप उन्हें बोलने दीजिए।

**श्री सुशील कुमार मोदी :** एजाज़ अली - सात लोगों को निलंबित कर दिया गया। मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं कि चार बार बिल पारित करने का जो प्रयास हुआ।...(**व्यवधान**)...

**एक माननीय सदस्यः** मैडम,...(**व्यवधान**)... मैडम,...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष** (**सुश्री कविता पाटीदार**)**:** प्लीज़, माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

**श्री सुशील कुमार मोदीः** वह बिल पारित क्यों नहीं हो पाया, यह सदन को जानना आवश्यक है। यह हंगामा प्रायोजित था, sponsored था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि यह बिल पास हो। एक ओर योजनाबद्ध तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में हैं - लिप सर्विस, और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसा कर वैल में भेजकर हंगामा करवाया गया, ताकि वह बिल पास न हो सके। महोदय, यह जो कहा जा रहा है, इस पर मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना यह था कि इस बिल को पारित मत होने दो। अगर यह बिल पारित हो गया, तो बहुत सारे लोगों का अगली बार चुनाव लड़ने का अवसर खत्म हो जाएगा।

4.00 P.M.

इसलिए प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से इस बिल का विरोध किया गया। जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूंगा कि जो पहला बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना, यह पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन के संबंध में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको लागू क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 10-15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। सेकंड बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन कब बना - जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी उस सरकार में शामिल थे। 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, वह बना। 31 दिसम्बर, 1980 को रिपोर्ट सब्मिट हो गई। उस समय किसकी सरकार थी और प्रधान मंत्री कौन था - श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थीं। 1980 से लेकर 1989 तक प्रधान मंत्री कौन थे - इंदिरा गांधी थीं, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तक आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, उसे ठंडे बस्ते में डालकर क्यों रख दिया? 1989 में जब वी. पी. सिंह जी की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया - कांग्रेस ने नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को कांस्टीट्यूशनल स्टेट्स देने का काम किया। इतना ही नहीं, यह जो बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन है, इसको कांस्टीट्यूशनल स्टेट्स किसने दिया? मैं सदन को बताना चाहूंगा श्री बी.के. हांडिक कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हुआ करते थे, वे कमेटी ऑन

वेलफेयर ऑफ ओबीसीज़ के चेयरमैन थे, उन्होंने 2012, 2013 और 2015 में अपनी रिपोर्ट दी। हर रिपोर्ट में श्री बी.के. हांडिक ने यह रिकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया और गरीब के बेटे श्री नरेन्द्र मोदी ने, जब वे देश के प्रधान मंत्री बने, बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन को कांस्टीट्यूशनल स्टेट्स देने का काम किया। एससी, एसटी कमीशन को जो अधिकार हैं, वे सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। The Backward Classes Commission has all the power of civil court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit, etc.

उपसभाध्यक्ष महोदया, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण पहली बार किसने दिया? जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने एक चार लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को हम 10 परसेंट का आरक्षण दे रहे हैं। जब इंदिरा साहनी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस चार लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था, उसे जब 25 सितम्बर, 1991 को खारिज कर दिया, तो 10 साल तक आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किसने दिया - श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे लागू कर दो। मैं लोक सभा में कांग्रेस के नेताओं का भाषण सुन रहा था। वे कह रहे थे कि 2024 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में चार लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्या आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे?

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। उन्होंने जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 103rd अमेंडमेंट किया, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब-सेक्शन 6 जोड़ा गया।

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है। आप कन्क्लूड कीजिए।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Nothing in this Article shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens. सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। इसीलिए हम सोच-समझकर, डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, सेंसस के फिगर्स आएंगे, तब 2029 में इसे लागू करेंगे। अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया, तो कल पीआईएल में चला जाएगा। यही लोग पीआईएल में किसी को खड़ा कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरीके से हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** आप शांत रहें। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभाध्यक्ष महोदया, इतना ही नहीं नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल्स में इन लोगों ने कभी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 27 परसेंट का आरक्षण ओबीसी को दिया। आज इसका परिणाम है कि ओबीसी के अंतर्गत चार लाख से ज्यादा बच्चे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल्स में दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** प्लीज़, आप शांत रहें। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप शांत रहें। ...(**व्यवधान**)... वे सब जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सुशील कुमार मोदी:** उपसभाध्यक्ष महोदया, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हर डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा। ...(**व्यवधान**)... हमने विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** माननीय सदस्य, वे जा चुके हैं। ...(**व्यवधान**)... आप शांत रहिए। प्लीज़, शांत रहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सुशील कुमार मोदी:** सेन्ट्रल हॉल में बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया?...(**व्यवधान**)... बाबा साहेब अम्बेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेन्ट्रल हॉल में बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र लगा। ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** प्लीज़, शांत रहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सुशील कुमार मोदी:** 34 साल के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न किसके कार्यकाल में मिला? उपसभाध्यक्ष महोदया, ये कांग्रेस के लोग ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** कृपया आप शांत रहिए और उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप शांत रहिए।

**श्री सुशील कुमार मोदी:** ये किस तरह से ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं, मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)... राजीव गांधी जी, जो देश के प्रधान मंत्री रहे ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (सुश्री कविता पाटीदार):** आप शांत रहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सुशील कुमार मोदी:** बाद में वे लीडर ऑफ अपोज़िशन थे। उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। 6 सितम्बर...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): We are walking out.

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, I request you to take your seat. ...*(Interruptions)*... Jaya *ji*, take your seat. ...*(Interruptions)*... Listen to my announcement. ...*(Interruptions)*... Pramod Tiwari *ji*, please. ...*(Interruptions)*... This is a matter which will be thoroughly investigated through the collective wisdom of the House. I will leave no stone unturned for it and not only probe it... ...*(Interruptions)*... I realise the sensitive nature of it. I realise the reaction of very seasoned Members. It is a matter neither of this side nor of that side. It is a matter for all of us. We cannot allow any intrusion except by the hon. Members. ...*(Interruptions)*... Hear me on this. I will discuss with the Members, the Leaders and have it thoroughly probed, objectively probed, so that we reach a level whereby we have some kind of SOP for it. This I can assure the House. Given the high intellect of the House, I am sure you will agree with me on this. We cannot react. We have to resolve it. We have to be resolute. We have to find a way out. If something has gone wrong, we have to put it in a correctional groove.

And, therefore, I appeal to you. Pramodji, you are showing your back to me. You cannot show your back to the Chairman. So, reactions that have come from Jayaji are very well-meaning that it is a matter to be probed. It is a matter... ...*(Interruptions)*... Please listen to Jayaji -- she raised the issue first -- on this day, when Women's Reservation Bill is here. Madam, before that, give us light and give us enlightenment.

**श्रीमती जया बच्चन:** सर, मैं अभी जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में कहना चाहती हूं। ...(**व्यवधान**)...सर, मैं इस बात को इस हाउस में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन कल बात ऐसी हुई कि वह अच्छी तरह से निभ गई, जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियां बैठी हुई हैं। उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात की, निर्मला जी ने भी बात की, लेकिन मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं।

मैं आपको बता रही हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरिएंस परसों का है और कल के दिन का है। मैं घर जाने के लिए जितनी बार बाहर गई, चाहे लंच ब्रेक हो या जो भी ब्रेक हो, groups of women

were coming. उन सबने मुझसे कहा कि हम आपके फैन हैं, मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं। I am sorry. I did not want to bring this into the House. But after what happened just now, I am forced to bring it to your notice. ...*(Interruptions)*... देखिए, आपको जितना चिल्लाना है, उतना चिल्ला लीजिए। ...(**व्यवधान**)... जो रिएलिटी है, आप उसको देखिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Jayaji, I have taken note of it. श्री प्रमोद तिवारी।

**श्री प्रमोद तिवारी** (राजस्थान): सर, यह पूरा परिसर, जो राज्य सभा का है, आपके अधीन है। हम सुनियोजित ढंग से देख रहे हैं, इसमें यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसकी रिकमंडेशन पर, किस सदस्य की रिकमंडेशन पर ये लोग आए थे। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। उस सदस्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो।

सर, दूसरी बात यह है कि इस सदन में, इसके परिसर में लोग ग्रुप में आते हैं। हम बाहर जाते हैं, देखते हैं, वे कहते हैं कि साहब, हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन हम इस वार्ड से आए हैं, हम इस एरिया से आए हैं। भाजपा सुनियोजित ढंग से राज्य सभा की मर्यादा का हनन कर रही है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sushil Kumar Modi.

**श्री सुशील कुमार मोदी:** सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा और डाक्यूमेंट्स के साथ देना चाहूंगा कि 6 सितम्बर, 1990 को जब सदन के अंदर रूल 193 में Discussion on Mandal Commission पर लोक सभा में चर्चा हो रही थी, तो तत्कालीन कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो श्री राजीव गांधी थे, मैं उनको क्वोट कर रहा हूं। मंडल कमीशन पर श्री राजीव गांधी जी कह रहे थे, "To me, it is breaking of my country. Breakup of my country may not be important to you. You have taken the country to the age of caste war. It is Raja *Saheb*, means Mr. V.P. Singh, who is trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country?" सभापति महोदय, इतना ही नहीं, श्री राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर यह भी कहा, The country is not prepared for it. This will compromise the goal of casteless society and promote casteism. Government seeks to benefit the privileged among backward castes. They seek to exclude the backward Muslims, Christians and Sikhs from reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission Report should not be implemented in *toto*." यह राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाए। The Mandal Commission Report is not scientific nor technically sophisticated and is not even

academically sound. Caste cannot be definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं, उनका चरित्र क्या रहा है? सभापति महोदय, मैं उनकी स्पीच को authenticate करने के लिए तैयार हूं। अगर आप कहेंगे, तो मैं उनकी स्पीच को सदन में रखने के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके सामने एक पत्र पढ़ रहा हूं, अगर आप कहेंगे, तो मैं उसको भी authenticate करने के लिए तैयार हूं। यह देश के मुख्य मंत्रियों को एक प्रधान मंत्री ने पत्र लिखा था। मैं उस पत्र की चार लाइनें पढ़ रहा हूं, "My dear Chief Ministers, SCs and STs deserve help but, even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything but if you go in for reservation on communal and caste basis, they swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate." सभापति महोदय, यह लिखने वाले कौन थे, मैं उनकी एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा, "It has amazed me to learn that even promotions are based sometimes on communal and caste considerations." तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून, 1961 को देश के मुख्य मंत्रियों को जो पत्र लिखा था, उनको मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है।

MR. CHAIRMAN: Put it on the Table of the House.

**श्री सुशील कुमार मोदी:** जी, मैं टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, जो लोग यह कहते हैं कि इसमें ओबीसी के लिए रिज़र्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जब 2010 में आपने संसद के अंदर बिल पेश किया था, तो क्या आपने उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं लागू किया? जब 76वां और 77वां अमेंडमेंट बिल आया, पंचायत और नगर निकाय के अंदर एस.सी./एस.टी. की श्रेणी के रिज़र्वेशन के लिए बिल आया, उसमें महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, तब आपने उसमें ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया?

सभापति महोदय, ओबीसी आरक्षण तो बहाना था, असली निशाना तो महिला बिल रोकना था। हरेक को यह डर था कि हमारी सीट का क्या होगा? सभापति महोदय, कल अमित शाह जी ने लोक सभा में बताया कि संविधान तीन श्रेणी की ही इजाज़त देता है, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और जनरल - इन्हीं तीन के अंदर होरिज़ोंटल रिज़र्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। हम यह किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे हैं। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे थे, पूना पैक्ट में भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का मुद्दा था, पिछले करीब 90-100 साल में, जब भी एस.सी. और एस.टी. श्रेणी को लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण मिला है, उसमें कभी भी ओबीसी श्रेणी को लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं। मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री सुशील कुमार मोदी:** बिहार के 40 एम.पीज़ हैं, उनमें से 19 एम.पीज़ ओबीसी समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के हैं। वहां से 19 एम.पीज़ बिना आरक्षण के जीत कर आते हैं। सभापति महोदय, अगर कल आरक्षण लागू हो गया, तो जिन सीटों पर हम ओबीसी पुरुष को टिकट देते हैं, वहां पर महिला को टिकट देंगे। हम वहां पर पुरुष को टिकट नहीं देंगे, ओबीसी महिलाओं को टिकट देंगे। ...(**समय की घंटी**)...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री सुशील कुमार मोदी:** सर, मुझे दो-तीन मिनट का समय और चाहिए। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि ...

MR. CHAIRMAN: Your other speakers will lose time.

**श्री सुशील कुमार मोदी:** सर, झारखंड के अंदर बिना ओबीसी को आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया। जहां पर कांग्रेस के चार MLA हैं, आरजेडी का एक MLA है, मैं उस संदर्भ में कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता था कि क्या आपने कभी वहां के मुख्य मंत्री से पूछा है कि आपने पंचायत का इलेक्शन बिना ओबीसी आरक्षण के कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन इसीलिए रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने आज तक डेडिकेटिड कमीशन का गठन नहीं किया है।

सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, उनमें से 26 ओबीसी के हैं, यह कुल 35 प्रतिशत बनता है। यह एक रिकॉर्ड है। जो लोग कहते हैं कि हम ओबीसी विरोधी हैं, मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि इसके पहले दो प्रधान मंत्री ओबीसी समुदाय से बने थे। उनमें से एक श्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं और दूसरे चौधरी चरण सिंह थे। श्री एच.डी. देवेगौड़ा 11 महीने प्रधान मंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी नहीं देख पाए, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया । श्री एच.डी. देवेगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में पिछड़े का कोई बेटा प्रधान मंत्री बना है और उनका नाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी है।

महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी, जो एक समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था! उनको * कहा गया, उनको * कहा गया, उनको दौड़ा-दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, 2015 में ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, 2015 में ...(**व्यवधान**)... 2015 में जब राहुल गाँधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने गए, तो पूर्व केन्द्रीय मंत्री ...(**व्यवधान**)...

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI JAIRAM RAMESH: Authenticate it. ....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member Sushil*ji*. ....*(Interruptions)*... Sushil Kumar*ji*, please. ....*(Interruptions)*... Hon. Member, I have already directed you to put that document on the Table of the House. Now, what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. ....*(Interruptions)*...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Yes, मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, सभापति महोदय।

MR. CHAIRMAN: And do it during the course of the day. ....*(Interruptions)*... During the course of the day. ....*(Interruptions)*...

**श्री सुशील कुमार मोदी:** सभापति महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं हैं, मैं उनको क्वोट करना चाहूँगा। 7th May, 2010, when Chidambaram *Saheb* was the Home Minister of this country, तब उन्होंने क्या कहा। सभापति महोदय, संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा, तो मैं चिदम्बरम साहब को क्वोट कर रहा हूँ, "After Independence, as a matter of policy, the question relating to caste other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes was not included. Caste was not included in the last Census of 2001." चिदम्बरम साहब का यह बयान है कि 'as a policy'. सभापति महोदय, यह डॉक्युमेंट है और उनकी स्पीच का पार्ट है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद नीतिगत तौर पर एससी/एसटी के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। आपने क्यों नहीं 2010 में कास्ट सेंसस करा लिया? क्यों सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? आपने क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत करवाया? चिदम्बरम साहब ने यह भी कहा कि आरजीआई का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं और इससे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी। यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की माँग को अस्वीकार कर दिया था।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

**श्री सुशील कुमार मोदी:** सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय, 2011 में जो सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसमें 5 हजार करोड़ खर्च हुए, उस संबंध में क्या सदन को पता है कि कितनी जातियाँ दर्ज हुईं? 46 लाख! जबकि देश में 1931 के अनुसार there are only 4,147 castes. But 46 lakh castes were enumerated in socio-economic caste census. सभापति महोदय, इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये नरेन्द्र मोदी हैं, जो बोलते हैं, वह करके दिखलाते हैं। उन्होंने जो

कहा, वह करके दिखलाया। कोई व्यक्ति यह हिम्मत नहीं कर सकता था, जो उन्होंने महिलाओं को 33 परसेंट रिज़र्वेशन देकर की है। ...(**समय की घंटी**)...

**श्री सभापतिः** श्रीमती फूलो देवी नेतम।

**श्रीमती फूलो देवी नेतम** (छत्तीसगढ़)**:** सभापति महोदय, धन्यवाद। आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

सभापति महोदय, यह विधेयक, 'संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक, 2023' है और प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में इस बिल का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बताया है। महोदय, महिला आरक्षण बिल, यह विधेयक पूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गाँधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गाँधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधान मंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएँ चुनी हुई महिला नेत्री हैं। आदरणीय महोदय, 2010 में डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्य सभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग, जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोक सभा में यह प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीया सोनिया गाँधी जी ने पत्र लिखा, आदरणीय राहुल गाँधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, इस महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की। 9 साल बाद सरकार ने महिला आरक्षण बिल की सुध ली है। देर आए, दुरुस्त आए। अभी भी टाइम है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज हम इस बिल को समर्थन देने के लिए खड़े हुए हैं। सोनिया गाँधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं बस्तर से आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्य सभा के इस सफर के दौर में यहाँ पर आई हूँ। यह पंचायती राज की बदौलत हुआ। यह राजीव गाँधी जी की देन थी। यह हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं की देन है कि महिलाएँ आगे आई हैं। आज राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और विकास के दृष्टिकोण से हर जगह महिलाएँ आगे आई हैं। आज मैं आपके सामने महिलाओं को हक दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारे देश में संख्या के आधार पर आधी आबादी महिलाओं की है। निश्चित तौर पर यह हमारे नेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राज्य सभा में परसेंट के अनुसार महिलाओं की संख्या 17 प्रतिशत है ...(**समय की घंटी**)... और मैं उसी गर्व से कहूँगी कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ विधान सभा में सबसे ज्यादा महिला विधायक हैं। सभापति महोदय, मैं अभी तो बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और आप समय नहीं दे रहे हैं। यह क्या बात हुई?

**श्री सभापतिः** मैडम, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। केवल 11 मिनट समय बचा था, मैं आपको उसी हिसाब से समय दे रहा हूँ। Thirty seconds more.

**श्रीमती फूलो देवी नेतमः** सभापति महोदय, मैं महिला हूँ, थोड़ी सी दया कर लीजिए।

MR. CHAIRMAN: Thirty seconds more.

**श्रीमती फूलो देवी नेतमः** थोड़ी सी दया कर लीजिए, मुझे दो मिनट का टाइम दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Thirty seconds.

**श्रीमती फूलो देवी नेतमः** सभापति महोदय, जब देश की बात आई, तो हमने देश का भी नेतृत्व किया। हमने पाकिस्तान से लड़ाई की और उसके दो टुकड़े किए। अगर घर-परिवार चलाने की बात आई, तो भी हमारे सामने कोई नहीं टिका। आज हम महँगाई और बेरोजगारी से भी लड़ रहे हैं। हम इतनी महँगाई में भी घर चला रहे हैं, सिलिंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। सामने वाले कह रहे थे कि हमने सिलिंडर दिए, लेकिन हम महँगाई के कारण सिलिंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। हम आज भी फिर से चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हे को फूँक रहे हैं, चूल्हे का धुआँ खा रहे हैं, आँखों में आँसू आ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्रीमती फूलो देवी नेतमः** सभापति महोदय, यह महँगाई के कारण हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Thank you. ....*(Interruptions)*... Shri Sujeet Kumar, three minutes. ....*(Interruptions)*...

SHRI SUJEET KUMAR: Sir,.....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Carry on. ....*(Interruptions)*... Thank you, Madam. ....*(Interruptions)*... There will be no time for your last speaker. ....*(Interruptions)*... Okay, no time for last speaker. ....*(Interruptions)*... So, she is the last speaker. ....*(Interruptions)*... Madam, conclude in one minute.

**श्रीमती फूलो देवी नेतमः** सभापति महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम चुप हैं। जी20 में हमने देश को शर्मसार नहीं किया, क्योंकि हम देशभक्त हैं। सभापति महोदय, आप बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रही हूँ। मैं यहाँ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Sujeet Kumar. Hon. Member, you have three minutes.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Thank you Chairman, Sir. Ours is the land where mothers and motherland has been given a pedestal greater than heaven - "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।" Sir, today, the entire nation is captured by this Bill which is being discussed in both the Houses of Parliament. Virtually, everyone is discussing about it in passing or in detail. Last month, when Vikram landed on the South Pole of the Moon, the place was called '*Shiv Shakti*'. Hopefully, this Bill will bring *Nari Shaktri* into our Parliament and hopefully lead to a better decision making and better policy making in our governance structure. Every time, I go to different places in Odisha for political work, I interact with women *sarpanches*, women block *pramukhs* and Zila Parishad members. I asked myself, has the representation of women, the reservation for women in the PRI system led to better development outcomes at the grassroots? Has it led to better investment for women for issues concerning women? The answer I found is an emphatic 'Yes'. I found that women in the PRI, the Panchayati Raj Systems and urban local bodies have been making very meaningful contributions and also the concern which has been raised in many quarters that men are acting as proxies for women in the urban local bodies and PRIs has been found to be baseless. When we talk of women-led development, I feel that the best case study today in the country is, probably, of the State of Odisha and Odisha Model of Development. I substantiate these with facts. My party, Biju Janata Dal and my Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has always believed that no society and no country can develop or can be called a *Viswaguru* unless women are given the pedestal they deserve. We have always believed in empowerment of women in public life and in all spheres of social and economic life. Please allow me to quote some statistics. Even before the 73rd Amendment Act of 1993, way back in 1992, the then Chief Minister, late Shri Biju Patnaik, had given 33 per cent reservation for women in the *Panchayati Raj* and became the first State in the country to do so. Subsequently, his son, the current Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, in 2011 extended that to 50 per cent in the PRIs and in 2012, 50 per cent in the urban local bodies. In the month of November, 2018, the Government of Odisha passed a resolution in the State Assembly urging for 33 per cent reservation in the Parliament and in the State Assemblies. Then, a month later, in December, 2018, hon. Chief Minister of my State sent 22 delegations to all the parties including seven national parties. Senior leaders of our party went to these leaders trying to build a consensus that Women's

Reservation Bill should be passed in the Parliament and women should get their due place under the Sun.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I will just conclude in 30 seconds.

Sir, in the 2019 elections, out of 21 Lok Sabha seats, we gave tickets to seven women from our party, out of which five won. Sir, 42 per cent of our BJD MPs are women in our Lok Sabha. We are talking of 33 per cent but we have already reached 42 per cent in our party. Not only in political empowerment but we believe in social and economic empowerment. I can give you two examples of it.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, in 1991, the Government of Odisha reserved 30 per cent of all Government jobs for women. We have a health scheme and it is called the Biju *Swasthya Kalyan Yojana* where women get double the benefit of men.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, we introduced Mamata Yojana way back in 2008 where pregnant women, lactating mothers got health benefits and financial benefits. I could go on and on but at the end, I will say that this is not reservation but this is rightful representation. As mother of democracy, we, India, that is *Bharat*, should give rightful representation to our women.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Jaya Bachchan. You have four minutes for your speech.

**श्रीमती जया बच्चन :** थैंक यू, सर, आखिर में बोलने के बहुत नुकसान हैं, क्योंकि बोलने को कुछ बचा ही नहीं है।

**श्री सभापति:** मैडम,

*"इतने हिस्सों में बंट गया मैं,*
*कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।"*

**श्रीमती जया बच्चनः** सर, ...(**व्यवधान**)... अब आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही रहते हैं। सर, सबसे पहले मैं चेयर को धन्यवाद दूंगी कि आज आपने महिलाओं को इतना महत्व दिया, उनको कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। ...(**व्यवधान**)...

**एक माननीय सदस्याः** मुझे नहीं दिया।...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती जया बच्चनः** अच्छा! Sir, I hope that this is not cosmetic. This *parampara* will be carried on and remain; नहीं तो आपको हाउस की सब महिलाएं प्लास्टिक सर्जन कहेंगी।

MR. CHAIRMAN: I know their fire power.

**श्रीमती जया बच्चनः** सर, आपकी कुर्सी बहुत मज़ेदार है।...(**व्यवधान**)... वहां बैठो, तो वह झूले की तरह आगे-पीछे होती रहती है। So, now, I know as to why you keep coming back and sitting here for so long! इस सेवन स्टार होटल में अगर कोई अच्छी चीज़ है, तो आपकी यह चेयर है, जो बहुत बढ़िया है। सर, हम लोग कौन होते हैं महिलाओं को आरक्षण देने वाले? Who the hell are we? हमारे में हिम्मत है, इसलिए हम तो आ गए। हमारे लीडर्स में हिम्मत है कि वे हमको ले आए, अब जिनको लाना चाहिए, वे क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। 2029 में सरकार आएगी या नहीं आएगी, इलेक्शन हो जाएगा, हम जीतेंगे, महिलाओं को हरा देंगे या जिताएंगे या फिर ऐसे ही टिकट्स देंगे, जहां से वे हार जाएंगी, ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। सर, स्पेशियली इस हाउस में जरूर यह सब बंद होना चाहिए।

मुझे याद है, वह राज्य सभा का बहुत अच्छा घर था, बिल आया, सुषमा जी और वृंदा करात जी ने उसके ऊपर बहुत लम्बे-लम्बे भाषण दिए और वह बिल पास हो गया। इतना अच्छा लगा कि बीजेपी और सीपीआई (एम) गले मिले, हंसे और बहुत मज़े किए, लेकिन उन्होंने गाली एसपी को दे दी, तब भी हमने अपोज़ नहीं किया। We asked for the same thing. That is reservation within reservation. मगर, it suited everybody. माफ करिएगा, आप लोगों के यहां बहुत विद्वान हैं, मगर आप लोग सही वक्त पर चुप रहते हैं। उस वक्त आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया था और न ही देते हैं। ऐसा तो चलता रहता है। This is politics. अभी आप अगर बीच में बोलेंगे, तो, I will take great objection. I have been sitting quietly. Please do not make a comment. You have brought the Bill. We are supporting the Bill. Let us say what we want to say. सर, हर चीज़ में ये लोग कमेंट्स करते रहते हैं। अगर हम कमेंट्स करें, तो फिर नाराज़ हो जाते हैं। आप इस बात को मानते हैं न, सर? आप मानते हैं...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** मैं तो बीच में हूं।...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती जया बच्चनः** तब तो दोनों तरफ वाले आपको परेशान करेंगे।

सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, यहां अंदर और बाहर के लोग भी मुझसे पूछते हैं, कई एमपीज़ पूछते हैं, कई जर्नलिस्ट्स पूछते हैं कि क्या आप लोग इस बिल के अगेंस्ट हैं? मैं उनको

बताना चाहूंगी कि हम इस बिल के अगेंस्ट नहीं हैं। मैं आपको बता सकती हूं कि इस हाउस के हमारे पार्टी के लीडर्स, प्रो. राम गोपाल यादव जी यहां बैठे हुए हैं, मेरे साथी जावेद अली जी भी यहां बैठे हुए हैं, हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हमारी वही कंडीशंस हैं, जो बाकी लोगों ने भी बताई हैं। सर, एक चीज़ जो है, and this is being bothering me for a while that if you are really serious about giving tickets to 33 per cent in the upcoming elections, especially, to the representation of the minority community and about which you have shown great empathy to these Muslim women by bringing in the *triple talaq,* आपने उस वक्त ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बातें कीं, तो अब उनको भी टिकट दीजिए and if you are really serious, then, pass it. You have the strength, make the will and do not bring anything which you do not mean. सिर्फ प्रचार के लिए इसे मत करिए। आप लोगों की आदत है, आप प्रचार बहुत करते हैं और प्रचार के ऊपर खर्चा भी बहुत करते हैं। हर बात के ऊपर प्रचार करते हैं, इसके ऊपर भी प्रचार, उसके ऊपर भी प्रचार, हम इस प्रचार का वीडियो देख-देख कर तंग आ गए हैं।

Sir, I request on behalf of my party for reservation within reservation and as everybody else has said, I also support it. 20 per cent seats and 15 per cent of seats shall be reserved for women belonging to Other Backward Classes, especially, the Muslim minority and women belonging to minority communities, respectively, out of the total number of seats reserved for women and to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. I do not want to read the rest and waste my time. I would rather give this time to somebody else who has to speak after me. Thank you very much, Sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to sit there on the rocking chair.

MR. CHAIRMAN: Madam, on a point of information, I started the practice of 50 per cent women being on the Panel of Vice-Chairmen in the earlier House. It is in practice and I will take it higher also. Now Shri Jayant Chaudhary. ...*(Interruptions)*... The Leader of the House.

**सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल):** सर, अगर इससे higher लेकर जाएँगे, तब आपके पास men's reservation के लिए आना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** मैं तो अपने घर में वैसे भी माइनॉरिटी में हूँ। ...(**व्यवधान**)... Now, Shri Jayant Chaudhary. You have four minutes.

**श्री जयंत चौधरी** (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आपका धन्यवाद। आज मैं देश की नारी शक्ति के सम्मान में उनका सहयोग करने और उनके पक्ष में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमें अपने

देश में महिलाएँ घर के अन्दर और घर के बाहर अलग-अलग रूपों में दिखती हैं। वे खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं; वे उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं; रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं; छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं; astronaut भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद से लेकर, ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पर आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है, लेकिन यह कटु सत्य है कि विधानपालिकाओं में उनकी जो संख्या होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं बन पाई और इसलिए आरक्षण जैसे affirmative action को लेकर, आज हम सब लोग मिलकर, पूरा ज़ोर लगाने के लिए तैयार हैं।

आज के दिन मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूँ। वे बड़ी-बड़ी राजनीतिक सभाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पर भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे। आज जातियों के बीच सम्बन्धों में इतनी कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए वे अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर बन कर लोगों को जोड़ने की बात करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले। उनके जमाने से लेकर आज तक बहुत चीज़ें हो गयी हैं, बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी बहुत लम्बा है।

[**उपसभाध्यक्ष** (**डा. कल्पना सैनी**) *पीठासीन हुईं।*]

महोदया, मैंने खुद देखा है कि गाँव में सामाजिक और राजनीतिक परम्पराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पर ज्यादा बोझ डाला जाता है, तो शहरों में भी मध्यम वर्ग में बहुत बड़े-बड़े, सम्भ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएँ ही खाना बना रही हैं। वे पहले बाहर वालों को और घर वालों को खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में खाती हैं, फिर चाहे वे गर्भवती भी हों। आप समझ सकते हैं कि अगर एक माँ आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। इसलिए हम जब कुपोषण की बात करते हैं, तो गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे हैं, लाख प्रयासों के बावजूद भी नहीं रुक पा रहे हैं। यह हैवानियत क्यों है? चाहे वह उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो या मणिपुर हो - हमारी जो महिला खिलाड़ी थीं, उन्होंने कितना अत्याचार चुपचाप सहा। अच्छा होता कि आज ट्रेज़री बेंचेज़ से जो आवाज़ निकल रही है, उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए थी।

मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों का समाधान तब होगा, जब हम जैसे लोगों की संख्या ऐसे सदनों में कम होगी और महिलाओं को खुद एजेंसी मिलेगी तथा खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का मौका as a voter, as a supporter and as a leader मिलेगा। मैं इसीलिए इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल के सम्बन्ध में मेरे दो ही सवाल हैं। नम्बर वन, अगर हम आपकी प्रक्रिया को ही फॉलो करते हैं, तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। जो चीज़ शायद 2034 तक आनी है, उसके लिए यह जल्दबाजी क्यों? स्पेशल सेशन होगा, पहले बताया नहीं जाएगा कि कौन सा बिल है, उसके बाद जल्दबाजी में कहा जाएगा कि यह बिल लो और पास करो। ऐसी क्या मजबूरी है? विंटर सेशन में भी इसे ला सकते थे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोक सभा में कहा कि हम यह जो परिसीमन आयोग बना रहे हैं, यह जन सुनवाई करेगा। क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें जनसंख्या तलाशनी पड़ेगी, जिले-जिले में जन सुनवाई करनी पड़ेगी? क्या आज भी

महिलाओं को आगे आकर गवाही देनी पड़ेगी कि हमें आरक्षण दो? क्या फिर दोबारा माँग उठानी पड़ेगी और फिर दोबारा विरोध झेलना पड़ेगा? इसलिए परिसीमन आयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सवाल पूछता हूँ कि देश के माननीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो कानून आया था, जो प्रस्ताव आया था, उसकी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या कमियाँ थीं? बाकी आगे-पीछे जो प्रस्ताव थे, उन्हें भूल जाइए, लेकिन आप वाजपेयी जी को क्यों भूल गये? सीधी सी बात है कि लोग समझ गए हैं कि यह रोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये अड़चनें तैयार की जा रही हैं। नीति तो ठीक हो सकती है, लेकिन नीयत में कुछ खोट है।

आपने 'धूम' पिक्चर देखी, उसके बाद 'धूम-2' आई; 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' आई और उसके बाद 'लगे रहो मुन्ना भाई' आई। इसमें कई बार पार्ट-1 और पार्ट-2 होता है। उसी तरह से 'अच्छे दिन' आये थे, 'अच्छे दिन' आयेंगे। लोग समझ गये हैं कि 'अच्छे दिन' आयेंगे पार्ट-2 है और कुछ नहीं है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** अब आप कन्क्लूड करें। आपका समय पूरा हो रहा है।

**श्री जयंत चौधरी:** महोदया, 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दोगुनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा गया कि चिंता मत करो, 'अमृत काल' है, रुक जाओ। आप आज, कल और परसों का हिसाब दीजिए। आज आप यह बताइए कि महिलाएँ इंतजार क्यों करें? अगले चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया - आप यह बताइए? यह सवाल सबके मन में है। मैं संत कबीर जी का एक दोहा दोहराता हूँ कि :

*"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,*
*पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।"*

धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी जी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सम्पूर्ण सदन में एक बात पर तो सहमति है कि सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। थोड़ी-थोड़ी रौनक बनी रहे, इसलिए थोड़ी-थोड़ी बातें बीच में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र का यह सौभाग्य है कि आज हम सब लोग एक बात को मान कर चल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, एक प्रश्न यहाँ बार-बार उठाया गया कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया और यह बिल आज यहाँ क्यों रखा गया? मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सदन में प्रवेश करने के लिए 'गणेश चतुर्थी' से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, इसलिए यह सत्र बुलाया गया। चतुर्थी का दिन हिंदू संवत्सर के अनुसार सृष्टि के उत्पन्न होने का दिन है और चतुर्थी सबसे बड़ी तिथि भी मानी जाती है, इसलिए उस दिन इस सदन में प्रवेश किया गया, ताकि भारत के लोकतंत्र में नई सृष्टि का प्रारंभ हो और 2047 तक हम इस सदन के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनें। यह इसलिए किया गया है।

महोदया, अब मैं एक और दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल इस समय क्यों लाया गया। यह बिल इसलिए लाया गया, क्योंकि पंचमी की तिथि जो है, वह 'ऋषि पंचमी' होती है और 'ऋषि पंचमी' के दिन ऋषियों की पूजा के साथ-साथ एक संकल्प होता है, जिस संकल्प का नाम है - 'हेमाद्री संकल्प', मतलब 'स्वर्ण संकल्प'। प्रधान मंत्री मोदी जी ने यह स्वर्ण संकल्प लिया है कि इतनी बार यह बिल पास नहीं हुआ, रुक गया, लेकिन 'ऋषि पंचमी' के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि अब यह आरक्षण दिला कर ही रहेंगे, इसलिए यह काम किया गया। मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूँ कि ये चतुर्थी और पंचमी के जो दिन थे, ये दोनों महत्वपूर्ण दिन थे, इसलिए सदन का यह विशेष सत्र बुलाया गया।

महोदया, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बात, जो बार-बार कही गई है कि इसको कल से लागू कर दीजिए या परसों से लागू कर दीजिए, तो ऐसा करने से किसने रोका है - इसको आपने रोका। जब इस बार का डीलिमिटेशन हुआ था, उस डीलिमिटेशन कमीशन में राजस्थान के जो पाँच लोग थे, उनमें मैं भी मेम्बर था और कुलदीप सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वे उसके चेयरमैन थे। इसी संसद ने यह प्रस्ताव पास किया था कि 2026 से पहले डीलिमिटेशन नहीं होगा और 2026 में डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन 2026 में हो, इसलिए यह संविधान संशोधन बिल इस सदन के द्वारा पास किया गया था। उसमें यह भी प्रावधान था कि 2021 में जनगणना प्रारंभ होगी और उसके बाद यह काम होगा। अब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। वे इस बिल के पास होने के बाद जल्दी जनगणना करा लेंगे और जनगणना कराने के बाद जल्दी ही डीलिमिटेशन कमीशन बन जाएगा। इसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा।

यहाँ पर दो बातें बार-बार कही गई हैं। ...(**व्यवधान**)... आप कहते, तो मैं पहले बोल देता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बार-बार कहा गया कि 'वंदन' क्यों है? मैं आप सब लोगों के लिए एक श्लोक सुना रहा हूँ, जिससे यह पता चल जाएगा कि 'वंदन' क्यों है।

*"जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः,*
*कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं,*
*भवानि तवत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्।"*

उन्होंने कहा कि जो जटाधारी हैं, जिनके गले में साँप पड़े हुए हैं, जो भूतों के देवता हैं, उनको आपने जगदीश बना दिया। क्यों बनाया? शंकराचार्य जी ने कहा :

*'भवानि तवत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्।'*

अर्थात्, हे भवानि, तेरे से इनकी शादी हो गई, इसलिए ये जगदीश बन गए, नहीं तो नहीं बनते। अब आप लोग भी घरों पर जाकर पूछ लेना। यही कह देना कि मैं एमपी कैसे बन गया, एमएलए कैसे बन गया, तेरे से शादी हो गई, इसलिए बन गया और अगर मना कर दिया, तो ठीक नहीं होगा। हमने इस बिल में वंदना इसलिए की है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उसका कारण यही है।

मुझे जो तकलीफ हुई, वह यह है कि हमारे माननीय सदस्य के. सी. वेणुगोपाल जी तो केरल के हैं, लेकिन उन्होंने राहुल जी के लिए अपनी सीट का त्याग कर दिया। उन्होंने केरल से त्याग कर दिया और पाँच बरस की बजाए छः बरस का समय राजस्थान से ले लिया। अब वे राजस्थान से आ गए, लेकिन मणिपुर की बात कर रहे हैं।...(**समय की घंटी**)... मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक कहावत है :

*"चलते हुए पैरों में लगी हुई आग दिखाई नहीं दे रही है,*
*और पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई दे रही है।"*

राजस्थान में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया गया। उनको वह दिखाई नहीं दे रहा है। ...(**व्यवधान**)... राजस्थान में गुर्जर की एक लड़की को चार लोगों ने बलात्कार करके भट्टी में जला दिया। उनको वह दिखाई नहीं दे रहा है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए ये सारे काम करने वाले यह सोचें कि महिला आरक्षण बिल पर इन बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला, इसलिए मैंने जवाब दिया। मैं आज यह बात कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल आया है, सदन का यह जो विशेष सत्र है, ये सब विशेष purpose के लिए लाए हैं। ये सारे के सारे काम पूरे होंगे। हम यह आंदोलन चला रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी)**: माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करने का प्रयास करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी**: हम यह आंदोलन चला कर महिलाओं का जो स्थान है, उनको वह स्थान दिलाना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं :

*"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।"*

सारे देश में देवताओं का वास हो, इसलिए नारियों की पूजा करके यह 'नारी वंदन विधेयक' लाया गया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी)**: माननीय सदस्या डा. अमी याज्ञिक।

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Madam, I stand here on behalf of my party to support the Bill. I have been hearing the speeches on Women's Reservation Bill from none less than Ministers and leaders. But, I think they have been talking only about the social welfare schemes of the present Government and they have mixed up the issue that this is a matter of right to be given to the women.The social welfare schemes are there to strengthen the social standing in society. The crux of this Bill is that women need to have political empowerment. She has to come, sit and participate in decision making. That is not happening and for that, I think we have to go back and see the

journey which Rajiv Gandhi had started. And, Rajiv Gandhi started this journey because when he went travelling to the rural areas, he saw that here there is absolutely no governance. That is why the Panchayati Raj institutions were brought about, and with that, there was one-third reservation for women because there would be never an easy entry for women in the power corridors. He realised that and, that is why, he made a speech in the Parliament that women are mothers, grandmothers, daughters and sisters, but, to bring them into the political arena, we need to give them this right and that is how that law came. And, after 20 years, two-and-a-half decades of the 73rd and the 74th Amendments, we see that there are forty per cent women *sarpanches*, out of the total hundred per cent. And, that was the reply given by the Minister of Panchayati Raj in the Rajya Sabha. Today, that is the situation. Now, what is the spill over effect? When a women *sarpanch* sits, she brings to the table her experience, her sensitivity, her participation and whatever she has experienced as a woman, and that has a spill over effect in the society, and, that is where, there is a social progress in society. Madam, along with that, you have to see that journey. After Rajiv Gandhi's vision, Sonia*ji* carried on that vision and she insisted that the Bill be passed for Legislative Assemblies and the Lok Sabha. She tried her best; the Bill was passed in the Rajya Sabha in 2010. But, alongside, under UPA-I and UPA-II, we also had legal empowerment, right based laws, which gave power to women within the domestic sphere. With the Domestic Violence Act, which was removed from the criminal jurisprudence to a civil environment, she could knock the doors of the family courts. Came the law, post-Nirbhaya, which was to see that women in public spaces get legal protection. That also is empowerment. After that came the Sexual Harassment at Workplace. So, in workplace also all the three spaces, women were given protection by way of right and this is the constitutional mandate that women and men are equal before law. This is what is the crux of reservation. We don't want to hear policies, we don't want to hear about *Ujjawala*, we don't want to hear about all this, other policies of the Government; talk on reservation. You have brought a Bill with conditions, with *caveats*, that means your intention is not fair. You do not want to give empowerment to women; you do not want women to sit in decision-making procedures, you do not want her to be having a political empowerment alongside you. What is that which you are fearing and why have you put such programmes in it, delimitation and Census? They are in your hands. What were you doing for nine-and-a-half years? What have you been doing for nine years? You have only done lip service, you want to make tall claims, you want to think that every space is a rally, every space has only political *bhashans*. You do not want to actually translate social justice embedded in the Constitution of India to

the women of this country. Women need political empowerment. She wants to sit and take decisions. During Corona time, we saw that women got all the infrastructure for online empowerment. Again, it was Rajiv Gandhi's vision to take the country in the 21st Century, while he was in the 20th Century, that women and everyone should have these computer systems, and that is why, today we are empowered socially. Women have mobile telephony. Women have all kind of online applications. You talk of digital India. You talk of mother of democracy. But, you do not want the mothers to sit with you. You do not want to give them rightful place in political empowerment. So, Madam, there was legal empowerment in UPA-I, UPA-II. Women got all the rights. Women got all the infrastructure during that time, Right to Food, Right to Education, and, that is where, women are today graduating, going for post-graduation and we have scientists. And, let me give one example. One of the largest banks had a woman as Chairman and M.D., who was manning the position. So, you mean to say that she was born in 2014, she finished her schooling in 2015, she graduated in 2016 and she became the Chairperson, M.D. in 2018. The education system infrastructure was put in place post Independence

5.00 P.M.

I would like to bring to the notice of the House...

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है।

DR. AMEE YAJNIK: Just one minute, Madam. If you are talking of democracy, democracy needs development and development can happen only if freedom of right, freedom to exercise that right, which is in the Constitution is given to the women of this country. The women have to be a part of participatory democracy and decision-making processes and that is where I think this Reservation Bill has to be implemented right away without caveats and without any conditions. Thank you, Madam.

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** श्री मुजीबुल्ला खान जी। माननीय सदस्य, आपके पास एक मिनट का समय है।

**श्री मुजीबुल्ला खान** (ओडिशा): महोदया, नारी का सशक्त होना ही समृद्धि का मार्ग है और सशक्त महिला ही समाज को सशक्त बना सकती है। मैडम, मैं स्वाधीनता सेनानियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि नारी समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग लिया था। उसमें ओडिशा से रमा देवी

जी, सरला देवी जी और मालती देवी जी थीं। जब रमा देवी जी ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, तब उनके गर्भ में बच्चा पल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मार-मारकर जेल में डाल दिया था। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने जेल में एक पुत्र संतान को जन्म दिया था। ओडिशा की नारी कितनी मजबूत है, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। जब बीजू पटनायक जी 1960 में पहली बार ओडिशा के मुख्य मंत्री बने थे, तब वे एक ऐसी नारी को लाए थे, जो स्टूडेंट करियर में अपनी धाक दिखा चुकी थी, जो आंदोलन से आई थी और उसे उन्होंने राज्य सभा में भेजा था। 1962 के दस साल बाद, वे ओडिशा के मुख्य मंत्री के रूप में सामने आईं और वे थीं, श्रीमती नंदिनी सत्पथी।

मैडम, जब बीजू पटनायक जी ने पंचायत राज सिस्टम में 33 परसेंट रिजर्वेशन लागू किया, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पाँच ट्राइबल विमेन, जो महिलाएं पढ़ना-लिखना नहीं जानती हैं, अंगूठा लगाती हैं, उन्हें बीजू पटनायक जी ने एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया था। वे लोग बीजू पटनायक जैसे चीफ मिनिस्टर को एडवाइज़ देते थे और 90 के दशक में ओडिशा सरकार चलती थी। बीजू बाबू ने ट्राइबल लोगों के लिए जितना काम किया है, महिलाओं के लिए जितना काम किया है, उतना शायद ही किसी नेता ने किया होगा। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में भी 30 परसेंट रिजर्वेशन बीजू बाबू ने दिया था। नौकरी के लिए 35 साल की उम्र थी, लेकिन इसमें भी पाँच साल एक्स्ट्रा बढ़ाए गए।

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** माननीय सदस्य, आपके पास केवल एक मिनट का समय है।

**श्री मुजीबुल्ला खान:** दूसरी बात, जब बीजू बाबू ने रिजर्वेशन लागू किया, तब पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति में 28,000 महिलाएं चुनकर आई थीं। माननीय मुख्य मंत्री, नवीन पटनायक जी के आने के बाद, वे बीजू बाबू का अधूरा काम पूरा करने के लिए आगे बढ़े और जो 33 परसेंट रिजर्वेशन था, उसे नवीन पटनायक जी ने 50 परसेंट में कन्वर्ट किया है। ...(**समय की घंटी**)... मैडम, सिर्फ एक मिनट दे दीजिए। नवीन पटनायक जी ने 50 परसेंट रिजर्वेशन दिया। जब 2018 में ओडिशा असेम्बली में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसके बाद से आज तक नवीन बाबू ने न जाने कितनी मेहनत की है। हर राज्य के मुख्य मंत्री के पास डेलिगेशन भेजा है। सब पार्टीज़ से रिक्वेस्ट की गई है कि आप महिला बिल का समर्थन कीजिए। हमारा डेलिगेशन हाथ जोड़कर हर पार्टी, हर मुख्य मंत्री के पास गया था, जिसका नतीजा आज आ रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए।

**श्री मुजीबुल्ला खान:** इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे ओडिशा के मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी मेहनत रंग लाई है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि माँ-बहनों को रिज़र्वेशन मिलेगा।

इसके साथ-साथ, मैं एक छोटी सी बात भी कहना चाहता हूँ। आगे चलकर रिज़र्वेशन का क्या होगा, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हो जाएगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैडम, माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ किया जाए। यहाँ पर केंद्र सरकार के माननीय मंत्री

जी बैठे हैं। माइनॉरिटी की बहनों के लिए भी कुछ किया जाए। उनका भी हक है, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... अगर संशोधन करना है, तो संशोधन कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन माइनॉरिटी बहनों को भी कुछ स्कोप दीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वन्दे उत्कल जननी।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Madam, on behalf of the Nationalist Congress Party, I stand to support the 128th Constitution (Amendment) Bill. After consistent failures to pass the Bill on reservation for women in Parliament and in State Legislatures, it is, indeed, a happier occasion for me that the Bill is passing.

**उपसभाध्यक्ष (डा. कल्पना सैनी):** माननीय सदस्य, आपके पास दो मिनट का समय है।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Madam, give me, at least, three minutes.

Though we have serious doubts in its implementation. I come from Maharashtra where we have been very fortunate to have leadership of Shri Sharad Pawar who has taken concrete decisions for women. I would like to touch upon a few of them. Maharashtra became the first State in India to have 33 per cent reservation at all local self Government level in 1991. This was much before the 73rd and 74th Amendments that were passed in 1993. I am a product of that decision.

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SULATA DEO) *in the Chair*.]

Maharashtra became the first State to amend the Hindu Succession Act, 1956. This gave equal right to women; the girls, the daughters in the ancestral property. This then became a Central Legislation in 2005. There was an immediate decision taken. As Defence Minister in the UPA regime, from June 1991 to March 1993, Pawar Saheb took a decision to induct women in the Armed Forces. This too was an immediate decision which was implemented. Needless to remind this august House about the pride which filled us all to see Lieutenant Alka Khurana Sharma leading the contingent on Republic Day Parade in 1994!

Madam, we in Maharashtra, under the leadership of Pawar Saheb and during the UPA times, got used to see well-studied, well-researched Bills which were put out immediately for implementation and, therefore, a Bill such as this, which has to wait for census, delimitation, etc., is difficult for us to fathom and digest.

Madam, I would like to ask the Government: Did you not do the demonetisation overnight? Did you not declare a lockdown almost with immediate effect? Did you not bring in the Bill to abrogate Article 370 without any notice one fine

morning? You are indeed a very capable Government, then, why are you taking so much time to pass the Women's Reservation Bill? Why can the Bill not be implemented in 2024? There are no excuses. Why do we have to wait for a census? We have already delayed it. Why do we have to wait for delimitation? We know it is a difficult process because the Southern States are going to stand up in arms, they have worked towards reduction of their population and the Northern States have not done it. So, delimitation is going to be a difficult process. Why do we not want to give reservation in Rajya Sabha and State Legislative Councils? According to me, Madam, this Bill appears to be intended... ...(*Time-Bell rings*)... I am just finishing. This Bill appears to be intended to appease the women and girls of this country. Let us face that this Government has not been sensitive to women when they needed their protection. We have not forgotten and will not forget the treatment meted out to our women wrestling champions, release of convicts in the Bilkis Bano case.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SULATA DEO): Please conclude your speech; your time is over.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: I am just finishing; just two more lines. Amidst the Government's silence on Hathras, Unnao and Kathua, inaction on Manipur, in spite of several doubts about the implementation of this Bill, for which time will only stand witness, we support the Bill and make an appeal to reconsider the Bill and implement it in 2024. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SULATA DEO): The next speaker is Shri Abdul Wahab; you have two minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Madam, first of all, I want to say that my party, Indian Union Muslim League supports this Bill but not wholeheartedly. We require reservation in reservation and quota in quota. Yesterday, we tried in Lok Sabha also, but, we know what will happen to our demand, what will happen to our Amendments. But I can say one thing that caste is a reality in our country, even in Kerala. In Kerala, our Devaswom Minister, Shri K. Radhakrishnan was not allowed to light a lamp in a ceremony of the temple. It is going on in this way even in Kerala. What do you expect in other places? Mr. Tiwari was talking about Rajasthan. But, what has happened in Madhya Pradesh, what has happened in Manipur? I agree, one incident happened in Rajasthan, but, immediately, the Chief Minister of Rajasthan went there. But, so far, our Prime Minister is not looking at all at these places where these incidents

happened. I want to say that our party will not support the Bill wholeheartedly because of this reason. We support it, we want this to be implemented. It has been implemented in our Panchayati Raj system because of Rajiv Gandhi. Muslim ladies are working in our District in Kerala as District Panchayat Presidents. But, you being in the Centre with power, I request you once again, do not consider Muslims as minorities only. We are having this much of percentage here; at least, consider us.

After triple talaq, all the Muslim women are with you. I have seen ladies coming in buses here today. I don't know who brought them but they are completely inside and outside New Delhi. That is good. It is Nari Shakti. I give all the respect to Amit Shahji and the Prime Minister. If your niyat, your intention is correct, then do one thing; do it first if at all, because our Naddaji was telling that legally it is not possible. Okay, if it is so, just see that 33 per cent of the BJP women candidates are competing from winnable seats. At the end of the day, we will come here again; we will be here in Rajya Sabha. *(Time-bell rings.)* Including everywhere! ...*(Interruptions)*... I want to see the BJP MPs, women coming here. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SULATA DEO): Please conclude, your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI ABDUL WAHAB: In future, we hope everywhere it will be happening. Thank you very much and I support the Bill.

**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी** (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर देकर अनुकम्पित किया है, आपका आभार! मैं नारी शक्ति पर एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूं:-

*"मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है,*
*भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है,*
*तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती हैं,*
*मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है।"*

महोदया, यह कविता सुनाने का मेरा तात्पर्य था कि देश में नारी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। जिस देश में कन्या का पूजन दुर्गा शक्ति के रूप में किया जाता है, जिस देश में नारी को सृष्टि की जननी माना जाता है, उस देश में जन-प्रतिनिधियों की संख्या आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी लोक सभा में मात्र 14 प्रतिशत, राज्य सभा में 12 प्रतिशत तथा देश की विधान सभाओं में यह संख्या नगण्य के बराबर हो, तो आप सब क्या कहेंगे?

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

यह भी हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। अगर नारी सृष्टि की जन्म-दात्री है, अगर उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती तो फिर भला नारी कमजोर कैसे हुई? मैं इस सभागार में बैठे हुए लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूं कि अगर नारी सृष्टि की जन्म-दात्री है तो एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपकी मां की मां न होती तो क्या आप की मां होती? अगर आपकी मां न होती तो इस सभागार में बैठे हुए, चाहे वे पुरुष हों या महिला, क्या हम और आप होते? अगर उनकी मां न होतीं, तो क्या मंदिर में विराजित घनश्याम और श्रीराम होते? फिर क्या कारण रहे कि आज़ादी के 70 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भारतीय नारी को वह सम्मान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था? वह सबला से अबला कैसे हो गई? मैं यह प्रश्न आप सबके सम्मुख रखती हूं, इस पर थोड़ा सोचिएगा। लेकिन नारी के अदम्य साहस, क्षमता व बुद्धिमत्ता को पहचान कर उसका समूचे राष्ट्र को अगर किसी ने एहसास करवाया, तो वह देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में करवाया।

भारतीय नारी के लिए अमृत कालखंड का 19 सितंबर का दिन शुभ दिन था, जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, जो नये भारत में भोर की नई किरणें लेकर आया है। अमृत काल के इस कालखंड में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है, जहां समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत हो रही है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की नारी शक्ति को मात्र आरक्षण देना ही देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को ससम्मान नेतृत्व व निर्णय-प्रक्रिया में पूर्णतया भागीदार बनाना भी देश के प्रधान मंत्री जी का ध्येय है। यह इस विधेयक के नाम में ही रेखांकित हो जाता है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले इस विधेयक का नाम पहले महिला आरक्षण विधेयक था, परंतु देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मातृ- शक्ति को केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि सम्मान भी देना चाहते थे, इसलिए इस विधेयक का नाम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' रखना देश के प्रधान मंत्री की देश की नारी-शक्ति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है।

नारी-उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गईं। आप सबने, जो मेरे पहले वक्ता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। मेरे पास तीन मिनट का टाइम है। उस तरफ से कहा गया कि 9 सालों में अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या किया? लेकिन आपने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया, आपने महिला बिल को लागू क्यों नहीं किया, आपने महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित क्यों रखा? मैं इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश का देती हूँ। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है। इसने महिलाओं से वायदा किया कि 1,500 रुपये आपको हर महीने दिए जाएंगे। आज 9 महीने हो गए, महिलाएं अपना पर्स खोलकर देखती रहती हैं और कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली से लेकर प्रदेश तक पूछती रहती हैं कि 1,500 रुपए कब आएंगे? 9 महीने बीतने के बाद भी उनके पास 1,500 रुपए नहीं आए। कोरोना के कारण जनगणना और परिसीमन विलंबित हुए हैं तो स्पष्ट है कि प्रक्रिया में विलम्ब होगा। किन्तु यह कुछ क्षणों की देर है, इतने बरसों का अंधेर नहीं है। यह अधिनियम उस कर्मशील

नेतृत्व की विचारधारा का प्रण है, जिसके यहां तीन तलाक से बहनों को मुक्ति मिलने का प्रण है, जिसके यहां मातृ-शक्ति को सम्मान, अधिमान और मान मिलता है।

मान्यवर, परंपराओं के जाल काटने के लिए बहुत लगन, ध्येय और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, इसलिए कहा गया है:-

*"रिवाइतों की सफें सबसे कट नहीं सकतीं,*
*कई बरस में कोई एक जाल काटता है।"*

महिला आरक्षण विधेयक पर 27 वर्षों के मौन का जाल, राजनीतिक दलों के गलियारों में इस विधेयक पर पसरे अंधेरे का जाल जिस व्यक्ति ने काटा, उन्हें केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूचा विश्व; भारत की नारी ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की मातृ-शक्ति आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम से जानती है और आने वाले समय में जानेगी। अब इस देश की महिलाएं लोकतंत्र के इस शीर्षस्थ मंदिर और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत महिलाओं को देखेंगी। यह देश के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब नेतृत्व करने का अवसर है और यह अवसर देकर इतिहास किसने बनाया - आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह इतिहास बनाया है। आज यह मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसे जल्दी लागू करने की बात की जा रही है। इसमें जातिगत आरक्षण न होने के कारण इसे अपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन आप इंतजार कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं, यह प्रधान मंत्री जी का मातृ-शक्ति को 33 प्रतिशत का वायदा है और देश की मातृ-शक्ति को पूरा विश्वास है कि 'मोदी है तो मुमकिन है।' मैं इस देश की मातृ-शक्ति मां-बेटियों के चेहरों पर छाए उल्लास को पढ़ सकती हूं। मैं उनकी उम्मीदों के तेज को देख सकती हूं। इस बड़ी पहल और बड़े साहस के लिए मैं पुनः माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं और इस विधेयक का स्वागत करती हूं, समर्थन करती हूं, धन्यवाद।

---

## STATUTORY RESOLUTIONS

### Levying of Export Duty on exports of Onions and exports of Parboiled Rice

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, a notice for Statutory Resolutions has been received from the Government and I have admitted the same. In view of the urgency, I have also permitted the Minister concerned to move the same now. Shri Bhagwat Karat to move the following Resolutions:- (i) "In pursuance of Section 8 of the Customs Tariff Act, 1975, this House hereby approves of notification No. 47/2023-Customs, dated 19th August, 2023 [G.S.R. 616(E), dated 19th August, 2023], which seeks to amend the Second Schedule of the Customs Tariff Act, in order to levy Export duty on exports of Onions, falling under HS Code 0703 10." and, "In pursuance of Section 8 of the Customs Tariff Act, 1975, this House hereby approves